राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २३वां दिवस [संख्या १९

मंगलवार, दिनांक १९ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, वन, श्रम, आयुर्वेदिक, समाज कल्याण, गृह, यातायात, मुद्रण एवं लेखन, विद्युत् एवं रोडवेज विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

जयपुर में पानी की समस्या

४३५. **श्री भैरोंसिंह :** (किशनपोल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जयपुर वाटर सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सन् १९६० में आश्वासन दिया गया था कि जयपुर में जो पानी की कमी है वह पूरी हो जायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि इसी प्रकार का आश्वासन सन् १९६२ में भी दिया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि यह स्कीम अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और अब यह स्कीम कब तक पूर्ण हो जायगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जहां तक विभाग का सम्बन्ध है, कार्य पूरा किया जा चुका है । पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त हो जाने पर पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से चालू कर दी जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिजली कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: ट्रान्स-फार्मर का आँर्डर दिया गया है, उनके आते ही पॉवर हमें मिल जायेगी और तब वाटर वर्क्स को पूरा चालू कर दिया जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : अप्रेल, १९६२ में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जुलाई के महीने में पानी पूरा दे दिया जायेगा ।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: बिजली मिल जाने पर चालू कर दिया जावेगा, ट्रान्सफार्मर का आँर्डर दे रखा है ।

श्री **भैरोंसिह** : ये ट्रान्सफॉर्मर कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तब आ जावेंगे ?

श्री **भवानी शंकर नन्दवाना** : यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता । बाहर से आने वाली चीज है, कब आवे । बाकी हमने हमारी तरफ से सारा काम कर दिया है । पाइप वगैरह सब डाल दिये हैं । अब तो बिजली मिलने की देरी है । वैसे पहले जैसी समस्या तो रही नहीं । दो घंटे सुबह शाम हम काफी पानी देते हैं ।

श्री **भैरोंसिह** : क्या सरकार यह सोचती है कि इस शहर की इतनी बडी आबादी को देखते हुए दो घंटे सुबह-शाम नल चालू करने से पानी की कमी पूरी हो जावेगी ?

श्री **भवानी शंकर नन्दवाना** : जो पहले मिलता था वह तो मिल ही रहा है, यह एडीशनल चालू किया है । अब जहां कमी थी वहां चौथी-पांचवीं मंजिल पर भी पानी पहुंच रहा है ।

श्री **भैरोंसिह** : पर इससे क्या आप समझ रहे हैं कि पानी की समस्या हल हो गई ?

श्री **अध्यक्ष** : शायद विद्युत् मन्त्री बता सकें इस बारे में कुछ ।

श्री **हरिश्चंद्र** (विद्युत् मंत्री) : ऑर्डर प्लेस कर दिये गये हैं ट्रान्सफॉर्मर के लिये और जल्दी से जल्दी आ जावेगा, ऐसी आशा है ।

श्री भैरोंसिह : जयपुर में पानी की कमी है उसको देखते हुए आपने अब तक जो व्यवस्था की है सुबह-शाम की, इससे पानी की कमी क्या पूरी हो जावेगी ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : फिलहाल तो हो ही जावेगी । ट्रान्सफॉर्मर आने पर तो पूरा चालू कर दिया जावेगा ।

श्री **अध्यक्ष**: श्रीमती गौरी पूनिया ।

नाले को बांधने की योजना

४३६. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या पंचायत समिति रीयां के ग्राम सूदवाड के पास बहने वाले नाले को बांधने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर नही, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि इस नाले के न बंधने के कारण उस क्षेत्र के ७०-८० कूए सूखे पडे हैं ?

उप मन्त्री सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी नहीं । नाले में पानी की कमी रहती है व योजना बनने के बाद आमदनी खर्चे की अपेक्षा कम होगी ।

(२) जी नहीं ।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): योजना बनाने के लिये आपने कोई सर्वे कराया था वहां का ?

श्री **दिनेशराय डांगी** : जी ।

श्री **मोतीलाल** चौधरी: यह कब करवाया था आपने ?

श्री **दिनेशराय डांगी**: इसकी तारीख अवेलेबल नहीं है ।

श्री **मोतीलाल चौधरी**: सर्वे किसने किया ? सर्वे हुआ ही नहीं ।

Page No 3

श्री **दिनेशराय डांगी** : एग्जीक्युटिव इन्जीनियर जवाई डैम की तरफ से प्रपोजल स्कीम के तैयार हुए हैं ।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : माननीय अध्यक्ष, सर्वे हुआ ही नहीं ।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): अगर सर्वे नहीं हुआ है तो करवाया जावेगा । रिपोर्ट आई है तो प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद ही तो आई है । सेंड ड्यून्ज होने के कारण जो वैरटियल्स कहलाता है उससे फिजिबिलेटी नहीं है, न वह कीमती एरिया है । प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस प्रकार की है ।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : सर्वे हुआ ही नहीं, तो रिपोर्ट कहां से आई ? सर्वे होने के बाद में सारी जानकारी दीजिये ताकि पंचायत समिति और जिला परिषद् आपको जानकारी और दें ।

श्री **भीखाभाई** : वहां पर जो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर है वह सुन्दर वगैरह गांवों में गया है । उसने देखा है मौका वगैरह और उसके बाद में रिपोर्ट दी है ।

श्री **अध्यक्ष** : अब आप फिर सर्वे करा लीजिये । अभी तक तो सरसरी तौर पर कराया है ।

श्री **भीखाभाई** : जी हां । आपकी आज्ञा है तो करा लेंगे ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

ग्राम पंचायत घाटला, तहसील अवलर में बघेरों का उत्पात

४३७. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घाटला, तहसील अलवर ने यह शिकायत पंचायत विभाग के मार्फत वन विभाग को भेजी है कि उनके गांव के पहाडों पर ५-६ बघेरे हैं जो कि मवेशियों का बहुत नुकसान करते हैं और इसलिये इन बघेरों को मरवा दिया जावे ?

(२) क्या यह सही है कि गांव वालों ने यह भी शिकायत की है कि इन खूंखार जानवरों से उनका हर साल लगभग २५००) रु० का नुकसान हो जाता है ?

(३) क्या सरकार ने इन जंगली जानवरों को मरवाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य):

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता । मगर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर फ्री लाइसेन्स दिया जाकर ऐसे जानवर को मरवाने का प्रबन्ध किया जा सकता है । इसके अलावा गैम सेन्चुअरी रक्षित व आरक्षित वनों के बाहर कोई भी शिकारी ऐसे जानवरों को १ जुलाई से १५ अक्टूबर (क्लोज्ड सीजन) को छोड कर कभी भी मार सकता है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह प्रश्न किसी की शिकायत के आधार पर ही है । क्या इसे ही शिकायत मान कर बघेरों को मरवाने का प्रबंध किया जावेगा ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : शिकायत को शिकायत मान कर कानून के अन्तर्गत हम मरवाने का प्रबन्ध नियमानुसार कर सकते हैं ।

Page No 4

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप यहां के बघेरों को जानते हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानता हूं, पर कह नहीं सकता कि कौन बघेरा है ।

श्री दलपत सिंह (आबू) : कोई बघेरा किसी काश्तकार की भैंस या बैल मार रहा है और इस पर काश्तकार उस बघेरे को शूट कर देता है तो क्या आप उसे माफ कर देंगे या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कानूनी प्रश्न है । नियम है उसके आधार पर ही वह ऐसा कर सकता है, पर बहाना अगर करे तो दोषी भी हो सकता है ।

श्री दलपत सिंह : कानून की इतनी टैक्निकलिटी तो जानता नहीं वह साधारण किसान । पर मेरी रिक्वेस्ट यह है कि एक दम बघेरा हमला करता है यकायक और इस पर अपने पाडे को या बलद को किसान खतरे में देखता है, हमने राइफल वगैरह काश्तकारों को दी हैं अपने जानवरों के प्रोटेक्शन के लिये । अब वह उसको हमला करते देख कर उसे गोली मार दे और अपने भैंस और बैल को बचा लेता है तो उसे आप क्या गिनेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेल्फ डिफेन्स का साधारण सा कानून है । Destruction of propear

आर्डिनरी पीनल कोड में इसका प्रावधान है ।

श्री दलपत सिंह : पर जनरली ऐसा होता है कि इस तरह सैल्फ डिफेन्स में मारने पर भी जंगलात वाले काश्तकारों पर केस कर देते हैं । तो इस तरह अगर मारता है तो बाद में केस नहीं होना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो वाकयात पर निर्भर करता है । यह कानूनी प्रश्न है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय यह अनकन्डीशनल कोई आश्वासन देंगे कि गांवों में लोग बघेरों को मारने का अपनी तरफ से प्रबन्ध कर सकते हैं ? आपने तो कन्डीशनल बात कह दी ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया कोई शिकायत आई नहीं और इसके बावजूद भी शिकायत आ गई है और ऐसी परिस्थितियां, जैसी कि आपने कही, हो गई हैं तो उनके निराकरण के लिये प्रयत्न करना हमारा भी कर्त्तव्य हो जाता है, जैसा जनता का है ।

श्री दलपत सिंह : अगर आप केस नहीं बनावें तो अपने पाडे वगैरह को बचाने के लिये गांव वाले ओटोमैटिकली ही बघेरों को ठिकाने लगा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इसका परमिट तो आप ले लीजिये ।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसमें जो कह दिया गया है वह काफी है । सैल्फ प्रोटेक्शन में सभी ऐसा कर सकते हैं । यह सामान्य कानून है । दूसरी बात यह है कि हमने हर जिले में जिलाधीशों को यह अधिकार दे रखा है कि एमर्जेन्सी के केस में वे बिना फोरेस्ट वालों को पूछे भी उनको मरवा सकते हैं ।

श्री दलपत सिंह : चान्स आने पर काश्तकार मार दे तो फिर ? आशवासन देना चाहिये आपको कि कोई बात नहीं, उसका कोई एक्शन नहीं होगा ।

Page No 5

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा सेल्फ डिफेन्स में किसान अगर मार दे तब तो उसको मुकद्दमे में सफाई देनी होगी सेल्फ डिफेन्स की, और एमर्जेन्सी होने पर कलेक्टर को आप भेज कर मरवा सकते हैं। जब ऐसी बात है, आप मानते हैं उनसे नुकसान की सम्भावना है तो फिर आप पहले ही किसी को भेज कर उनको मरवाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : परिस्थितियों को देखकर हम ऐसा कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं इस तरह का। पर खतरा पैदा करने का तो हमारा प्रयास नहीं है। हम खुद इसके लिये प्रयास करेंगे और आपको अवगत करा देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो मंत्री महोदय को वहां भेज दीजिये। बघेरे अपने आप मर जावेंगे या भाग जावेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय शिकारी नहीं हैं।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ) : आपकी इन्क्वायरी में बडा वक्त लगता है, डिले होती है।

आप इस काम को पंचायतों को क्यों नहीं सौंप देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंचायतों को जो काम शिक्षा का दिया, उसी से परेशान हैं।

श्री जगनसिंह : पर फिर भी आगे-पीछे देना तो पडेगा ही।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

कृष्णा मिल्स ब्यावर के मैनेजमेन्ट के विरुद्ध शिकायतें

४३८. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कृष्णा मिल्स ब्यावर ने इसी वर्ष बिना सरकार की आज्ञा व सूचना के ही ब्लो रूम की तीसरी शिफ्ट चालू की है ?

(२) क्या यह सच है कि टैक्सटाइल लवर यूनियन ब्यावर ने इस अनियमितता के विरुद्ध फैक्ट्री इन्सपैक्टर को बार बार लिखा है ?

(३) सरकार ने मिल मैनेजमेन्ट की उक्त अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कृष्णा मिल्स ब्यावर ने २० जून, सन् १९६२ से ब्लोरूम की तीसरी शिफ्ट चालू की, इसकी पूर्व सूचना मिल की ओर से फैक्ट्री इन्सपैक्टर ब्यावर के कार्यालय में भेजी गई। सरकार से इसके लिए आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(२) जी हां।

(३) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

श्री कुमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई नया एन्जिन स्टार्ट करते हैं किसी मिल में तो फैक्ट्री इन्सपैक्टर की या गवर्नमेन्ट की परमिशन लेनी पडती है और वहां के लिए मुझे मालूम है कि गवर्नमेन्ट के फैक्ट्री इन्सपैक्टर की कोई परमिशन नहीं ली गई इसलिए हमने फैक्ट्री इन्सपैक्टर को कई बार लिखा, इसका जवाब नहीं आया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस मिल के खिलाफ गवर्नमेन्ट ने कोई कार्यवाही की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बात यह है कि उसकी सूचना देना आवश्यक है जो इन्सपैक्टर को दे दी। आज्ञा देना कोई आवश्यक नहीं है: कोई भी मिल वाला तीसरी पाली सूचना देकर चालू कर सकता है।

श्री कुमारानन्द : कोई भी नया एन्जिन स्टार्ट करे तो परमिशन लेना जरूर आवश्यक होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं इसलिए कहता हूं आपको ।

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसका इन्टरप्रिटेशन गलत हो गया क्योंकि फैक्ट्री एक्ट का सैक्शन ६१ यह कहता है :"Notice to be given to the Inspector of Factories regarding addition in the period of work".

श्री कुमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, यह जो पढ़ कर सुनाया है यह फैक्ट्री एक्ट की कौनसी धारा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि सैक्शन ६१ है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरी रियासतों में क्या प्रेक्टिस है, यह भी पता लगा लीजिए ।

श्री कुमारानन्द : हमने गवर्नमेन्ट को कई बार शिकायत की, फैक्ट्री इन्सपैक्टर को शिकायत की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री छोटूराम ।

रोगियों की शिकायत-अनुसंधानशाला उदयपुर

४३९. **श्री छोटूराम** (नीमकाथाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

क्या अनुसंधानशाला उदयपुर में रोगियों को **दिए** जाने वाले भोजन-तथा औषधियों में **स्वर्ण न** होने की शिकायत सरकार के समक्ष आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री दौलतराम सारण): ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, अतः आगे कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री छोटूराम : शिकायत तो आई है आपके पास ?

श्री दौलतराम सारण : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार ।

महिला, शिशु और गांव नामक पुस्तिका की छपाई पर खर्चा

४४०. **श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड द्वारा महिला शिशु और गांव, नामक पुस्तिका छपवाई गई है ? यदि हां, तो उसकी कितनी प्रतियां छपवाई गई और कुल खर्चा कितना आया ?

(२) इस पुस्तिका के छपवाने का खर्च कौन से मद से किया गया और इसका पैमेंट अजमेरा प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर को विभाग द्वारा कौनसी तारीख को किया गया ? पैमेन्ट रेवेन्यू स्टाम्प पर किया गया या केवल रोकड़ में दस्तखत लेकर ही ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां । १००० प्रतियां छपवाई गई थीं । इसमें कुल १२०.२५ नये पैसे का व्यय हुआ है ।

(२) इस पुस्तिका को छपवाने का खर्चा राज्य बोर्ड के कॉन्टिन्जेन्सी के उपमद 'स्टेशनरी' से अजमेरा प्रिन्टिंग प्रेस को दिनांक २८-१-५८ को भुगतान रेवेन्यू स्टाम्प पर किया गया है ।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो महिला शिशु और गांव नामक पुस्तिका है, स्वयं इसके चैयरमैन हैं उन्होंने जाहिर किया है कि इस

Page No 7

(श्री अब्दुल जब्बार)
पुस्तिका के प्रकाशन का भार अपने ऊपर लिया है और कहा है कि इस पुस्तिका से अवश्य ही मार्ग दर्शन मिलेगा और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगी। इसमें जो एड्रेस किया था यह भार अपने ऊपर लिया तो स्वयं पैसा अपने पास से उन्होंने दिया या विभाग ने दिया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जो बोर्ड है उसने दिया, जैसा कि उत्तर में बताया है और यह व्यक्त किया गया है कि भार अपने ऊपर लिया है इसका मतलब बोर्ड ने लिया।

श्री अब्दुल जब्बार : In Personal capacity उन्होंने अपने ऊपर लिया है तो स्वयं चेयरमेन ने खर्चा किया या विभाग ने ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं है। चेयरमैन की हैसियत से है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

देवली में लाठी-चार्ज

४४१. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ३० मार्च, सन् १९६२ को देवली (जिला टौंक) में सिनेमाघर पर स्थानीय पुलिस ने ग्राम सेवक प्रशिक्षणार्थियों पर लाठी चार्ज किया जिसमें कई छात्रों को चोटें लगीं? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि इस संबंध में १०७ सी आर० पी० सी० व आई० पी० सी० का मुकद्दमा बनाया जाकर अदालत में पेश किया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) जी नहीं। पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, किन्तु सिनेमा पर शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए लगी हुई पुलिस पर प्रशिक्षणार्थियों ने हमला कर मार-पीट की थी। जिसके फलस्वरूप एक हैड कान्सटेबिल व ५ सिपाहियों के चोटें आई। तथा एक हमलावर प्रशिक्षणार्थी के भी चोटें आई।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा १४७, १४९, ३३२ व ३५२ में ७ व्यक्तियों पर केस बनाया जाकर चालान एस० डी० एम०, मालपुरा के न्यायालय में पेश किया गया जहां से अपराधियों द्वारा दोष स्वीकार कर गया लेने पर उन्हें मुचलकों पर ५६२ सी आर० पी० सी० के अधीन बरी कर दिया गया।

श्री भैरोंसिह : क्या चालान करने से पहले इस डिपार्टमेन्ट से परमिशन ले ली गई थी ?

श्री मथुरादास माथुर : उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह लोकल मैटर था और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया है इसके लिए डिसिप्लीनरी एक्शन के लिए या डिसमिसल के लिए लिखा गया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह संबंधित विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को गिरफ्तार करने से पहले संबंधित विभाग से परमिशन लेना आवश्यक होता है क्या यह सही है ?

श्री मथुरादास माथुर : In discharge of their duties अगर कोई काम करे तो परमिशन लेना जरूरी होता है।

Page No 8

श्री भैरोंसिंह : प्रशिक्षणार्थियों की गिरफ्तारी के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट अपनी ड्यूटीज़ करते समय करे तो हो सकता है। वहां सिनेमाघर पर शांति भंग करने के सिलसिले में ५६२ में ६ महीने के लिए मुचलके लेकर उनको छोड़ दिया गया।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा एक प्रश्न था कि बी० एल० डब्ल्यू० की गवर्नमेन्ट की नौकरी थी और वहां पर दंगा किया जो कि सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है उनके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन या डिसमिसल करने की कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मंत्री महोदय ने कहा है कि संबंधित विभाग से पूछिये।

श्री हीराभाई (विराम)

बांस के ठेके, श्रमिक समिति उदयगढ़, वसुनी

४४२. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वन श्रमिक समिति उदयगढ़ वसुनी, तहसील कुशलगढ, जिला बांसवाड़ा को १९६० में बांस के ठेके में कुल कितनी आमदनी हुई थी और उसमें कितना मुनाफा हुआ ?

(२) क्या उक्त मुनाफे की रकम शेयर होल्डरों को बांट दी गई है ? यदि हां तो कब और नहीं, तो क्यों और अब कब तक बांटी जायेगी ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) कुल आमदनी १५,५६९. ५७ न० पै० हुई। समिति का हिसाब ऑडिट कराया जा रहा है। ऑडिट होने पर ही मुनाफे का पता लग सकेगा।

(२) ऑडिट हो जाने पर ही हिस्सेदारों को उनके मुनाफे का हिस्सा मिल सकेगा।

श्री हीराभाई : सन् ६० से अभी तक ऑडिट नहीं कराने का क्या कारण था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके मित्र, श्री जितेन भाई ने गबन कर लिया था। उनके ऊपर मुकदमा चला और अब कनविक्शन हो गया है और वसूली की कार्यवाही हो रही है। वह वसूली होने पर मुनाफा विभाजित कर देंगे।

श्री हीराभाई : वसूली की कार्यवाही अब हो रही है या उसी समय हो गयी थी कि जिस समय मुकदमा दायर हुआ था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुकदमा चलने पर सारा प्रश्न अदालत के पास रहता है उस बीच में कुछ नहीं होता। मुकदमे का फैसला होने पर अदालत ने कहा कि पैसा वसूल किया जाय और एक दिन की सजा दे दी। जजमेन्ट होने के बाद वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री हीराभाई : कब हुआ जजमेन्ट ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १२-६-६२ को हुआ।

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : यह ऑडिट होने के बाद में मुनाफा होता है या पहले ही मुनाफा होता है, रुटीन कोर्स में चलता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें सरकम्स्टान्सेस हैं मुनाफा वितरण करने का।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मुनाफा तो आडिट के पहले होता है और आडिट तो एक जांच होती है—जो मुनाफा है वह सही है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके साथ साथ में पैसा रुका पडा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उस वन श्रमिक समिति में कितना मुनाफा दिखाया गया है ? प्रश्न यह है । उसके आडिट से वह सही निकला या गलत, यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुनाफे की रकम मेरे पास नहीं है ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : फिर जवाब आपका अधूरा है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : स्पेसिफिकली पूछा है कि कितना मुनाफा हुआ ?

श्री हीराभाई : मैंने मुनाफे के लिए भी पूछा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितनी आमदनी हुई, यह पूछा गया है; मुनाफा नहीं पूछा गया है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पूछा गया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले के पार्ट में तो आमदनी बताई, दूसरे पार्ट में मुनाफे की मैंने मजबूरी जाहिर की कि आडिट होने के बाद में मुनाफे का उल्लेख होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : You cannot dodge Shri Hira Bhai. He is Deputy Leader of the P.S.P.

श्री निरंजननाथ आचार्य : That is appreciation of Shri Hira Bhai on your behalf.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आमदनी और मुनाफे में फर्क समझते हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आमदनी होने पर मुनाफे का विश्लेषण होता है । यह फर्क मानता हूं । टोटल इन्कम में से कितना मुनाफा होता है उसका बाद में असेसमेन्ट होता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जवाब संतोषजनक नहीं है, इसलिये इस प्रश्न का दुबारा जवाब दें कि कितना मुनाफा है ? अभी जवाब नहीं दे सकें तो दूसरी बार दे दें । क्योंकि प्रश्न पूछने का पूरा मतलब भी हल नहीं होता इसलिये दुबारा जवाब देने की कृपा करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसा प्रश्न है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑडिट होने के बाद आप कहते हैं ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will furnish the information within a week. I can assure the House.

श्री अध्यक्ष : Thank you.

श्री हीराभाई : ऑडिट होने के बाद कैसे बता सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हफ्ते भर बाद बता देंगे ।

श्री हीराभाई : जल्दी बता दें तो अच्छा है ।

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसमें आमदनी हुई है उसके आंकडे हैं कि १५,५५९.३५ न. पै.

(श्री भीखाभाई)

६१-६२ में लिया गया था। दरअसल में भूतपूर्व मंत्री सहकारी समिति ने इसमें गबन किया था। माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं क्योंकि वह उनकी पार्टी का है। आडिट हो नहीं पाया है इसलिये ....

श्री रामकिशन (वैर) : कोई अगर गबन करता है तो हम कभी नहीं कहते....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

दोनों रिमार्कस गलत हैं। मिनिस्टर साहब ने पार्टी का नाम लिया, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब की ज्यादा जिम्मेदारी होती है सम्माननीय सदस्यों से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री न कहा, आपके मित्र फलां ....

श्री अध्यक्ष: इसमें सीधा सा सवाल है, आपके रेकार्ड के मुताबिक मुनाफा बताना होगा। छोटी सी बात का बतंगड बनाते हैं। If you don't have the figure, ask for time.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have asked, Sir.

श्री अध्यक्ष: श्री जुझारसिंह।

कृषकों को असुविधा-तहसील सांगोद।

४४३. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सांगोद तहसील के उत्तरी क्षेत्र के कृषकों को परवन (acquaduct) से अन्ता मंडी जाने में नहर की झिरन के कारण काफी असुविधा होती है ?

(२) झिरन के कारण आम रास्तों के बिगड जाने व चंबल नहर पर रास्ता न देने के कारण क्या किसानों को अपना माल दूर की मंडियों पर से लाना पडता है ?

(३) क्या सरकार चम्बल की नहर के (acquaduct) से आगे वाले आधा मील हिस्से को गुलाबपुरा तक पक्का करवा कर कर कृषकों को अन्ता मंडी तक सुविधा से पहुंच सकने का इन्तजाम करेगी ?

उप–मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। इस समय केवल राजगढ ब्रिज से परवन (acquaduct) के नीचे तक पक्का कराने का विचार है।

श्री जुझारसिंह: मंत्रीजी फर्मा रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता जब कि जैसा पहले निवेदन किया था चीफ इंजीनियर तक पहुंच चुका है, फिर आप कैसे कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता ?

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति है मेरी सूचना के मुताबिक निवेदन कर चुका हूं।

श्री जुझारसिंह: आपके हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को चार बार सूचित कर चुका हूं। मेरे पास लिखित प्रमाण मौजूद हैं, फिर आपके पास इस तरह की सूचना कैसे पहुंची ?

श्री अध्यक्ष: श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

Page No 11

रोडवेज की गाडियों की शिकायत पुस्तिकायें

४४४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) रोडवेज की गाडियों में शिकायतों की पुस्तिकायें किसके पास होती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कन्डक्टरों से शिकायतों की पुस्तिका मांगी जाने पर वे देने से इन्कार कर देते हैं ? किस किस नम्बर की बसों में शिकायतों की पुस्तिका नहीं है ?

(३) उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि सवारियों के बिस्तर आदि भी गायब हो जाते हैं अथवा गिर जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने केस हुए हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) कंडक्टर के पास ।

(२) ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । यह पुस्तिका हाल में सब बसों को दे दी गई है ।

(३) शिकायत पुस्तिका सब बसों में दे दी गई हैं यदि इसके उपरान्त भी कोई शिकायत आयेगी तो कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(४) जी हां । इसकी संख्या १० के लगभग है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह शिकायत की पुस्तिका कब दी गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: २ महीने पहले सब बसों को प्रदान कर दी गई ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: दो महीने पूर्व तक नहीं दिये जाने का क्या कारण था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अवेलेबल नहीं थी, इसलिए नहीं दी गई ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): २० फरवरी को जो बस अजमेर के लिये रवाना हुई उसमें मैंने खुद ने इसकी मांग की थी लेकिन देने से इन्कार किया । उसकी शिकायत ट्रान्सपोर्ट के ऑफिस , अजमेर में की गई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने शिकायत गलत जगह भेज दी, रोडवेज में भेजनी चाहिये थी न कि ट्रान्सपोर्ट में । यदि वह हमारे पास आई तो हम उसको देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष: यह बडा गम्भीर मामला है । एक माननीय सदस्य स्वयं व्यक्तिगत एक्सपीरियेन्स से शिकायत करते हैं तो ध्यान रखना चाहिये । जिस किसी भी दफ्तर में पहुंची हो, आप स्वयं जानकारी करें ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): माननीय सदस्य यदि इस तरह की शिकायत या और तरह की शिकायत हो तो बहुत बेहतर होगा मिनिस्टर को डी० ओ० लिखें । आपने किसी को शिकायत लिखी, नीचे समय लग गया तो हमको यहां परेशानी होती है । आपको कोई शिकायत हो तो डी ० ओ० के जरिये मिनिस्टर को इमीजियेटली लिखें तो उस पर तुरन्त कार्यवाही होगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मिनिस्टर महोदय को लिखा जाता है, उस पर तो कार्यवाही होती है ।

Page No 12

श्री मथुरादास माथुर: होती है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, किसी न किसी तरीके से बसों में शिकायत पुस्तिका का इन्तजाम किया जाय ताकि मुसाफिर अपनी शिकायत बता सकें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ४४५ ।

श्री मुरलीधर व्यास ।
(अनुपस्थित)

मांडलगढ़-लाडपुरा सड़क निर्माण कार्य

४४६. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मान्डलगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला भीलवाडा की मान्डलगढ, लाडपुरा तथा कांस्याखान की रोड का काम कब से चल रहा है ? क्या इस सडक का कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो अब क्या काम बकाया है ?

(२) इसके पूर्ण हो जाने की आशा कब तक की जा सकती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) मांडलगढ-लाडपुरा रोड का कार्य मास फरवरी तथा कांस्याखान रोड का कार्य मास मार्च, १९६० में आरम्भ कराया गया था जो कोस ड्रेनेज कार्य को छोड कर दोनों सडकें पूर्ण कर दी गई हैं।

(२) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री गणपतिलाल वर्मा: यह कब तक पूरी होगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी विकास योजना में सेंक्शन की होगी कि चौथे साल या पांचवें साल में या कब ली जायगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अलग से लिया जाता है, पंचवर्षीय योजना में निश्चित नहीं है कि इस साल कितनी रकम मिलेगी इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस साल लेंगे । यदि सरकार से यह निश्चित हो जाय कि इतनी रकम दी जा सकती है तो कहा जा सकता है । इसलिये मैं इस समय निश्चित नहीं कह सकता कि कब ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

ब्यावर बिलाडा रूट पर नई गांडियां

४४७. श्री **मांगीलाल** (**रायपुर**): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान रोडवेज की गाडियां अजमेर से जोधपुर रूट पर चल रही हैं ?

(२) क्या इस रूट पर रोडवेज की बसें कम चलने के कारण बर, नीमाज, जैतारण, बिलाडा बस स्टेंडों पर मुसाफिरों की भीड लगी रहती है और उनको बसों में जगह नही मिलने के कारण पांच पांच घंटे पडा रहना पडता है ?

(३) क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें जनता द्वारा पहुंच रही हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिये ब्यावर–बिलाडा तक नई

Page No 13

(श्री मांगीलाल)
गाडियां चलाने की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां ।

(२) जी हां, पांच पांच घन्टे तो नहीं लेकिन कुछ देर तक अवश्य इन्तजार करना पडता था । अब नहीं करना पडेगा ।

(३) इस असुविधा को दूर करने के एक सर्विस अजमेर-बिलाडा-जोधपुर के लिये और दो सर्विस जेतारण-ब्यावर के बीच और बढा दी गई हैं ।

(४) यात्रियों की संख्या यदि बढती हुई पाई गई तो गाडियों की संख्या और भी बढा दी जायगी ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या सरकार रोडवेज चलाती है उनकी संख्या प्राइवेट ओनर्स की बसों की संख्या थी उनसे कम है या उनके बराबर है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उनसे कम या बराबर का सवाल नहीं है जितनी जरूरत होती है उतनी चला देते हैं । भीड कम ज्यादा हो तो टाइमिंग बढा देते हैं, जरूरत हो तो बसें भी बढा देते है ।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न टाइमिंग से है बसों से नहीं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : टाइमिंग पहले प्राइवेट से ज्यादा है ।

श्री मांगीलाल : गाडियां बढाने का कौनसी तारीख से तय किया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : २५-१-६३ और १९-१-६३ को गाडियां बढाने के लिये तय किया है ।

श्री मांगीलाल : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगी कि गाडियां बढाई या घटाई जाती हैं उनकी सूचना ग्राम पंचायतों को दी जाती है ताकि पैसेन्जर्स को दी जाय ? पंचायतों को सूचना दे दें तो वे ग्रामों में सरकूलेट करके आगाह कर दें तो मुश्किलात हल हो सकें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, गाडियों का टाइम टेबल बस-स्टेशन पर लगा हुआ होता है ।

श्री रामकिशन (वैर) : सूचना अंग्रेजी में होती है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : बस-स्टेन्ड पर टाइम टेबल लगा हुआ होता है लेकिन मैं अपनी पर्सनल जानकारी से कह सकता हूं कि दो दिन पहले सांगानेर बस स्टेन्ड है उस पर जाकर देखें टाइम टेबल में दौसा की गाडी १॥। बजे जाती थी वह १। बजे चली गई ।

एक माननीय सदस्य : आपकी घडी खराब हो गई होगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : घडी खराब होने का सवाल नहीं है । कोई लिस्ट नहीं है कि कितने बजे जायगी । जो इतना इम्पोर्टेन्ट स्टेशन है जहां से ५० गाडियां रोज आती-जाती हैं, वहां भी नोटिस नहीं लगा रहता ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसी यदि कोई कमी है तो ज्यादा पाबन्दी की जायगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कमी तभी मालूम होगी जब आप बसेज में ट्रेवल करेंगी ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): बैठे बैठे जिन्दगी भर बसेज में ट्रेवल किया है ।

राजकीय मुद्रणालयों की मशीनें

४४८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय मुद्रणालयों में कुल कितनी कीमत की मशीनें हैं ?

(२) इनमें से कितनी वर्किंग आर्डर में हैं और कितनी बन्द पडी हैं ? ये बन्द क्यों पडी हैं ? क्या इनकी मरम्मत नहीं हो सकती ?

(३) क्या चालू मशीनें अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं ?

(४) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी लागत की मशीनें खरीदी हैं अथवा खरीदने का विचार सरकार कर रही है ?

(५) क्या इन मुद्रणालयों में वार्निशिग मशीन्स (Varnishing machines) हैं ? यदि हां, तो कितनी और कहां कहां पर और कितनी कीमत की ? इनका उपयोग अभी तक क्या हुआ और कब तक कितनी वेल्युएशन (valuation) का उपयोग हुआ ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) लगभग १७, १८, ८२६) रुपये की कीमत की हैं।

(२) सभी प्रकार की कुल २१४ मशीनें वर्किंग आर्डर में हैं तथा ६५ मशीनें बन्द पडी हैं जो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है तथा मरम्मत योग्य नहीं हैं।

(३) जी हां।

(४) चालू वर्ष में न तो कोई नई मशीनें खरीदी गई हैं और न ही खरीदने का विचार है।

(५) केवल राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में ही एक वार्निशिग मशीन जून सन् १९६१ को मंगाई गई थी जिसकी कीमत ९,३४२.५० नये पैसे है। अभी तक इससे काम लेना शुरू नहीं किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मशीन किस लिये मंगाई गई थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वार्निशिग के लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वार्निशिग का कोई काम होता था जिस समय मशीन मंगाई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : काम पड जाता है, इसलिये मशीन मंगा ली थी। यह नहीं देखते कि जब काम पडे तब मशीन मंगाई जाय। अभी काम नहीं पडा, इसलिये युटिलाइजेशन नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उस वक्त काम था जब मशीन मंगवाई गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जब जरूरत पडेगी उस वक्त काम ले लिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिना जरूरत के मशीन क्यों मंगवाई गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि जरूरत पडती है। जरूरत पडे तो आज पड जाय और अगर आज जरूरत नहीं पडे तो कल पड सकती है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : नई मशीन के लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि चालू वर्ष में मशीन खरीदने

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

का विचार नहीं है, तो फिर टेन्डर कैसे इन्वाइट किये जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सरकार की ओर से टेन्डर इन्वाइट किये हुए चल रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर किस बात की जानकारी है ? क्या यह बता सकती हैं कि जो मशीन, आप बता रही हैं, चालू हालत में है, वह उतने ही इम्प्रेशन देती है जितने हर मशीन के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ठीक हालत में है, काम करने की हालत में है।

श्री भैरोंसिंह : मशीन के ठीक हालत में होने का पता तब लगता है, जब जितने इम्प्रेशन आने चाहिए उतने देती है।

श्री अध्यक्ष : वार्निशिंग मशीन है या व्हाइट वाशिंग मशीन है ?

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : यह वार्निशिंग मशीन आप बता रही हैं, यह जयपुर प्रेस में है या बाकी की प्रेसेज में है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, एक ही मंगाई गई है।

श्री भैरोंसिंह : है या नहीं ? मेरा प्रश्न है कि हर एक प्रेस के लिये मंगाई या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक है, सबके लिए।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि नई मशीन के संबंध में सुपरिटेन्डेन्ट और डाइरेक्टर में मतभेद हुआ है। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मशीन नहीं खरीदनी चाहिए और डाइरेक्टर ने कहा कि खरीदनी चाहिए ? एक बात। दूसरी बात है कि यह रिपेअर होने लायक है, उसके लिए कोई टेक्निकल ओपीनियन नहीं ली गई है कि यह मशीन ठीक होने लायक है या सरकार के नोटिस में नहीं लाई गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह ओब्सोलीट मशीन कही जाती है। डाइरेक्टर की रिपोर्ट है कि यह ओब्सोलीट मशीन है। इसके लिए एक कमेटी बनाई है, वह जांच करके बतायेगी कि डाइरेक्टर ने कहा है वह ठीक है या नहीं। उसके बाद एक कमेटी अपोइन्ट होगी जिसकी देख रेख में इसका आक्शन किया जायगा, अगर यह रिपोर्ट आई कि यह सर्विसेबल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस कमेटी के चेयरमैन ने गवर्नमेन्ट को लिखा है कि नहीं लेनी चाहिए और गवर्नमेन्ट ने लिखा है

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : २१४ मशीन जो वर्किंग स्थिति में हैं उनकी छापने की केपेसिटी कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : यह जुदा प्रश्न है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या वे पूरी क्षमता से काम कर रही हैं ? इन्होंने क्वेश्चन के सब-क्वेश्चन तीन में कहा है, "क्या चालू मशीनें अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है ?' आपने कहा है, "जी हां;" जब आपने

Page No 16

(श्री मनिकचन्द सुराणा)
'जी हां' कहा है, तो हम पूछ रहे हैं कि कितनी क्षमता है, कितनी छापती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह समझता हूं, I am not in a position to give that answer. आब्सोलीट मशीन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : you should be. आपने बताया है कि २१४ वर्किंग आर्डर में मशीनें हैं। उनसे क्या उतने ही पेज छपते हैं जितने एक मशीन से पेज छपने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह केलकुलेट की जा सकती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितने पर्सेन्ट पर अफीसियेट मशीनें मानते हैं, क्या तरीका रखते हैं ? क्या हर मशीन की अफीसियेन्सी के बारे में पीरियोडिकल सर्वे करते हैं कि कितने पर्सेन्ट अफीसियेन्सी से वर्क करती रही हैं मैकेनीकली ?

श्री मोतीलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न...

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह नेसेसरी सप्लीमेन्ट्री अराइज होता है। आपने क्वेश्चन के सब-क्वेश्चन (३) के जवाब में कहा है, "जी हां," तो यह नेसेसरी सप्लीमेन्ट्री अराइज हो जाता है। आप फर्माती हैं कि नहीं बता सकती हैं तो फिर किस प्रकार सरकार कह सकती है कि उतनी ही क्षमता से काम कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : फिर तो हर मशीन का जुदा जुदा बताना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर्सेन्टेज बताना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : No, no. It is not a valid supplementary.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर्सेन्टेज मशीन का रखते हैं या नहीं ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा प्रश्न यह था...

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : एक बहुत आवश्यक सप्लीमेन्ट्री रह गया है...

श्री अध्यक्ष : Next question.

राजस्थान में विद्युत् क्षमता

४४९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दूसरी योजना पूरी होने के बाद राजस्थान में विद्युत् की:—

(अ) कुल Firm generating capacity, एवं

(ब) Net generating capacity क्या है ?

(२) राज्य की उपलब्ध कुल विद्युत् शक्ति का कितना अंश उपयोग में न आकर बेकार पडा रहता है एवं उसके क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : १. दूसरी योजना के पूरी होने के बाद राजस्थान में विद्युत् की Firm Generating & Net Generating capacity क्रमशः (अ) ६४,८३० (के. डब्ल्यू०) (बी) १०८,९९३ (के०डब्ल्यू) है।

Page No 17

(श्री परसराम मदेरणा)

२. ३३ प्रतिशत विद्युत् का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि भाखरा क्षेत्र में औद्योगिक भार प्राप्त नहीं हो रहा है। इस्पात तथा अन्य यंत्रों के देरी से प्राप्त होने के कारण चम्बल विद्युत् देरी से चालू किया गया। इसलिये पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। साथ ही साथ पी. वी. सी. फैक्ट्री के लिये जो रिजर्व्ड पावर है उस शक्ति का पूरा उपयोग नहीं होने के कारण भी ऐसा हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चम्बल में कितने पर्सेन्ट बिजली है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : चम्बल में इन्स्टाल्ड कैपेसिटी ३४,५०० किलोवाट है, फर्म कैपेसिटी २०,००० है, अभी युटीलाइजेशन १६,६५० का कर रहे हैं, नॉन युटीलाइजेशन ३३५० का है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : टी. वी. सी. एग्रीमेन्ट के मुताबिक कब तक पावर ले ली जानी चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : कब तक लेनी चाहिये ? हम देते हैं वे ले नहीं रहे हैं। पहले प्रश्न पूछा गया था उस वक्त नहीं ले रहे थे। अब चार हजार किलोवाट ले रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो बिजली चम्बल की अनयुटीलाइज्ड पडी है, क्या उसके लिए सीमेन्ट फैक्ट्री ने दरख्वास्त की थी, लेकिन सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): कौन सी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री ने जो अनयुटिलाइज्ड बिजली पडी थी उसके उपयोग के लिये दरख्वास्त पेश की थी लेकिन उसको आपने मंजूर नहीं किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के कार्यालय में इस तरह की सूचना अवश्य होगी कि कम से कम जितनी अनयुटिलाइज्ड बिजली पडी थी उसको कन्ज्यूम करने के लिये उन्होंने दर्ख्वास्त की थी। उसने यह भी कहा था कि जब दिल्ली क्लॉथ मिल को सप्लाई करें उस वक्त हमारी बिजली बन्द कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी युटीलाइज करने की पर्मीशन नहीं दी है और वह अनयुटीलाइज्ड पडी रही बेकार में, आप इसकी जांच करें।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी बात नहीं है। आप जैसे फर्मा रहे हैं उतना वह सिम्पल नहीं है। उनका एग्रीमेन्ट है, उसके सिलसिले में मुझे जानकारी है, मेरे पास अभी कोई कागज नहीं है, लेकिन जो एग्रीमेन्ट पुरानी रियासत से था, उसके संबंध में हमारा उनसे विवाद चल रहा है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : वह अलग प्रश्न है कि आपका विवाद चल रहा है। प्रश्न यह था कि अनयुटीलाइज्ड पावर थी . . .

श्री **हरिश्चन्द्र** : Until the agreement is finalised we cannot give you any power.

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आप टर्म्स पर दे सकते हैं।

श्री **हरिश्चन्द्र** : अगर वे लेना चाहते हैं तो हम इन्कार नहीं करेंगे।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आपने दी नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया ।

श्री **हरिश्चन्द्र** : आप मुझसे मिल लें, मैं आपको बता दूंगा ।

श्री **माणिकचन्द सुराणा** : यह मेरा प्रश्न ही नहीं है, यह सदन की दिलचस्पी का प्रश्न है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी कह तो रहे हैं कि जानकारी नहीं है कि किस तरह की ऑफर है ।

श्री **हरिश्चन्द्र** : जानकारी है मेरे पास, जिस टर्म्स पर हमसे लेना चाहते हैं–वे पुराने एग्रीमेन्ट को कन्टीन्यू करवाना चाहते हैं । हम कहते हैं, आप ले सकते हैं लेकिन नई कन्डीशन पर लीजिये ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : दिल्ली क्लॉथ मिल का जितनी बिजली लेने का वायदा था, वह युटीलाइज नहीं कर रही है इसलिये बिजली अनयुटीलाइज्ड पडी है ।

श्री **हरिश्चन्द्र** : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि पच्चीस हजार किलोवाट बिजली एक साथ नहीं ली जा सकती है। पहले नहीं ले रहे थे, अब चार हजार किलोवाट ले रहे हैं, फिर छः हजार किलोवाट ले रहे हैं । हम स्टेगर प्रोग्राम के अनुसार कर रहे हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज को रोक–रोक कर दे रहे हैं; जैसे सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री वालों ने कहा तो उनको इस वास्ते नहीं दे सकते क्योंकि उनकी डिमाण्ड आई नहीं थी ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सवाल यह है कि दिल्ली क्लॉथ वालों ने बिजली रिजर्व कर ली और वे युटीलाइज नहीं करते हैं तो उनसे आप पैसा चार्ज कीजिये, you are committed to their reservation. बिजली रिजर्व कर ली और फिर युटीलाइज नहीं करते हैं तो आप पैसा लीजिये ।

श्री **हरिश्चन्द्र** : That will depend upon the agreement.

श्री **मानिकचन्द सुरा** : ऐग्रीमेन्ट में जब यह शर्त डाली कि इस डेट तक बिजली लेनी पडेगी; इसके बावजूद भी नहीं ले तो एक तरफ आप उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं और फिर दूसरों को नहीं दे रहे हैं ।

श्री **हरिश्चन्द्र** : दूसरों को देने के सम्बन्ध में मैंने अर्ज किया कि सवाई माधोपुर का प्रश्न डिफरेन्ट प्रश्न है . . . .

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वित्त मंत्रीजी,

श्री **हरिश्चन्द्र** : जहां तक उनका सवाल है, मैंने आपको स्थिति बताई ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ८५ लाख के घाटे को पूरा करने का आइटम है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : भाखरा क्षेत्र में इंडस्ट्रीज बिजली लेती नहीं हैं, इस बिजली को युटीलाइज नहीं कर पाती हैं तो अलवर और भरतपुर जिले में, जो नजदीक पडता है वहां एग्रीकल्चर सैक्टर और इंडस्ट्रियल सैक्टर में मांग है, उस एरिया से कनेक्ट करके बिजली क्यों नहीं दी गई ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : अलवर का प्रश्न नहीं है । कोपर स्मैल्टर की डिमाण्ड आई है,

(श्री हरिश्चन्द्र)
उसको बची हुई दे देंगे। अलवर का प्रश्न नहीं है। उसको कहां से डील कर सकते हैं, वह दूसरा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कोपर स्मैल्टर का अलग है। पंजाब के शेयर उसके अलावा है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह आप फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज की बात करते हैं। उसको सैन्टर से मिलेगी।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : खेतडी है उसको राजस्थान से देंगे ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : अभी तो इसी से दिया जावेगा, बाद में क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता।

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट।

श्री महावीर-मऊ, इब्राहीमपुर सड़क योजना

४५०. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या श्री महावीरजी से मीना नगला, गांवडी, गढी, पीपलहेडा, श्यामपुर, मुडरी, मऊ इब्राहीमपुर तक कोई सडक की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो यह योजना कब प्रारम्भ होगी ?

(२) यदि योजना नहीं बनी है, तो योजना कब तक बनायी जायगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(२) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दौसा म्युनिसिपल एरिया के मोहल्लों को बिजली

४५१. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि कस्बा दौसा म्युनिसिपल एरिया में करीबन १० मास पूर्व सभी मोहल्लों में नये बिजली के खम्भे लगाये गये थे और उन पर तार भी कस दिये गये थे लेकिन अभी तक बिजली (पावर) चालू नहीं की गई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों व अब सरकार कब तक विद्युत् चालू करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा): १. जी हां, । खंभे लगाये थे पर तार नहीं कसे। यह सब कार्य म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा किया गया था इसकी जानकारी विद्युत् विभाग को नहीं है।

२. विद्युत् चालू करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा विद्युत् मंडल के पास अब तक इस आशय का कोई पत्र नहीं आया है।

श्री मूलचंद चौधरी : ये खम्भे लगाये गये हैं, लेकिन इन पर लोड कब चालू कर दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह हमको जानकारी नहीं है। यह तो म्युनिसिपेलिटी के अध्यक्ष जानते हैं।

श्री मूलचंद चौधरी: तार तो लगाये हैं।

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): यह म्युनिसिपेलिटी ने लगाये हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): अब आपकी तरफ से बिजली कब तक दौसा को दे दी जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : दौसा में बिजली है।

श्री मूलचंद चौधरी: पब्लिक स्ट्रीट में आपने सिर्फ खम्भे लगाये हैं। रोशनी अभी तक नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): खम्भों पर बिजली कब तक लग जावेगी ?

ग्राम चिचाना में पुलिया की मरम्मत

४५२. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या ग्राम चिचाना, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के निकट जो पुलिया स्टेट के समय की बनी वह अब बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है ?

(२) वर्षा ऋतु के समय इसके तटस्थ ग्रामों की जनता की भयानक कठिनाइयों, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु आदि को ध्यान में रखते हुए क्या इसकी मरम्मत के लिये सोचा है ?

(३) यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):

(१) जी हां। मरम्मत तलब है।

(२) जी हां।

(३) इस पुलिया की मरम्मत अगली बाढ के पूर्व करवा दी जायेगी।

श्री सांवलियाराम : वर्षा में शुरू कर दिया जायेगा। पहले क्यों नहीं ? लोग इधर उधर जाते हैं, बहुत परेशानी रहती है।

श्री दिनेशराय डांगी : अभी अभी वर्षा गई है। अब जल्दी बना दिया जावेगा।

श्री सांवलियाराम : पहले क्यों नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसके लिये एस्टीमेट बनाना पडता है। इसके अलावा पैसे भी चाहिये।

श्री सांवलियाराम : गुजरने वालों के लिये यह कितने महत्व की चीज है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह तो वहां के रहने वाले ही जान सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! प्रश्न संख्या ४५३.

श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५४.

श्री अमृतलाल यादव।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सारस्वत।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी आज्ञा से यह प्रश्न में पूछ सकता हूं ?

(वे आगये हैं, पीछे खडे हैं—की आवाज)

ग्राम दडीबा को बिजली, तहसील सुजानगढ

४५५. **श्री मोहन लाल सारस्वत** (रतनगढ) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सुजानगढ तहसील में बीदासर के पास एक सुन्दर गांव दडीबा नाम का है जिसकी जनसंख्या ३५०० है तथा इस गांव की बसावट शहरों की किस्म की है और पक्के मकान भी बने हुए हैं ?

(२) क्या उक्त गांव में विद्युत विभाग का सब-स्टेशन है जिससे बीदासर और सान्डवा को बिजली सप्लाई की जाती है लेकिन दडीबा गांव को बिजली नहीं दी जाती है जिससे जनसाधारण को बहुत बडी तकलीफ का सामना करना पडता है और सरकार को भी बहुत बडी रेवेन्यू का नुकसान होता है ?

(३) क्या इस गांव में विद्युत लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री परसराम मदेरणा):

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। ६३–६४ में।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): क्या यह सही है कि जब तक ५ हजार की संख्या के गांवो में बिजली नहीं पहुंचा सकेंगे तब तक कम संख्या वालों को बिजली नहीं दी जावेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री मोतीलाल चौधरी : ५००० से ऊपर की आबादी के सभी गांवों को अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है, कब तक पहुंचा दी जावगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इस सिलसिले में रूरल एरियाज को बिजली एग्रीकल्चरल प्रॉडक्शन को बढाने के लिये दिये जाने की ज्यादा संभावना है। उनके साथ साथ उन गांवों में भी बिजली देने की योजना है जहां पम्पिंग सैट लग सकते हैं और उस योजना के अनुसार दडीबा को भी बिजली दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अब तक बिजली नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला जालौर में विभिन्न प्रकार के अपराध

४५६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पिछले तीन वर्षों में जिला जालौर में कितने मर्डर्स, डेकोइटीज, केटल लिफ्टिंग व बर्गरीज के मुकदमात दर्ज हुए ?

(२) उन मुकदमात को खोजने में पुलिस को कहां तक कामयाबी मिली ?

(३) उनमें से कितने मुकदमात में मुलजिमान अदालत में रिहा या बरी हुए ? ऐसा होने के क्या २ कारण थे ?

(४) क्या यह सच है कि जिला जालौर में केटल लिफ्टिंग की बडी भारी समस्या है ? अगर हां, तो उसका हल

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
निकालने के बारे में सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ?

(५) क्या यह सच है कि कैटल लिफ्टिंग केसेज में माल की बरामदगी करने में पिछले वर्षों में जिला जालौर में पुलिस ज्यादातर मुकदमात में नाकामयाब रही है ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या क्या कारण थे ?

(६) क्या यह सच है कि जिला जालौर में पिछले वर्ष क्राइम इन्डेक्स बढा है ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण थे ?

(७) क्या सरकार जिला जालौर में क्राइम का कन्ट्रोल करने के लिये स्थानीय पुलिस को कुछ ज्यादा सुविधायें देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वे सुविधायें क्या क्या होंगी और कब तक दे दी जावेंगी ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) सन् ६० से ६२ तक जिला जालौर में कत्ल के ५०, डकैती के २, कैटल लिफ्टिंग के १८८ व सेंध लगाने के २७६ मुकदमात दर्ज हुए ।

(२) इनमें से कत्ल के ४१, डकैती के दोनों, सरका मवेशी के ११० व सेंध लगाने के १२३ मुकदमात का पुलिस पता लगा पाई ।

(३) कत्ल के ५, सरका मवेशी के दो, सेंध लगाने के १६ मुकदमों में मुलजिमान बरी या रिहा हुए । बरियत का मुख्य कारण फरीकेन में बाहमी राजीनामा हो जाने से गवाहान का बिगडना था ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी हां । क्राइम इन्डेक्स बढाने का कारण फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम अर्थात मुकदमात को इक्फा करने की प्रवृत्ति को रोकने का था ।

(७) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कैटल लिफ्टिंग में फैल होने के कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

सडक निर्माण–जिला बाडमेर

४५७. **श्री उम्मेदसिंह** (बाडमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सरकार की बाडमेर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई सडक निर्माण की योजना है ?

(२) यदि हां, तो किस २ जगह तथा अब तक उनका कितना कार्य हो चुका है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) सूची प्रस्तुत है । अर्थाभाव के कारण अभी नवीन कार्य आरम्भ नहीं कराये जा सके हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री उम्मेदसिंह: समझ में नहीं आया ।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : तीसरी योजना के चौथे साल में शुरू कराया जावेगा ।

श्री उम्मेदसिंह: पहली योजना में नहीं लिया, दूसरी योजना में नहीं लिया और अब तीसरी योजना में कहा जाता है कि चौथे साल के बाद में शुरू होगा तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उस सडक की क्या हालत है वे खुद जाकर देख लें ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

पुलिस विभाग का उडन दस्ता

४५८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में पुलिस उडन दस्ता टैलीफोन नाम से अलग सेक्शन है ? यदि हां, तो यह कब से कार्य कर रहा है ?

(२) इस सेक्शन के पास कितनी गाडियां किन २ नम्बरों की हैं और उनकी लागत कितनी है ?

(३) इन गाडियों पर ड्राइवर, पेट्रोल आदि पर साल भर में कितना खर्चा होता है ?

(४) इस सैक्शन में कुल कितना स्टाफ लगा रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) इस सैक्शन की ओर से आज तक कितने केस पकडे गये, जिनमें से कितनों के चालान अदालतों में भेजे गये और उनमें से कितने केसों में विभाग को कामयाबी मिली ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(६) इस सैक्शन का कुल मिला कर कितना सालाना खर्चा है ?

(७) इस सैक्शन के द्वारा राजस्थान के कौन कौन से शहरों में कार्य चल रहा है ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) पुलिस उडन दस्ते निम्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं:—

जयपुर—अक्टूबर सन् १९६२ से

अजमेर—सन् १९५८ से

जोधपुर—जनवरी सन् १९६३ से

उदयपुर—सन् १९५८ से

'टैलीफोन' नाम से कोई उडन दस्ता कहीं पर भी नहीं है ।

(२) इन उडन दस्तों के लिए निम्न गाडियां नियुक्त हैं। आप कहें तो नंबर पढ दूं ?

श्री अध्यक्ष: पढने की जरूरत नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर: (३) इन गाडियों के ड्राइवरों एवं पैट्रोल पर निम्न खर्चा हुआ है:—

जयपुर में अक्टूबर १९६२ से ३१-१-६३ तक ६,१११.१८ नये पैसे

अजमेर में सन् १९६२ में ३,७८५.२८ नये पैसे

जोधपुर में फरवरी १९६३ से ही यह दस्ता कार्य करने लगा है । अतः साल भर का हिसाब बताना संभव नहीं है ।

उदयपुर में सन् १९६२ में ४,८९१.८७ नये पैसे

(श्री मथुरादास माथुर)

(४) इस सैक्शन में निम्न स्टाफ लगा रखा है :—

	सब इन्स-पेक्टर	बी. जे.	हैड का.	कानिस-टेबिल
जयपुर	४	५	६	१९
अजमेर	१	–	–	१२
जोधपुर	१	–	२	१२
उदयपुर	१	–	१	८

(५) किसी घटना की या शान्ति के भंग के संदेश की सूचना मिलते ही यह दस्ता फौरन पहुंच जाता है एवं सम्बंधित थाने की पुलिस घटनास्थल पर न पहुंच पाये तब तक की जरूरी कानूनी कार्यवाही करता है। अतः इसके द्वारा पकडे गये केसेज का पृथक ब्यौरे पर रेकार्ड नहीं रखा जाता।

(६) जयपुर में ५,७६२ रुपये लगभग। अजमेर में १९,८५७ रुपये लगभग। उदयपुर में १६,५०८ रुपये लगभग।

जोधपुर में यह दस्ता इस जनवरी से कायम हुआ है, अतः इसका सालाना खर्चा बताने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(७) जयपुर अजमेर, जोधपुर, एवं उदयपुर।

श्री जयनारायण सालोविया : भाग (४) और (५) में मैंने लिस्ट चाही है, लिस्ट मुझे नहीं दी गई।

(विराम)

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): ये उडन दस्ते क्राइम प्रिवेन्शन के लिहाज से कायम किये गये हैं या क्राइम डिटेक्शन के लिहाज से, किस हिसाब से कायम किये गये हैं और इनको कायम करने से पहले जितना क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेन्शन कर सकते थे उससे इन उडन दस्तों को कायम करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट कर सके हैं, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों के लिये है, क्राइम प्रिवेन्शन और क्राइम डिटेक्शन।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इन उडन दस्तों को कायम करने के बाद में क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेशन में कितनी तरक्की की है, क्या यह बता सकेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर में जनवरी से शुरू किया है, जयपुर में लास्ट ईयर मिडल आफ दी सेशन में किया था, तो अभी यह जल्दी होगा कहना कि कितने परसेंटेज तरक्की की है। पर दूसरी जगह दिल्ली और दूसरे बडे बडे शहरों में इनसे कम से कम १५-२० पर्सेंट क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेन्शन दोनों में ही फरक पडा है। यहां कितना होगा यह कुछ अर्सा बीतने पर ही, कम से कम एक–दो साल बीतने पर ही, बताया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन उडन दस्तों का वे आफ आपरेशन (way of operation) क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : वे आफ आपरेशन यह है कि एक सेंटर होता है जहां उडन दस्ते खडे रहते हैं, इनमें वायरलेस लगा होता है, कन्ट्रोल रूम में वायरलेस होता है, कन्ट्रोल रूम से इनका लिंक होता है। कोई भी आफेंस हो उसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को टेलिफोन से की जाती है और कन्ट्रोल रूम से समाचार

(श्री मथुरादास माथुर)
मिलते ही उडन दस्ता फौरन मौके पर पहुंच जाता है। उडन दस्ता अगर घूमता होता है तो कन्ट्रोल रूम को इत्तला पहुंचा देते हैं। इस तरह का लिंक रहता है कि उडन दस्ता फौरन घटनास्थल पर पहुंच जाता है। शहर में घूमता हुआ होता है तो कन्ट्रोल रूम को इत्तला कर दी जाती है और वहां उडन दस्ता पहुंच जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सारे उडन दस्तों को वायरलेस प्रोवाइड किये हुए हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर में तो प्रोवाइड किये हुए हैं। बाकी वायरलेस सैट्स की कमी है, इसलिये जोधपुर, उदयपुर अजमेर में नहीं दिये हैं। नये बना रहे हैं, उनके बनते ही इनको भी उपलब्ध करा देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में ये दस्ते कायम किये गये हैं तो बीकानेर में क्यों नहीं रखा गया है वहां स्मगलिंग के केसेज ज्यादा होते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिह : (किशनपोल, जयपुर) : वहां उडन दस्ते खुद भी सुरक्षित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिंचाई विभाग के ओवरसियरों की पदोन्नति

४५६. **श्री हरदत्त सिंह** (नौहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दिनांक १२-४-६२ को बहुक्म चीफ़ इन्जीनियर सिंचाई विभाग नं० ४० इ. एस. टी. (जी,) ५६६ दिनांक १२-४-६२ सात ग्रोवरसियरों को तरक्की दी जाकर असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाया गया?

(ख) क्या यह भी सही है कि इन उपरोक्त सातों ग्रोवरसियरों में से कोई भी डिप्लोमा होल्डर नहीं था?

(ग) यदि हां, तो फिर इन ग्रोवरसियरों की पदोन्नति किस किस ग्राधार पर दी गई?

(घ) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सातों ग्रोवरसियरों की नियुक्तियां विकास खण्डों में की गई है?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखा भाई) :
(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह पदोन्नति एड-हॉक बेसिस पर की गई है।

(घ) जी हां।

श्री हरदयालसिंह : एडहॉक बेसिस की क्या डैफ़िनेशन है?

श्री भीखाभाई : यह है कि इरिगेशन रूल्स के ग्रन्तर्गत इस तरह प्रोमोशन देने के ग्रधिकार हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या फ़ेवेरेटिज्म करने के ग्रधिकार हैं?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री हरदत्त सिंह : यह जो पदोन्नतियां की गई हैं, ग्रापके महकमें की जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से इनमें से

(श्री हरदत्तसिंह)
कोई उस लिस्ट के सीरियल नं० १०३ पर है, कोई ८६ नं० पर है तो कोई १ नम्बर पर है। सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक पदोन्नतियां नहीं की गई तो यहां तो एडहॉक का मतलब स्वेच्छाचारिता हो गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक प्रश्न और। क्या असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाने के लिये डिप्लोमा होल्डर की बेसिक क्वालिफ़िकेशन रखी है ?

श्री भीखाभाई : रूल्स में क्लियर नहीं है। रूल्स के अन्तर्गत यह है, टैक्निकल क्वालिफिकेशन एण्ड नॉलेज।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या असिस्टेन्ट इन्जीनियर के लिये बेसिक क्वालिफ़िकेशन नहीं रखी है ?

श्री भीखाभाई : आम तौर से असिस्टेन्ट इन्जीनियर डिप्लोमा होल्डर होते हैं। यह प्रोमोशन का मामला था। प्रोमोशन्स के लिये डिपार्टमेन्टल कमेटी बैठती है, उसमें इस प्रकार का इन्टरप्रेटेशन लिया। उस कमेटी में ईरिगेशन सेक्रेटरी, अपोइन्टमेन्ट सेक्रेटरी, चेअर मैन पी. एस. सी. भी होते हैं। यह कमेटी लिस्ट तैयार कर के पी. एस. सी. के पास भेजती है। इस मामले में सरकार को लिस्ट नहीं गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह आश्वासन देंगे कि इन ७ आदमियों के पास आवश्यक क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो डिमोट करने आदि की आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री भीखाभाई : प्रोमोशन के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है कि सरकार के पास लिस्ट नहीं आई। कमेटी ने किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर होने के लिये जो क्वालिफिकेशन आवश्यक है वह क्वालिफिकेशन इनमें नहीं है और एडहाक बेसिस पर प्रोमोट कर दिया है तो क्या यदि इनमें क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो उनको वापिस डिमोट करेंगे ?

श्री भीखाभाई : यह सरकार ने नहीं किया है, इनकी सर्विसेज के अनुसार किया है। जैसे फतेहसिंह ओवरसियर हैं लखनऊ से डीप्लोमा प्राप्त है....

श्री अध्यक्ष : इन्डिविज्युअल्स पर मत जाइये इन्डिविज्यु अल्स से शुरु करेंगे तो वे भी शुरु कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : १२-४-६२ से प्रोमोशन देने के बाद सरकार के ध्यान में क्यों नहीं लाया गया कि उनको कन्फर्म करने के लिये कमेटी की बैठक बैठाई जाय ?

श्री भीखाभाई : पी. एस. सी. ने किया है।

श्री भैरोंसिंह : ६ महीने से ज्यादा किसी सूरत में नहीं रख सकते।

श्री अध्यक्ष : सरकार की नीति क्या है ? डिप्लोमा नहीं हो तो भी असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाया जाय ?

श्री भीखाभाई : सरकार की नीति तो यह है कि डिप्लोमा होल्डर होना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर तो जांच करा कर सरकार को इस सम्बन्ध में एक्शन लेना चाहिये ?

श्री भीखाभाई : जांच जारी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस तारीख से जारी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन । नेक्स्ट क्वेश्चन । बहुत क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं।

.आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर

४६०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की संख्या क्या है ?

(२) उक्त औषधालय को साल भर में कितने रुपये की दवाई भेजी जाती है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) लगभग ७५० रोगी प्रति दिन ।

(२) उक्त औषधालय को साल भर में ६,५००) की औसतन औषधि चली जाती है ।

श्री रामकिशन : सुनाई नहीं दिया ।

श्री दौलतराम सारण: लीजिये फिर सुन लीजिये ।

(उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री रामकिशन : क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए सरकार औषधियों के लिये रकम बढ़ाना उचित नहीं समझती ?

श्री दौलतराम सारण : रोगियों की अधिकता को देखते हुए ही इस औषधालय को ज्यादा औषधियां भेजी जाती हैं ।

श्री रामकिशन : क्या जो सेंक्शन्ड बजट है उससे ज्यादा भेजी जाती हैं ? अब तक कितनी भेजी गई हैं ?

श्री दौलतराम सारण: इस औषधालय को बजट के मुताबिक ५ हजार की औषधियां मिलनी चाहियें पर रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण औसतन ६५०० रु० की औषधियां मिलती हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तेजाराम गहलोत ।

स्टेट रोडवेज की बसों के ठहरने के डिपोज

४६१. श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कहां कहां पर स्टेट रोडवेज की बसों के ठहरने के डिपोज हैं व उनका मासिक कितना २ किराया है ?

(२) उपरोक्त डिपोज को किराये पर लेने के पहिले क्या रोडवेज ऑथोरिटीज ने कलेक्टर व पी. डब्लू. डी. इन्जीनियर से इस बात का सर्टिफिकेट लिया था कि नजदीक में कहीं पर भी स्टेट रोडवेज की बसें खड़ी करने की व्यवस्था नहीं हो सकती है ?

(३) प्रश्न नं० १ में बताये गये डिपोज का बिल्ट एरिया कितना है ? क्या सरकारी रेट्स (पी. डब्लू. डी. रेट्स) से उपरोक्त डिपोज का किराया दिया जा रहा है ?

Page No 28

(श्री तेजाराम गहलोत)

(४) स्टेट रोड़वेज के स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था व ऑफिस की व्यवस्था क्या डिपोज़ में ही हैं ? अगर हैं तो कहां कहां ?

उप मन्त्री रोडवेज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(२) जी हां।

(३) जी हां, किराया सरकारी रेट से ही दिया जा रहा हैं।

(४) सिर्फ जयपुर, आबूरोड, जोधपुर, सिरोही, अजमेर व कोटा के डीपोज़ में आफिस की व्यवस्था हैं। स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था सिवाय जोधपुर, आबू व सिरोही के और कहीं नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री **तेजाराम** गहलोत: सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई हैं। मंत्राणीजी बताने की कृपा करें कि सूची में कितने सीरियल नं० डिपोज के और उनका कितनों का किराया १००) रु. से कम हैं और कितनों काम १००) रु० से ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो आप देख लें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने सूची देख भी ली थी, अध्ययन भी कर लिया था, उसके बाद भी चाहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री तेजाराम गहलोत : सूची में २४ नं. हैं, ८७४ रुपया किस डिपो का हैं और उसका बिल्ट एरिया क्या हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: सारे पी. डब्लू.डी. से एस्टीमेट तैयार करवा कर लिये गये हैं। सारों का बिल्ट एरिया केल्कुलेट नहीं हो सका हैं।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि सारे डिपोज़ किराये पर लिये हैं, उनको सरकारी दर पर लिया गया हैं।

श्री **तेजाराम** गहलोत: जितने डिपोज़ हैं उनका किराया १००) रु० से कम हैं, जोधपुर के डिपो का किराया ८७४) रु० माहवार हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कम्पेरेटिवली बतावे कि बिल्ट एरिया कितना हैं और किराया ठीक हैं या नहीं ?

यातायत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): पी. डब्ल्यू. डी. ने असेस किया उसके मुताबिक किराया दे रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह स्थान शहर की घनी आबादी से, जहां बसेज़ ठहरती हैं, कितनी दूर है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग प्रश्न है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : साधारण रेट से न लिया जाकर पोलिटिकल रेट से लिया है ?

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री हरिश्चन्द : पोलीटिकल रेट मेरे सामने नहीं हैं। पी. डब्ल्य. डी. ने जो असेस किया है वह है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किराया और डिपोज़ का दिखाया गया है ४०), ५०) रुपया जबकि यहां के डिपो का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किराया ८७४) रु० है, तो हम यह जानना चाहेंगे कि पहले जब वह जगह ली गई थी उसके अलावा और जगह अवेलेबल थी या नहीं? क्या कलैक्टर और पी. डब्ल्यू. डी. से इस प्रकार का सर्टिफ़िकेट आगया था कि इसके अलावा और जगह नहीं मिल सकती थी? हमारी जानकारी में हाईकोर्ट के पास और जगह अवेलेबल है और मिल सकती थी सस्ती रेट पर।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा था कि ज़मीन के लिये पहले वहां कोशिश की गई थी कि कलैक्टर के मशविरे से ज़मीन ली जाय। वह ज़मीन टाउन हॉल के लिए रिज़र्व होगई, वह टाउन हाल अब बनेगा। दूसरी ज़मीन उपलब्ध नहीं थी क्योंकि बसेज़ चल रहीं थीं इसलिये हमने यह मकान किराये पर लिया। किराया जो असेस हुआ है पी. डब्ल्यू. डी. की रेट से हुआ है। डिपो और वर्कशाप भी वहां पर हैं और स्टाफ़ के क्वाटर्स भी वहां पर हैं। जो किराया असेस हुआ है वह पी. डब्ल्यू.-डी. से हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह मकान किसका है?

श्री हरिश्चन्द्र : ठाकुर साहब खेजड़ला का है।

एक माननीय सदस्य : शहर से कितना दूर है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न तो रह गये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ले लिये जायं।

(दिनांक ५ मार्च, १९६३ का स्थगित प्रश्न)

राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग द्वारा की गई खरीद।

१५६. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग द्वारा सन् १९६१-६२ के लिये आमन्त्रित टेन्डर के आइटम नम्बर २० पर लिखित क्लाथ आइल वैक्सलैक सुपिरियर ५४-५६ इन्ची ७,००० गज़ मैसर्स राजस्थान स्टेशनरी स्टोर्स, जयपुर से ४.८९ नये पैसे प्रति गज़ की दर से ख़रीदा गया?

(२) क्या यह सही है कि दूसरी कई फ़र्म्स ने कम रेट्स पर वह कपड़ा देने का टेन्डर दिया था पर वह स्वीकार नहीं किया गया? यदि हां, तो किन किन फ़र्मों का कम रेट का टेन्डर अस्वीकार किया गया और क्यों?

(३) टैन्डर आमन्त्रित करते समय कितने समय में माल सप्लाई करने की शर्त रखी गई थी? क्या इस अवधि में उपरोक्त फ़र्म ने माल सप्लाई किया है? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त फ़र्म ने सैम्पल के लिये ५ सैम्पल पेश किये जिनमें अन्तर पाया गया?

Page No 30

(श्री भैरोंसिंह)

(५) क्या यह सही है कि इस फ़र्म ने स्पेसिफ़िकेशन के अनुसार माल सप्लाई नहीं किया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उप-मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल)*: (१) जी हां, ३,५०० गज का ही ऑर्डर था।

(२) जी हां। १६ फ़र्म्स ने कम रेट्स के टेन्डर्स दिये थे पर उसकी या तो क्वालिटी या साइज़ स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक़ नहीं थी इसलिये पर्चेज़ कमेटी ने अस्वीकृत कर दिये। कम रेट्स वाली फ़र्म्स की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है और कम रेट्स के टेन्डर को मन्जूर नहीं करने के कारण पर्चेज़ कमेटी की प्रोसिडिंग्स में दर्ज है, जिसकी प्रतिलिपि भी सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) टेन्डर की शर्त के अनुसार माल की सप्लाई आर्डर की प्राप्ति के तीन माह में हो जानी चाहिये थी, माल निर्धारित समय में नहीं आने पर टेन्डर की शर्त के अनुसार ५ प्रतिशत पैनल्टी लगाकर माल मन्जूर किया गया है।

(४) जी नहीं। फर्म ने दो कोटेशन्स दिये थे जिनके साथ दो किस्म के एक एक सेम्पल भेजे थे।

(५) जी हां। फर्म ने ५४-५६ साइज के स्थान पर ५०-५२ साइज का माल सप्लाई किया था। इसमें से ३९३ गज २ फीट का भुगतान साइज की कमी के अनुपात के कीमत घटाकर साइज की कीमत के बराबर की पेनेल्टी तथा ५ प्रतिशत दर से सप्लाई करने की पेनेल्टी लगा कर ही संबंधित फर्म को किया गया था।

३,०९५ गज २ इन्च का भुगतान साइज की कमी के अनुपात से कीमत घटा कर तथा पांच प्रतिशत देर से सप्लाई करने की पैनेल्टी लगा कर ही संबंधित फर्म को किया गया है बराबर की पैनेल्टी जो कि नहीं काटी गई है वह फर्म की सिक्योरिटी में से काटी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह: किन किन फर्म्स को टेन्डर इस बात के लिए आमन्त्रित किये थे जिन्होंने ५२ फुट ५६ इंच साइज कोट की थी?

श्रीमती कमला बेनीवाल: सूची मिल गई होगी कि किन-किन फर्म्स ने टेन्डर दिये थे और क्या-क्या कारण हैं।

श्री भैरोंसिंह: कारणों में जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि समय कम है।

श्री भैरोंसिंह: यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट और महत्व का क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: और दूसरा अवसर दे देंगे। इस क्वेश्चन को हाफ एन आवर डिस्कशन या डिमान्ड की बहस के समय भी पूछा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। समय निर्धारित किया उसमें सामान नहीं मिला। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सामान नहीं मिला, सेम्पल लेने चाहियें

(श्री भैरोंसिह)
थे, नहीं लिये और सेम्पल के हिसाब से सामान लेना चाहिये था नहीं लिया, साइज के हिसाब से नहीं लिया फिर सरकार के लिए लाजमी क्यों नहीं है कि इस प्रकार के व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देते हैं, गलत रेट कोट करते हैं और समय पर स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से माल नहीं देते और फिर उसी से क्यों पर्चेज की गई और की जाती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : स्पेसिफिकेशन के मुताविक तो दिया, लेकिन साइज के मुताविक समय पर नहीं दिया। साइज कम दी उसके लिए पैनेल्टी लगाई है, देरी से सामान देने के लिये भी पैनेल्टी लगाई। एक बार नहीं, दुबारा जब यह मामला पर्चेज कमेटी के सामने आया तो पर्चेज कमेटी ने दुबारा डिसीजन लिया फिर पर्चेज किया गया।

श्री भैरोंसिह: ५४-५६ के बजाय ५२-५४ कर दिया, स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामान नहीं दिया, टाइम पर सामान नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सारे मामले की बाकायदा एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जानी चाहिये। प्रेस के मामलों में इतने घोटाले चल रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी को कहा तो वे सुनते नहीं, मंत्री महोदय को कहा तो वे सुनते नहीं। इस प्रेस के मामलों में कोई सुनने वाला नहीं है। लाखों रुपयों की मशीनरी गायब हो जाती है, लाखों रुपये के पर्चेजेज में घोटाले हैं और यहां सदन में जब पूछा जाता है तो इवेजिव रिप्लाई देकर इस प्रकार के मामलों को दबाया जाता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: दबाने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिह : पर्चेज कमेटी ने पर्चेज किये। जिस किसी ने भी गलत किये हैं तो उसके लिये आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, यह गलती किसकी है ? मंत्री महोदय ने एक्शन नहीं लिया तो पर्चेजेज बोनाफाइड होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रेस के जो प्रश्न आये हैं उनको क्यों नहीं एक हाई पावर कमेटी को दे दिये जायं जिससे कि जांच हो सके और माननीय सदस्यों को संतोष हो सके।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो आपने फरमाया है उस पर जरूर गौर करके कार्यवाही की जावेगी।

(दिनांक ६ मार्च, १९६३ का स्थगित प्रश्न)

अजमेर जिले की इमारतों में दोषपूर्ण कार्य

१७४. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अजमेर जिले में बनवाई गई निम्नलिखित इमारतों में बहुत ही दोषपूर्ण काम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और किसकी गलती से तथा किस प्रकार के दोष पाये गये :

1. District Court Building.
2. Mir Shali and Police Lines Quarters and Bungalows.
3. Jawahar High School Building and Polytechnic College, Makhupura.
4. Tourist Bungalow.
5. Police Lines and New Maternity Home.

(२) क्या यह सही है कि एस. ई. ने अपने निरीक्षण नोट में कुछ दोष बताये थे ? यदि हां तो इन दोषों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण: (श्री भवानीशंकर नंदवाना) (१) कुछ भवनों में दोष-पूर्ण कार्य हुए हैं ।

	विवरण दोष	क्या और किसकी गलती
१. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग	इस इमारत में हुड जो ठेकेदार द्वारा बनाया गया था उसमें क्रेक हो गये थे	ठेकेदार का दोष पूर्ण कार्य ।
२. मीर शाह अली तथा पुलिस क्वार्टर्स बंगलोज	कुछ बंगलों में तथा पुलिस के कुछ क्वार्टर्स में छत तथा आर. सी. सी. चौखट का कार्य दोषपूर्ण रहा है	स्पेसिफिकेशन की कमी तथा चौखट आदि का ठेकेदार द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य ।
३. जवाहर हाई स्कूल तथा पोलीटैक्निक कालेज ।	छत में अधिक वर्षा में सील आना	स्पेसिफिकेशन की कमी
४. टूरिस्ट बंगलों	कोई दोष-पूर्ण कार्य नहीं पाया गया	प्रश्न नहीं उठता ।
५. पुलिस लाइन अजमेर व	यह भवन निर्मित नहीं कराया गया	प्रश्न नहीं उठता ।
मेटरनिटी होम, अजमेर	वर्षा ऋतु में छत का चूना	स्पेसिफिकेशन की कमी तथा ठेकेदार का त्रुटि पूर्ण कार्य ।

(२) जी हां। कुछ भवनों में कार्य ठीक करा दिये गये हैं जो ठेकेदार के खर्चे से ठीक कराये गये हैं और कुछ के लिये कार्यवाही जारी है ।

श्री भैरोंसिह: यह काम किस सुपरवाइजर के अन्डर में हुआ है ? क्या ओवरसियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर की निगरानी में ये कार्य हुए थे जो समय पर क्या इन दोषपूर्ण कार्यों को डिटेक्ट नहीं कर सकते थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: उस समय अजमेर में बहुत अधिक काम हो रहे थे, करीब ७० लाख के काम थे इसलिये सुपरविजन की कमी हुई ।

श्री भैरोंसिह: कौन थे ? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो इसको समय पर डिटेक्ट नहीं कर पाये ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे, असिस्टेन्ट इन्जीनियर और ओवरसियर थे ।

श्री भैरोंसिह: क्या इसकी जांच कराई गई ?

Page No 33

श्री भवानीशंकर नंदवाना: कराई जा रही है।

श्री भैरोंसिह: कब से ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: अब जांच कराई जायगी। चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब जांच करने का विचार है।

श्री भैरोंसिह: कान्ट्रेक्टर्स को रेगुलर पेमेन्ट किया जाता रहा है और ओवरसियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर सर्टिफिकेट देते रहे हैं कि काम ठीक है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना: पेमेन्ट तो किया है।

श्री अध्यक्ष: फाइनल पेमेन्ट हो गया?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: फाइनल पेमेन्ट कुछ का हुआ है।

श्री भैरोंसिह: जितने भी दोषपूर्ण कार्य किये गये हैं उन सब को फाइनल पेमेन्ट हो गया है। छतों के लाइन लगवा दी है बरसात में चूना बन्द रहे।

(दिनांक ५ मार्च, १९६३ का स्थिगित प्रश्न)

बांसवाडा रतलाम सड़क में आई भूमि का मुआवजा

१३१. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ज़िला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा–रतलाम सड़क का निर्माण होने से कितने काश्तकारों की ज़मीन सड़क में आई है?

(२) क्या सरकार ने सड़क में आई हुई ज़मीन का मुआवज़ा संबंधित काश्तकारों को चुका दिया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) उक्त सड़क का निर्माण कब हुआ था और खेत मालिकों को पी. डब्ल्यू. डी. ने मुआवज़ा दिलाने हेतु कब रिपोर्ट की थी और उससे कितने किसानों को मुआवज़ा मिला?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना): (१) जी हां, १०४ काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है।

(२) १०४ में से ९१ को मुआवज़ा दिनांक २९-४-६० को चुका दिया गया है।

(३) इस सड़क का कार्य प्रथम पंच-वर्षीय योजना में आरम्भ होकर सन् १९५९ में समाप्त हुआ है।

श्री विट्ठल: क्या इस सड़क में जिनके खेत आये उन सब को मुआवज़ा दिया जा चुका है?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: मैंने निवेदन किया ९१ को दिया जा चुका है और १३ बाक़ी है।

श्री विट्ठल: इन १३ को क्यों नहीं दिया गया?

श्री भवानी शंकर नंदवाना: कलेक्टर ने अवार्ड फ़ाइनल नहीं किया है।

श्री विट्ठल: फ़ाइनल कब होगा?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: जब कलेक्टर अवार्ड दे देगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ज़मीन पर क़ब्ज़ा कब किया था ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : काफ़ी अर्से पहले किया था निश्चित तारीख़ तो मेरे पास नहीं है कलैक्टर का अवार्ड आते ही उनका मुआवज़ा भी चुका दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने वर्ष लग जायेंगे ? कितनी ही दफ़ा इस प्रकार के सवाल आ चुके हैं पंजाब गवर्नमेन्ट ने तो यह नियम बना दिया है कि छः महीने के अन्दर अन्दर क़ब्ज़ा लेने के कम्पेन्सेशन ज़रूर पे कर दिया जायगा। क्या इस प्रकार का आश्वासन माननीय मन्त्री देंगे कि निश्चित पीरियड में लाजमी तौर पर मुआवज़ा दे दिया जायगा। यह एक प्रकार से कॉमन मैन के साथ अनिवार्य है कि उसकी ज़मीन लेकर बैठ जाय और उसके मुआवज़े के लिये कलैक्टर के अवार्ड की वेट की जाय।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ कहेंगे जब कि यह जनरल पौलिसी का सवाल है, निश्चित तारीख़ या समय निर्धारित करेंगे जिससे मुआवज़ा समय पर मिल जाय।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : हम भी मानते हैं कि देर नहीं होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निश्चित अवधि क़ायम कीजिये अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में सरकार को आदेश दें क्योंकि इस प्रकार के सवाल पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(१२.०० म० प्र०)

आय-व्ययक सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री मानिकचन्द सुराना, सदस्य विधान सभा ने वित्त मन्त्री द्वारा २ मार्च, १९६३ को सदन में प्रस्तुत किये गये अनुमानित आय और व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री सुराना ने अपनी सूचना में कहा है कि उक्त वित्तीय विवरण में उस अनुमानित आय के आंकड़े नहीं दिये गये हैं, जो वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत कर सम्बन्धी प्रस्तावों से राज्य को होने वाली है। श्री सुराना का यह तर्क है कि वित्त मन्त्री ने नये कर प्रस्तावों से होने वाली अलग अलग आय की जानकारी सदन को नहीं देकर सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। इस प्रकार की आय वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के राजस्व के अनुमानों का ही एक भाग है।

इस सदन के तथा इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों को निश्चित करने के विषय में हम हमारे संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) के प्रावधानों से शासित होते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार राज्य के विधान मन्डल के सदन की शक्तियां, उसके अधिकार तथा उसकी न्युयक्तियां वहीं हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ के समय युनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ़ कॉमन्स की थीं। दूसरे शब्दों में हमारे विशेषाधिकार वही हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ के समय

Page No 35

(श्री अध्यक्ष)

हाउस आफ़ कामन्स के थे। हम किसी नये विशेषाधिकार का निर्माण नहीं कर सकते। अतः वह निश्चित करने के लिये कि १९६३-६४ के वर्ष में नये कर लगाने के परिणामस्वरूप होने वाली आय के आंकड़े न देकर वित्त मन्त्री ने कोई विशेषाधिकार का हनन् किया है या नहीं, हमें यह देखना होगा कि आया हाउस ऑफ़ कामन्स में कभी ऐसा प्रश्न उठाया गया था। मैंने मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को देखा है और उसमें मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जो माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में प्रस्तुत तर्क का समर्थन करता हो। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

बजट का महत्व केवल इस लिये नहीं है कि वह एक अच्छी वित्त व्यवस्था (Orderly Finance) का आधार है बल्कि इसका महत्व इसलिये है कि यह सामाजिक और आर्थिक नीति का साधन है। बजट अनुमान यथा-संभव सही और व्यापक होने चाहियें। यह केवल मोटे रूप में और आसानी से प्राप्त होने वाले हिसाब का लेखा-जोखा ही नहीं है। विशेषतया जब कि सदन से करों की काफ़ी बड़ी राशि की स्वी कृति देने की मांग की जाती है तो सदन को यह जानकारी मिलनी चाहिये कि प्रत्येक कर से कितनी राशि राज्य-कोष में प्राप्त होगी। जब तक यह नहीं किया जाता, बहस में भाग लेने वाले सदस्य न तो वकल्पिक सुझाव दे सकते हैं और न करों के प्रस्तावों पर किसी प्रकार की आलोचना कर सकते हैं।

साधारणतया बजट में राजस्व और व्यय के अनुमानों का विस्तृत विश्लेषण होना चाहिये और उसमें चाहे सरप्लस हो या घाटा, उसकी पूर्ति के लिये पेश किये जाने वाले प्रस्तावों की व्यवस्था की जानी चाहिये। नये करों के लगाने से प्राप्त होने वाली राजस्व के अनुमानों का विस्तृत ब्यौरा उस दिन पेश किया जाना चाहिये जिस दिन सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है। गत वर्ष में इस तरह के विस्तृत ब्यौरे पेश किये जाते रहे हैं किन्तु इस वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय ऐसा नहीं किया गया है। दिनांक ७ मार्च, १९६३ को एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा गया है, जिस में १९६३-६४ के दौरान में नये करों के लगाने से होने वाली आय पृथक् पृथक् रूप से बतलाई गई है जिससे उस कमी की पूर्ति हो जाती है जिसकी ओर हमारा ध्यान इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित किया गया है।

प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के स्वायत्त शासन विभाग सम्बन्धी प्रतिवेदन का उप-स्तथापन

श्री **मोतीलाल चौधरी** (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के प्रतिवेदन, जो स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित है का उपस्थापन करता हूं।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के आयुक्त के नवम् प्रतिवेदन का उपस्थान

श्री भीखा भाई (समाज कल्याण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की नवीं रिपोर्ट १९५९-६० (प्रथम व द्वितीय भाग) सदन की मेज़ पर रखता हूं।

Page No 36

भरतपुर जिले में टूटे हुए बांधों की मरम्मत सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में टूटे हुए बांधों की मरम्मत के लिये विशेष अनुदान सम्बन्धी श्री सतपाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

पुरःस्थापत विधेयक,

(क) राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक १९६३

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर-पालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री बरकतुल्लाखां : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(ख) राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरन्जन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(१२.१४ म. प.)

मांग संख्या २२ व ३५—सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि एवं विविध

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७१,५ ३,००० रु० तक की राशि प्रदानकी जाये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५२,७१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

कटौती प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

मांग संख्या २२

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) १. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (क्योंकि विकास परियोजना के अन्तर्गत चलने वाली, कई योजनाओं पर धन का दुरुपयोग होता है, जिससे जनता को वास्तविक लाभ नहीं हो पाता पर बहस करने हेतु)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): २. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों की शोचनीय स्थिति पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्रामों के विकास की असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री अमरसिंह (दूदू): ४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती राज की दुर्दशा पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम त्योहारों और मनोरंजन पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती राज्य को ठीक चलाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री हीराभाई (कुशलगढ़):

७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (विकास खंड खोलने में पक्षपात दूर करने के लिये बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल पीडितों को सहायता देने की समुचित व्यवस्था की नीति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर):

९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती राज संस्थाओं की आय के साधनों की कमी पर बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती

(श्री नत्थीसिंह)

राज संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप की दोष पूर्ण नीति पर बहस करने हेतु) ।

११. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती राज संस्थाओं की सेवा में लगे कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव पूर्ण सलूक पर बहस करने हेतु) ।

१२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती राज्य संस्थाओं के जांच मामलों में सामुदायिक विकास विभाग की नीति पर बहस करने हेतु) ।

१३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की कार्य प्रणाली में किये गये संशोधन से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

१४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (विकेन्द्रीयकरण की दोषपूर्ण नीति से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री रूपेन्द्रसिंह (हनुमानगढ) : १५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के तहत अध्यापकों की असंतोषजनक स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

१६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (विकास समितियों में सरकारी धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

१७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के प्रधानों का चुनाव ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों एवं न्याय पंचायत के सदस्यों द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

१८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को अधिक सहायतार्थ अनुदान देने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

१९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं स्थानीय विकास में धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

२०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्री

(श्री श्योपतसिंह)
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं स्थानीय विकास की व्यवस्थाओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

२१. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं में किसानों पर चूंगी कर न लगने के संबंध में बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़): २२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रुपये की कटौती की जाय (विकास अधिकारियों की विकास कार्य में अरुचि पर बहस करने हेतु)।

२३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रुपये की कटौती की जाय (शिक्षा पर विशेष ध्यान न देने व शिक्षकों की अरुची पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): २४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (चाकसू पंचायत समिति की आडिट रिपोर्ट १९५९–६० व १९६०–६१ की पर बहस करने हेतु)।

२५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत सांगानेर ने गांधी पार्क की जमीन जो अलॉट दुकानदारों को की है उस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

२६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति चाकसू सन् १९६२-६३ में जो हड्डियों का ठेका दिया गया उस पर बहस करने हेतु)।

२७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (चाकसू पंचायत समिति व सांगानेर पंचायत समिति में जो अनुदान विकास कार्य हेतु दिया गया उस पर बहस करने हेतु)।

२८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति सांगानेर के तहत पंचायत दुर्गापुरा के भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत की सम्पत्ति से नाजायज फायदा उठाने पर बहस करने हेतु)।

Page No 40

(श्री नाथूलाल करौल)

२९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति लालसोट में पक्षपात बरतने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २२

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेडा) :

३०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जावे

(१) अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने पर विचार करने हेतु ।

(२) विकास विभाग में प्रशासन पर अधिक होने वाले खर्च पर विचार करने हेतु ।

(३) पंचायत समितियों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर्जों पर विचार करने हेतु ।

मांग संख्या २२

श्री जयलाल (डग) : ३१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक सिकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००)रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्यों के लिए अनुदान एवं तकावी की व्यवस्था पर बहस करने हेतु ।

Shri Digvijay Singh (Uniara) : 32. Demand No. 22, Major Head-37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works be reduced by rupee one (to discuss the General failure of Community Development Works in State).

३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु. की कटौती की जाय (राज्य सरकार सामुदाहिक विकास कार्यों एवं पंचायतों के चलाने में असफल रही है जिस प्रकार की पक्षपात नीति सरकार की रही है उस पर कार्यवाही करने हेतु पर बहस करने के लिए)

मांग संख्या ३५

34. Demand No. XXXV, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by rupee one (to discuss the Failure of Panchayat and Nyaya Panchayats, and Governments, favouritism that is going on in the Panchayats).

मांग संख्या २२

श्री रामकिशन (वैर):

३५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रुपये की कटौती की जाय (सरकार की सामुदायिक विकास सम्बन्धी नीति पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

३६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में १) रु. की कटौती की जाय (खेल

(श्री रामकिशन)
परिषदों आदि को दी जाने वाली सहायता में पक्षपात पूर्ण नीति पर बहस करने हेतु।

मांग संख्या ३५

३७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर स्पोर्टस एसोसीऐशन को सहायता दिये जाने पर बहस करने हेतु।)

३८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सीमा पर हुये आक्रमणों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों और अन्य घायल व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की रकम बढ़ाई जाने की नीति पर बहस करने हेतु)।

३९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु. की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में ग्राम गृह योजना लागू किये जाने पर बहस करने हेतु)।

४०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय [(१) बाढ, आग आदि से पीडित व्यक्तियों को सहायता देने की नीति पर बहस करने हेतु।

(२) लेखकों, संवाददाताओं को अनुदान देने की पक्षपात पूर्ण नीति पर बहस करने हेतु।

(३) राज्य के बंदियों और अवरूद व्यक्तियों पर खर्च करने की नीति पर बहस करने हेतु ।

(४) आई. ए. एस. अफसर ट्रेनिंग स्कुल पर होने वाले अनुचित खर्चे पर बहस करने हेतु।]

(५) आर. ए. एस. अफसर ट्रेनिंग स्कूल के खर्चे पर बहस करने हेतु।

मांग संख्या २२

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) :
४१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में ज्यादा स्टाफ में कमी पर बहस करने हेतु)

मांग संख्या ३५

४२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु.० की कटौती की जाय (इसमें फिजूल खर्चा व कमियों पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २२

श्री हरिराम चौहान (तिजारा):
४३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (विकास समितियों में सरकारी धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

४४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (वस्सी पंचायत समिति में भ्रष्टाचार गबन आदि के केसों की ओर ध्यान दिलाने हेतु) ।

(श्रीहरिराम चौहान)

४५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति द्वारा तकावी दिये जाने पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुचित प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

४६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (तिजारा पंचायत समिति में बीज के गबन पर बहस करने हेतु) ।

४७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १०० रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समिति कोटकासिम में तकावी के वितरण में अनियमितता पर बहस करने हेतु) ।

४८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एवं स्थानीय विकास की व्यवस्थाओं पर बहस करने हेतु) ।

४९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं स्थानीय विकास में धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

५०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को अधिक सहायतार्थ अनुदान देने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

५१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के प्रधानों का चुनाव ग्राम पंचायत के पंचों, सरपंचों एवं न्याय पंचायत के सदस्यों द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

५२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम पंचायत चूहडपुर में अनियमितताओं पर प्रकाश डालने हेतु) ।

मांग संख्या २२

कुंवर श्री महेन्द्र सिंह (गॉवडी): ५३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों की सोचनीय स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

५४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें,

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)
राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति सुल्तानपुर द्वारा विकास कार्यों के लिये स्वीकृत धन राशि को न देने के सम्बन्ध पर बहस करने हेतु)।

५५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में रामनगर हरिजन कोलोनी में लगाये गये धन में किये गये भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

५६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति लाडपुरा में बनाये गये तालाबों में धन खर्च के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

Shri Chhatar Singh, (Ahor): 57. Demand No. XXII, Major Head 37-Community Development Projects and National Extension Services be reduced by Re. 1/- to discuss the distribution of seed among cultivators of Ahore Samiti which did not then cultivate in the year 1960-61.

श्री मालमसिंह (भीनमाल): ५८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में आई शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

श्री ए० जब्बार (निम्बाहेडा): ५९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा व्यय के अपव्यय पर बहस करने हेतु)।

६०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में पंचायतों के दोषपूर्ण गठन तथा सीट निर्धारण पर बहस करने हेतु)।

श्री मानिक चन्द सुराना (कोलायत): ६१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में विकास की धीमी गति पर बहस करने हेतु)।

६२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा सामुदा-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
विकास व कृषि मंत्रालय को अलग २ रखने की गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

६३. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये दी गई सहायता के सन् ६२-६३ के गलत संशोधित अनुमान पेश करने पर विचार करने हेतु व ६३-६४ की अपर्याप्त राशि पर विचार करने हेतु) ।

६४. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार के जन सम्पर्क विभाग द्वारा किये हुए व्यय पर बहस करने हेतु) ।

६५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा वसूल न होने योग्य अपलिखित अस्थाई ऋण तथा अग्रिम दिये जाने की नीति पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २२

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): ६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में जन संख्या के आधार पर साधन उपलब्ध न करने पर बहस करने हेतु) ।

67. Demand No. 35, Major Head 71—Miscellaneous be reduced by rupee one (to discuss Expenses in this head in Jalore district in previous years being not satisfactory).

मांग संख्या २२

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०): ६८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास के लिए अनुदान एवं तकावी के वितरण में भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु) ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को विदित ही है कि अनुदानों की मांगों के संबंध में किस तरह से बहस होगी । उस पर मेरा एक और सुझाव है कि जो माननीय सदस्य बोलने खड़े हों और जिस मांग पर बोलना चाहें उस पर रखे कट मोशन्स का उल्लेख कर दें ताकि मतदान में और प्रोसीडिंग्ज के लिखने में सुविधा हो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अब तक तो साथ साथ बोलते रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : साथ साथ तो बोलेंगे । पर माननीय सदस्य यह बता दें कि कटौती के प्रस्ताव से मतलब कौन से कटौती प्रस्ताव से हैं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): विकास योजना पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है । यह 'विकास' शब्द बहुत ही रोचक है और विकास का मतलब मैं यह समझता हूं कि मुर्झाई हुई वस्तु कोई भी हो विकसित हो जावे ।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

यह इतना अच्छा शब्द है । सरकार ने इस विकास योजना को इसलिये चालू किया है कि गांव में जनता हर दृष्टि से मुर्झाई हुई थी, उनके दिल और दिमाग में हानि लाभ के विचार को सोचने की शक्ति नहीं थी । उनमें आपसी प्रेम व सहयोग की भावनाएं नहीं थी, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी वे गिरे हुए थे, रहन-सहन और सामाजिक स्तर भी उनका गिरा हुआ था, इन चार योजनाओं को विकसित करने के लिये सरकार ने ये पंचवर्षीय योजनायें गांवों में चालू की थीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की योजनाओं से गांवों में विकास हुआ है और विकास किस हद तक हुआ है यह मैं स्पष्ट करूंगा । मैं बजट पेश होने के बाद जब गांवों में गया तो गांव में रहने वाली महिलायें अपने खेतों में गेहूं काट रही थीं । गेहूं काटते काटते वे विकास योजनाओं के गीत गा रही थीं, उन्होंने विकास योजनाओं को पूरी तरह से समझ कर बडे उत्साह से उन खेतों में विकास के बारे में यह साबित कर रही थीं कि पहली योजना ग्रामीण जनता के अज्ञान को मिटा कर उनके दिल और दिमाग का विकास करने के लिये थी । इस विकास योजना से दिल और दिमाग का गांवों में बहुत विकास हुआ । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि गांवों की महिलाओं के दिल और दिमाग तक का विकास हो गया । और वे बडे उत्साहपूर्वक अपनी भाषा में अपने खेतों में काम करते करते विकास योजनाओं पर अपने भाव प्रकट कर रही थीं । आज कल गणगौर का पर्व है, इसलिये गणगौर के बारे में वे गीत गा रही होंगीं यह मैंने समझा । जब मेरे कानों में उनके गीत सुनाई पडे, मैं सुनने के लिये जरा ठहरा, मुझे गीत अच्छे लग रहे थे । और जब ठहर कर सुना तो लगा वे गणगौर के पद तो नहीं बोल रही थीं ।

सरकार की दिल और दिमाग का ठीक करने वाली योजना के बारे में वे कुछ अपने भाव प्रदर्शित कर रही थीं । मुझे वे अच्छे लगे । मैंने याद कर लिये । मैं वे पद आपको भी सुनाता हूं । बडे अच्छे पद हैं । आपको भी अच्छे लगेंगे । वे कह रही थीं अपने पति को सम्बोधित करते हुए, गांवों की महिलाएं अपने पति को ढोला (ढोला मारू) के नाम से भी सम्बोधित करती हैं इसलिए ढोला कहती हैं । तो वे कह रही थीं :

ढोला, जा कहिज्यो नेहरू सूं, थांका घणा
दुखी करसाण ।
गांधीजी तो भार छोड गये, थां के माथे आज ।
नकली सेवक म्हांने खावे, म्हें रोटियां
सूं मोहताज ।।ढोला।।

अध्यक्ष महोदय, उनके दिल और दिमाग खुल चुके थे । अच्छे बुरे का ज्ञान पैदा हो गया था । महिलायें आगे और गा रही थीं:

कंचन तो पैदा करां जी, खावां गली जवार,
हाकमां का कुत्ता भी तो म्हां सूं बहुत तैयार।
ढोला जा कहियो नेहरूजी सूं, थांका
घणा दुखी करसाण ।

गांवों में महिलाएं विकास के गीत गा रही थीं, उनका दिल और दिमाग जाग चुका था ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ! माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम को गांवों की महिलाएं

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
नहीं जानती, पर वित्त मंत्रीजी के नाम को गांवों में सब जानने लग गये हैं, जब से लगान जुवार पर, बाजरा पर, टैक्स लगा चुके माननीय वित्त मन्त्री । कौल साहब का घर घर में महिलाओं में नाम हो गया है । और वह आगे भी गा रही थीं :

माल खावे चोरडाजी, खावे करज खलांण।
कचेडियों में हाकम खावे, भूखा कन्थ का प्राण।।
ढोला, जा कहिज्यो नेहरू सूं, थांका घणा दुखी करसाण ।

यों भ्रष्टाचार हो रहा है । दिल और दिमाग उन महिलाओं का जाग चुका था जिसको वे प्रदर्शित कर रही थीं ।

कडता का पडता नहीं जी, हड क्या खुड खुड खाय ।
हाथ जोडकर गाल्यां खावां, तो भी इज्जत जाय ।

ढोला, जा कहिज्यों नेहरू सूं, थांका घणा दुखी करसाण ।

और आगे:—

फाटी टूटी सेपट्यांजी लीरक लीरा पाग
कौल साब ने टैक्स लगायो, फुट्या मांका भाग ।
टैक्स लग गया । हासिल ही पूरा नहीं हुआ ।

ढोला जा कहिज्यों नेहरूजी सूं, थांका घणा दुखी करसाण ।

ये योजनाएं इतनी सफल हुई कि अब गांवों की महिलाओं का दिल और दिमाग भी जाग चुका इसलिये अब वे भी आगे ये अत्याचार सहन नहीं करेंगी ।

अब अध्यक्ष महोदय, आगे दूसरी योजना शुरू होती है ।

एक माननीय सदस्य : यह कविता किसकी है ?

श्री **भैरवलाल 'कालाबादल'** : गांवों की महिलाओं की ।

अब सहयोग की भावना आती है दूसरी योजना में । विकास का जो विभाग है, विकास परियोजनाओं में विकास अधिकारी और प्रचार अधिकारी की आपस में नहीं बनती । इनमें नहीं बनती तो प्रधान और विकास अधिकारी की भी आपस में नहीं बनती । मेरी समझ में तो जो प्रधान चाहता है वह विकास अधिकारी नहीं चाहता । तो इस प्रकार से तो योजनाओं में सरकार के पैसे का कई जगह दुरुपयोग होता है ।

तीसरी बात, योजना की बात, आर्थिक विकास की दृष्टि से खाद का गड्ढा खोदने की है । मेरी समझ में गड्ढा खुदाने के लिये गांवों में लोग जाते हैं इस विभाग के और जबानी भाषण देकर चले आते हैं । कहते हैं खाद डालो, फलां खाद डालो, पैदावार बढेगी । नोट करवा देते हैं । कितने ही गांवों में उन्होंने किसानों को उपदेश दिये । पर जिस समय वे खेतों में खाद देते हैं उस समय जाकर नहीं देखते । खाद किस समय देना, पानी कितना किस समय देना । इसकी जानकारी पूरी उनको नहीं मिलती, परिणाम यह होता है कि कभी खाद डाल दिया तो पानी देना भूल गये और खेत की फसल जल गयी । कभी पानी बहुत दे देते हैं तो यों गडबड हो गई । किसान जानकारी के अभाव में इस तरह की गलतियां करता रहता है और इस खाद योजना के बारे में

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

भी गांव के लोगों की यह धारणा हो गई कि यह योजना का खाद नुकसान करने वाला है। हालां कि है अच्छा। पर जानकारी देने में सरकार का यह विभाग सहायता नहीं करता इसलिये किसान गलती करते हैं।

तीसरी बात और है। गांवों में किसानों को रजवाडों के वक्त भी जो गरीब होता था बैल उसके थक जाते थे तो उसको बैल खरीदने के लिये तकावी दी जाती थी। हमारी सरकार भी देती है। पर अब क्या होता है कि हर पंचायत समिति में दो हजार रुपया अधिक से अधिक दिया जाता है।

अब दो हजार में इस महंगाई के जमाने में जब कि एक बैल ५०० रुपये का आता है ज्यादा से ज्यादा चार बैल खरीदे जा सकते हैं। तो पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में चार बैलों से क्या होने वाला है। पूरी पंचायतों का वे कैसे इन चार बैलों से कृषि विकास कर सकते हैं। उधर कई उद्योगों के नाम पर सरकार नगरों में शहरों में लाखों करोडों दे देती है जब कि कोई उद्योग उनकी आशा के अनुरूप नहीं पनपता। वहां किसान जो कि अन्न उत्पन्न करता है और जिस किसान के आधार पर देश का विकास आधारित है उसको एक पूरी पंचायत समिति में केवल दो हजार रुपये बैलों की तकावी देना चाहती है और इन चार बैलों के बल बूते पर अन्न का उत्पादन बढाना चाहते हैं। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। यदि लाखों करोडों रुपया आम किसान को देते तो अन्न की समस्या हल हो जाती और आज जो टैक्स लगाते तो उस हालत में किसान खुशी खुशी देता क्योंकि जब किसान स्वयं खुशहाल होता तो यह टैक्स अखरता भी नहीं। पहले आप किसान की पैदावार बढाते, उसकी आर्थिक हालत ठीक करते, उसका आर्थिक विकास करते तब टैक्स भी लगाते तो वह बडी खुशी से देता। इन्कार नहीं करता। पर आज उनकी हालत क्या है ? आप कहते हैं आपने शिक्षा में विकास किया। मैं बताऊं शहरों में आपने जहां बडे बडे कालेज और डिग्री कालेज खोले वहां गांवों में आज भी आप प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं बढे। शहर वालों का आपने हर क्षेत्र में विकास किया, पर उनसे पैसा नहीं लेते। गांवों में भी पहले योजना आपकी यह थी प्राइमरी स्कूलों के लिये भी कि पांच आने गांव के लोग लगायेंगे तो ग्यारह आने सरकार देगी। पर अब तो वह भी नहीं। कह दिया एक हजार से अधिक नहीं मिलेगा। दस हजार में भवन बनता है तो यह भी भार गांव वालों पर।

उधर हमारे वित्त मन्त्रीजी ने यह भी कह दिया कि पंचायत समिति को जो देना था उसमें भी कटौती कर देते हैं। वह भी नहीं देंगे।

तो ये इस प्रकार की योजनाएं इस सरकार में दिन रात चलती हैं, फिर कहते हैं किसान खेतों में सुधार करे। क्या करें ? खेतों में काम आने वाले औजार, लकडी कांटे झाड नहीं मिलता। जंगल कट कट कर बाहर भले ही चला जाय। जब तक खेतों को साधन नहीं मिलेंगे तो क्या विकास होगा उनका ! फिर इन विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे में। सबने अपने अपने डिपार्टमेंट को यह समझ लिया कि मेरा राज्य है। तो विकास योजना को तहसील वाले सहयोग नहीं देते।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

पुलिस वाले नहीं देते और दूसरे विभाग सहयोग नहीं देते । इस प्रकार से तो उनमें आपस में ही भेद-भाव चलता है ।

अध्यक्ष महोदय, उधर ग्रामसेविका, ग्रामसेवक और ग्रामकाकी हैं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसका भी लोगों पर बुरा असर पडता है । ग्रामकाकी अगर बूढी होती तो हम मान लेते कि उसको काकी कहें, लेकिन आपने काकी जवान जवान को बना दिया और उनको हमसे काकी कहलवाते हैं । तो यह भी नाम सोचकर नहीं रखा । यह योजना कैसे चलेगी आगे ? (समय-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण समाज कल्याण की जितनी रकम दी गयी है, मैं समझता हूं कि सारी लैप्स हुई और समाज कल्याण की रकम जो पंचायतों में पडी हुई है खर्च नहीं की गई और अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों का समय है । दूसरी तरफ यहां तक मैं आपको बताऊं कि कोटा, बूंदी और झालावाड में बरसात के दिनों में जो मामूली सी चीज हैं–जैसे नमक वह भी समय पर नहीं पहुंचा सकते । क्योंकि वहां आवागमन के साधन बन्द हो जाते हैं और उनको बरसात में नमक तक नहीं जा सकता और वह अलूणी रोटी खोते हैं, मैंने इसके लिये कल भी कहा था । मैं कहता हूं कि किसानों को राहत तो मिलनी चाहिए । वह राष्ट्र के लिये अपनी कुर्बानी करते हैं और उनकी कुर्बानी से आज हम स्वतंत्र हैं । जिस समय हमें आजादी मिली उस समय से हम गांवों में स्वराज्य लाना चाहते हैं । पूज्य गांधीजी ने कहा था कि जिस समय गावों में स्वराज्य आयेगा उस समय हम समझेंगे कि सच्चा स्वराज्य हो गया । ठीक है, हमारी सरकार योजना बना रही है और इनमें समय लगेगा लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहूंगा कि मैं दुख पा रहा हूं । मैं गांवों में जाता हूं तो गांव के लोग कहते हैं कि हमने आपको सरकार में भेजा वहां क्या करते हो, इसका हमारे पास जवाब नहीं । तो हमने गांव में जाना ही छोड दिया । पहले मैं गांव में जाता था तो बडा आदर करते थे और मेरे बारे में कहते थे कि तपस्वी आदमी है । अब की बार बजट पेश होने के बाद मैं गांव में गया तो मुझे गालियां निकाली । आप वहां पर जाते हैं तो पुलिस को और दूसरे अफसरों को बुला लेते हैं और भाषण देकर आ जाते हैं और हमारी हो गयी दुर्दशा, मुसीबत हमारी है । इसलिये , अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार की कोई आलोचना नहीं करता मेरे दिल में भाव हैं उनको हर समय प्रकट कर देता हूं चाहे बुरा मानें भला मानें, हमने शुरू से ही ऐसी बातें सीखी हैं । मगर अब क्या करें ? आखिर आत्मा नहीं मानती है । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना कटमोशन रखता हूं ।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं और पहला प्रस्ताव पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो टीचर्स हैं उनकी दशा बहुत ही दयनीय है, खतरनाक है उसके संबंध में है । आज पंचायत समितियों के अन्दर जितने टीचर्स नौकरी करते हैं उनका भगवान ही मालिक है । आये दिन न जाने किस जगह ट्रान्सफर कर दिया जाता है । मैं निवेदन करूं कि उनकी किस प्रकार की हालत है । पहले क्या होता है कि उनको नौकर रखने के लिये पहले पंचायत समिति उनका इन्टव्यूं लेती है और वह ६ महीने के लिये लेती है और उसके

(श्री जोधसिंह)

बाद हमारे जो जिला प्रमुख होते हैं उनको अधिकार होते हैं और उन टीचर्स को निकाल दिया जाता है और उनके बजाय दूसरे टीचर्स रख लिये जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब एक बार पंचायत समिति उनका इन्टरव्यू ले लेती है और उनको अपाइन्टमेन्ट दे देती है तो इस प्रकार उनको नहीं हटाना चाहिए जब तक कि उनके प्रति शिकायत न हो या योग्यता में किसी प्रकार की बाधा न हो तो नहीं हटाना चाहिए।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सुविधायें मिलनी चाहिए और साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का टीचर जैसे कि करौली का टीचर है उसका झडोली में ट्रान्सफर कर दिया जाय तो किस प्रकार से वह वहां ठीक काम करेगा। टीचर्स का आये दिन उदयपुर जिले में ट्रान्सफर कर दिया जाता है। उनसे चुनावों का काम कराया जाता है। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि दूसरे टीचर्स को इस प्रकार की सुविधायें हैं कि वह ८ घंटे से ज्यादा काम न करें तो जो पंचायत समितियों में टीचर्स लिये जाते हैं जब उनका इन्टरव्यू होता है तो कहा जाता है कि दिन में स्कूल चलाओ और रात में रात्रिशाला भी चलानी पडेगी। यह अन्याय नहीं होना चाहिए। जब नौकरी की आवश्यकता होती है तो उनको इस प्रकार का फार्म भरने के लिये विवश होना पडता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से टीचर्स से एक ही काम लेना चाहिए चाहे तो उनसे रात्रिशाला चलवा लीजिये या फिर दिन की शाला चलवा लीजिए। अगर दोनों ही चलाते हैं तो फिर समय का विभाजन होना चाहिए और उनसे ८ घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि टीचर्स इतने पीडित हैं कि एक मावली के टीचर्स हैं उनका नाम हरलाल जी चौधरी है उनका २। साल में ९ बार ट्रान्सफ़र कर दिया गया। कितना अन्याय हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार काफी ट्रान्सफर्स करना ठीक नहीं है इसके लिए खास तौर से गौर करना चाहिए और उनको सुविधायें मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से प्राईमरी स्कूलों में कहीं कहीं टीचर्स को झाडू निकालनी होती है। मेरा कहना है कि उनको चपरासी मिलना चाहिए, उनको लाइट मिलनी चाहिए। उनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। यही नहीं, एक बात और होती है कि स्कूलों में न तो नक्शे होते हैं न कोई बोर्ड होता है। इस प्रकार इतनी असुविधा होती है कि टीचर्स को काफी दिक्कतें उठानी पडती है। उसका खास कारण यह है कि हमारी पंचायत समितियों में इस प्रकार की योजना होती है या नियम होता है कि अगर बोर्ड लाना है तो उसके ५ रुपये लगते हैं उसमें से ३ रुपये तो गांव वाले दें और २ रुपये पंचायत समिति देगी। टीचर्स को रहने के लिये मकान भी नहीं हैं, उनको पढाने के लिए जगह नहीं मिलती। सब जगह इस प्रकार से टीचर्स की बहुत ही बुरी हालत है।

इसी प्रकार सामुदायिक विकास योजनायें जो ग्रामों में चल रही हैं वह असफल रही हैं या उसके द्वारा हमारी सरकार को विशेष लाभ नहीं है, उसमें बडे बडे घोटाले हैं। वहां पर सरपंच अपनी मनमानी करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे बांसवाडा में सोभागपुरा के जो सरपंच हैं, जो भील

(श्री जोधसिंह)

लोग हैं, आदिवासी हैं उनके मकानों के जबरदस्ती जो पुराने आबाद हैं उनसे पैसा वसूल कर लिया है, उनके प्लाटों के लिये। सरपंच जाकर कहता है कि यह तुम्हारे नहीं हैं तुम इसके पैसे दो तो मैं तुम्हें बाकी पट्टा दे दूंगा। उनके पास रसीदें मौजूद हैं उन्होंने ब्लाक में जाकर कहा है, तहसील में भी निवेदन किया है और वहां के सरपंच हैं उन्होंने पंचायत समिति में रकम भी जमा नहीं कराई फिर भी आज तक वह सरपंच कायम है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार न्याय पंचायतों में जो सरपंच होते हैं वह पढे लिखे नहीं होते फिर भी हमारी सरकार उनको चुन लेती है। हमारे यहां न्याय पंचायत में एक श्री मेहताब चन्द जी हैं वह दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं फिर भी वह न्याय पंचायत में हैं क्योंकि वह कांग्रेसी हैं, इसलिये उनको ले लिया गया उनको हटाया नहीं गया। आये दिन उनके खिलाफ कई रिपोर्टें होती हैं। अभी अभी रक्षा कोष के लिये जो धन इकट्ठा किया गया उसमें बडे बडे अन्याय किये हैं उन्होंने लोगों को जबरदस्ती बन्द किया है, जबरदस्ती धमकियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि तुमने विरोधियों को वोट दिये हैं मैं देखता हूं किस तरह चन्दा नहीं देते हो। किसी से पांच सौ लिए, किसी से सात सौ लिए वहां के श्री मेहताबचन्दजी के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट है लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं की है।

यही नहीं मैं और भी आपसे निवेदन करूंगा कि सराडा तहसील में एक गांव है वहां पर जो सरपंच हैं उन्होंने भी वहां के ग्रामवासियों को मकान का पट्टा बनाने के लिये धमकियां दी हैं, पैसा वसूल किया है। उनके खिलाफ वहां ग्रामवासियों ने दरख्वास्तें दीं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी प्रकार सारणपुरा ग्राम पंचायत जो ब्लोक भींडर में है वहां पर चद्दर का कोटा वहां के सरपंच ने मंगा लिया और चद्दर का सारा कोटा अपने मन माने ढंग से देकर ब्लेक में पैसा कमाया। किसानों को चद्दर का कोटा न देकर ब्लेक से पैसा कमाया। उनके खिलाफ भी कई रिपोर्टें कीं लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई जांच पडताल नहीं की। मैं कहता हूं कि सारा विकेन्द्रीय-करण और पंचायती राज्य इस प्रकार चलेगा तो फेल होगा। आये दिन हम देखते हैं कि जहां जहां आदिवासियों को ऋण देते हैं वहां जबर्दस्ती उनके दस्तखत करवा लेते हैं और ऋण की रकम उनको नहीं देते हैं और उनको न देने पर भी उनसे वसूली की कार्यवाही करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है उस पर गौर करना चाहिये।

एक खास बात और निवेदन करना चाहता हूं। जो ब्लॉक होते हैं वहां के बी. डी. ओ. उसी ब्लॉक के रहने वाले हों तो उनको वहां नहीं रखना चाहिये। बडगांव ब्लॉक के बी. डी. ओ. उसी ब्लॉक के गांव मंडार के रहने वाले हैं और वे आये दिन मोटर में बैठ कर अपने गांव चले जाते हैं। मोटर की जो लोग बुक होती है उसको देखा जाय तो पता चल जायगा कि किस प्रकार उन्होंने जीप को काम में लिया है।

इसी प्रकार बडगांव ब्लाक के प्रधान और बी. डी. ओ. में आपस में झगडा रहता है। इससे न तो काम होता है और न

(श्री जोधसिंह)

विकास होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जहां प्रधान और बी. डी. ओ. में नहीं बनती है तो बी. डी. ओ. का वहां से ट्रान्सफर कर देना चाहिये। इस बारे में कई बार निवेदन किया गया, आशा है अब सरकार उस बी. डी. ओ. का वहां से ट्रान्सफर करेगी।

इसी प्रकार जो विकास के काम करने होते हैं उनके बारे में सरकार सोचती है कि जब चुनाव का समय आयेगा उस समय किया जायगा तो उससे लोग अपनी तरफ हो सकेंगे। जब चुनाव के दिन आते हैं तब सरकार अपनी इच्छा से सडकें बनाती है, रुपया खर्च करती है लोगों को खुश करने के लिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा गिरवा ब्लोक है वहां पर वोट लेने के लिये सडक बनाई, खैरवाडा में स्कूल बनाई, बम्भोरा में सडक बनाई गई। कामों में इतने घोटाले होते हैं कि कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मनमानी होती है मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास का काम करने के लिये नियम होना चाहिये, कण्ट्रोल होना चाहिए। आज क्या होता है कि पंचायत वाले मनमानी करते हैं और खासतौर से कांग्रेस वाले अधिकारियों से मिल कर मनमानी करवा लेते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब न्याय करना है, पंचायत राज्य कायम करना है तो वहां की जनता की जो आवाज है उसकी ओर ध्यान देना होगा, किसी प्रकार की मनमानी नहीं करनी पडेगी। जितने काम हुऐ हैं वे सब अधूरे हुए हैं। तालाब बनाये हैं वे आये दिन टूट जाते हैं, उनमें से पानी निकलता रहता है। इस प्रकार के कई घोटाले हमारे सामने हैं। बडगांव पंचायत में हजारों और लाखों रुपयों का गबन है, केस हमारे यहां चलते हैं उनका निर्णय नहीं हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमको पंचायत राज्य कायम रखना है, चलाना है तो इस प्रकार की ढीलमढाला नीति से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार हमारे साथ जो अन्याय करते हैं उससे काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि ठीक प्रकार से सुविधा दे, जनता की आवाज को सुने। आये दिन जितने विकास के काम होते हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब शहरों में कोई काम होता है तो वहां पर लोगों से श्रमदान नहीं लिया जाता है तो फिर गांव में कोई काम होता है तो वहां के लोगों से श्रमदान क्यों लिया जाता है? मैं कहता हूं कि आये दिन घोटाले होते हैं। पंचायत समितियों को रकम मंजूर होती है उसका क्या होता है? बडी बडी स्कीमें बनाई जाती हैं। बडे बडे एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं १) में काम होता है तो सरकार के जुम्मे २) रुपये मांड दिये जाते हैं। इस प्रकार के घोटाले पंचायतों द्वारा किये जाते हैं इस प्रकार से पंचायत राज्य चलाने से कोई लाभ होने वाला नहीं इससे नुक्सान ही होगा इसलिये इस पर ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

श्री अमरसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या २२ पर अर्ज करना चाहता हूं। सन् ५९ में पंचायत राज्य स्थापित किया गया था उस समय हमें ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आने वाला है

(श्री अमरसिंह)

लेकिन आज तस्वीर देखते हैं तो मालूम होता है कि हमारा पंचायती राज्य खराब हो चुका है, उसकी तस्वीरें विकास की इस प्रकार हैं कि एक ओर तो आर्थिक हालत खराब है, नौकर चाकर और सेक्रेटरीज को तनख्वाह देने के लिये पैसा तक नहीं रहा है, उनको नोटिस दे दिये हैं। जल्दी ही फर्नीचर, आलमारी और डेस्क तक नीलाम होने की नौबत आ गई है। और दूसरी ओर विकास के काम में पब्लिक के लोगों का सहयोग नहीं होता है। जब ग्राम सभा बुलाई जाती है तो लोग शामिल नहीं होते हैं। तीसरी बात यह है कि पंच सरपंचों में आपसी सहयोग और सद्भावना की कमी दिखाई देती है। ये तीनों बातें ऐसी हैं जो पंचायत राज्य को रसातल की ओर ले जायेगी। इन कारणों की ओर देखें तो पता चलेगा कि आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण सरकार की नीति है सरकार ने एक एक पंचायत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिये हैं इससे प्रशासनिक खर्चा ज्यादा बढ़ गया है और आमदनी वैसी ही रह गई। दूसरी बात यह है कि न्याय पंचायत को पंचायतों से अलग कर दिया है इसलिये क्रिमिनल और सिविल केसेज से जो आमदनी पंचायतों को होती थी वह न्याय पंचायतों के पास चली गई और इससे पंचायतों के अर्थ की स्थिति खराब हो गई। आज यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना हो तो हमें चाहिये कि पंचायतों को वापिस उसी प्रकार करें ताकि जो मूलतः सिद्धान्त है कि न्याय सुभीते से और सस्ता मिल जाय वह न्याय पंचायत और पंचायत को एक करने से मिल सकता है।

दूसरी जो लम्बरदारी प्रथा चली आ रही है उससे बहुत सा कमीशन लम्बरदार को मिल जाता है उसकी क्या आवश्यकता है जब कि पंचायतें हैं तो उस लंबरदारी सिस्टम को खत्म करना चाहिए। सरकार ने पहले इसे खत्म करने का घोषित किया था लेकिन फैसला नहीं हुआ। कलेक्शन चार्जेज का डिसकाउन्ट पंचायतों को देने से उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है।

तीसरी बात पंचायत कानून में यह प्रावधान है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के पावर पंचायतों को दिये जा सकते हैं और उनको १० परसेन्ट मिल सकता है ये भी अधिकार उनको दिये जायं तो आर्थिक हालत सुधरेगी।

दूसरी बात पंचायत हैड में नामांकन का अधिकार दिया है लेकिन नामांकन गलत तरीके से होता है, पटवारी भ्रष्टाचार फैलाते हैं। वे बहुत दिनों तक फार्म रोक कर बैठ जाते हैं। सरपंच के पास पहले जाना चाहिये लेकिन होता क्या है कि पहले पटवारी के पास जाता है और जब उसको कुछ मिल जाता है तब आगे पेश करता है। जो कमीशन उनको दिया जाता है वह उनको नहीं देकर पंचायत को देना चाहिये।

इसके बाद पंचायत राज्य को बड़ी भारी जिम्मेदारी एलोटमेन्ट ओफ लैंड की दी गई थी। यह सोचा गया था कि गांवों में जिनके पास भूमि नहीं है उनको दिलायी जा सकेगी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि सरपंचों ने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को, परिवार वालों को उनके नाम पर गलत

(श्री अमरसिंह)

आधार पर एलोट कर दिया और इस प्रकार से भूमिहीनों को जमीन देने की समस्या हल नहीं हो पाई। इसमें सख्ती बरती जाय और थोडा थोडा हिस्सा २) रुपये लगा दिये जायं तो आमदनी हो सकती है।

हमारी सरकार ने पंचायत की स्थिति को सुधारने के लिये ग्रामसेवक योजना बनाई है। यह योजना पंचायत राज्य को सफल बनाने वाली नहीं है बल्कि यह पंचायत राज्य के लिये घातक है। हमारे लोगों के द्वारा चलाना चाहते हैं वह नहीं चलती है।

वहां इसको सेन्ट्रलाइज करके अपने गुमाश्तों को वहा भेज कर पंचायती राज्य को चलाना चाहते हैं, वरना जब चुने हुए आदमियों को रखा है तो क्यों नहीं वे उस राज्य को चलायें। इसलिए यह तरीका इनको भेजने का गलत होता है। आज जिस प्रकार पटवारियों ने रिश्वतखोरी फैला रखी है उसी प्रकार जो पेड सर्वेन्ट्स जायेंगे वे रिश्वतखोरी चलायेंगे और सरपंच और पंच उनके इशारे पर चलेंगे। मुझे मालूम होता है कि सरकार की नीति पंचायतों के प्रति ठीक नहीं है, वह उसको सेन्ट्रलाइज करना चाहती है। असल बात यह देखने की है कि चुने हुए नुमाइन्दे वहां सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका कारण यह है कि उन लोगों से बिना तनख्वाह दिये हुए बेगार में काम करवाना चाहते हैं और यही चीज एक हिंडरेन्स है, जहां मिनिस्टरों को, एम० एल० एज० को, प्रधान को तनख्वाह मिलती है तो सरपंच और पंच कैसे निःशुल्क सेवा भाव से सेवा करें। यह कहां तक उचित है, वे लोग निःशुल्क चौबीस घंटे बैठ कर सेवा करें। लेकिन जब वे घर पर जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनके बीबी बच्चे भूखे मर रहे हैं। वे सेवा भावना से काम करें और अपने बीबी बच्चों को भोजन भी न मिले, तो जैसा कहा है 'भूखे भजन न होय गोपाला'। आज के जमाने में आवश्यकता बढ गई है, वहां भूखे रख कर पंच और सरपंचों से काम कराना अवैधानिक है। उनको पारिश्रमिक दिला कर पंचायती राज्य का ठीक तरीके से काम करायें।

इसके अलावा पंचायती राज्य का ठीक तरह न चलने का एक और कारण है। विकास के सम्बन्ध में यह सबको मालूम है कि विकास में देश की वह नीति है कि गांव और शहरों में जो दोहरी नीति है–शहरों के वास्ते शिक्षा के लिए कॉलेज बनाये जाते हैं, होस्टल्स बनाये जाते हैं राज्य के खजाने से रुपया लगा कर। लेकिन गांव वालों से कहा जाता है कि आधा श्रमदान करो–इस नीति से उनमें उदासीनता की भावना आ जाती है और जनता अपना सहयोग नहीं देती है। इसका दूसरा कारण यह है कि आज मूर्ख सरपंच हैं, उनको जो पुलिया या कच्ची सडक बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। वे उस काम को मई, जून के महीने में धीरे धीरे लम्बा कर देते हैं और बरसात होते ही नकली हिसाब दे देते हैं, और कह देते हैं कि बरसात होने से पुलिया बह गई, बरसात होने से सडक बह गई। और खुद उस पैसे को खा जाते हैं। इस मामले में सरकार की नीति होनी चाहिए कि ३१ मई के पहले पहले उनसे काम निपटा देने को कहना चाहिये। यह सबसे बडी कमी है पंचायती राज्य को असफल बनाने में कि हमारी गवर्नमेंट पंचायती राज्य के आंकडे लेना चाहती है, उसमें जो लोग

(श्री अमरसिंह)

ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं उनके हिसाब में तो कई प्रकार की नुक्ता चीनी की जाती है और एक एक रुपये के लिए, ऐसी मिसालें हैं, उनको हटा दिया गया है । लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी को मदद करते हैं वे जो हिसाब पेश करते हैं वह पास हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचून नाम की ग्राम पंचायत है उसके पंच ने दोहरे रिकार्ड, कागज बना दिये थे–एक असली और दूसरा नकली । उस मामले को गांव वालों ने पकड़ा दिया इन्सपेक्टर भेज कर लेकिन आज चौदह महीने हो गये हैं, उसका मामला सम्बन्धित मंत्री महोदय के पास पडा हुआ है । इस मामले में आज तक फैसला नहीं किया गया है । इसके अलावा सबसे बडी बात यह है, जिसकी ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इस सम्बन्ध में मैंने कई क्वेश्चन रखे, वे शायद सम्बन्धित महकमे में भेज दिये गये लेकिन उन क्वेश्चन्स को उन्होंने दबा दिया, यह कितने दुःख की बात है । नरायना पंचायत है दूदू में, उसके सरपंच ने नीलामी के कागजात में गडबडी करके एक रुपये की जगह एक आना कर दिया । इस मामले की जांच पड़ताल हुई और उसका दोष साबित हो गया लेकिन उसके भी कागज दबे हुए पड़े हैं । ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी पूरी लिस्ट देने में मैं असमर्थ हूं । इन सब कारणों से आज पंचायती राज्य की यह हालत हो गई जैसी म्युनीसिपेलिटी के कुत्ते पकडने वाले पिंजरे की होती है । उस पिंजरे में कैद किये जाने वाले कुत्ते शहर के मस्त रहने वाले, गुण्डे की तरह रहने वाले बडे बडे नामी-धामी बदमाश होते हैं, वे एक दूसरे से अकडते हैं, पिटाते हैं ; काट खाया करते हैं । यही हालत आज सरपंचों की है, जो पंचायत समिति में जाकर बैठ, जाते हैं और अपने अपने स्वार्थ के लिए लडते झगडते हैं । यह है पंचायती राज्य की हालत ।

क्योंकि समय कम है, इसलिए दूसरी मांग है ३५, उसमें स्पोर्टस और क्लब के लिए पांच हजार रुपये रखे हैं उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं । उसमें पांच हजार रुपये रखे गये हैं वह मनोरंजन के लिए रखे गये हैं, ये बहुत कम हैं । सारे राजस्थान को देखते हुए पांच हजार कोई ज्यादा नहीं है । मनोरंजन जीवन में एक बहुत ही आवश्यक चीज है । जिस प्रकार दिन के बाद रात और दौडने के बाद बैठना या आराम करना आवश्यक है, उसी प्रकार मनोरंजन भी आवश्यक है । पुराने जमाने में इसके लिए हमारे यहां त्यौहारों की व्यवस्था रखी गई थी । त्यौहारों के दिन लोग खुशी से नाचते-गाते थे और इससे उनका रिक्रियेशन होता था । आज सरकार द्वारा सक्रिय-भाग न लेने से उन त्यौहारों की हालत खराब हो गई है, उस कारण ठीक तरह रिक्रियेशन न होने से लोग शराब के ठेकों पर जाते हैं और शराब के ठेकों की आमदनी बढाते हैं और शराब पीते हैं । इसके अलावा वे निकम्मे सिनेमा शोज में जाते हैं । इससे शिक्षा का आदर्श और चरित्र गिर जाता है वे वहां जाकर क्या सीखते हैं ? वे सीखते हैं, उनके पडौस के जो लोग बाग हैं, उनकी गर्ल्स के साथ लव अफेअर करना । इसके सिवाय उनकी जिन्दगी का कोई आदर्श नहीं रह जाता है । इस प्रकार शिक्षा

(श्री अमरसिंह)

और मनोरंजन का आदर्श गिर गया है क्योंकि त्यौहारों को हमने भुला दिया है । इससे एक बडी भारी समस्या और पैदा हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, वह है पोपूलेशन का बढना । क्योंकि मनोरंजन ठीक तरह से नहीं मिलता है, इसलिए गांवों में पडे हुए आदमी, बेकार की आबादी बढाने की ओर अग्रसर होते हैं और नेशन के सामने बडी बडी समस्या लाते हैं । इसलिए त्यौहारों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री **अध्यक्ष**: श्री हीराभाई ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (विकास खंड खोलने में पक्षपात दूर करने के लिए बहस करने हेतु) ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के पहले भारत सरकार ने एक यह निर्णय लिया था कि जब मल्टी पर्पज ब्लाक, सामुदायिक विकास खंड खोले जायं, तो जहां सबसे पिछडी हुई जाति ६६ पर्सेन्ट तक है, वहां पहले प्राथमिकता दी जायगी । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के पहले हमारी भारत सरकार ने सर्वे कमीशन की नियुक्ति की थी और सर्वे कमीशन की रिपोर्ट में यह साफ था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहले पीपलखोट, सज्जनगढ और भुखिया ये तीन जगह के नाम बताये थे वहां सामुदायिक विकास खंड खोले जायं । लेकिन बडे दुःख की बात है कि हमारी राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना और जहां ९९ पर्सेन्ट आदिवासी लोग रहते हैं, जहां शुरू शुरू में सामुदायिक विकास खंड खोलना था, वहां से उसे उडाकर अपनी पार्टी नीति और पक्षपात से सेमलवाडा तथा सराडा में खोल दिये मगर मेरे यहां सिर्फ भुखिया में खोल रखा है । पीपलखोट में छोड दिया, सज्जनगढ में छोड दिया । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमें देश में विकास करना है तब तो फिर जैसे मजिस्ट्रेट किसी भी जाति का हो, सेशन जज हो, हाई कोर्ट का हो, मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर जब वह बैठता है तो उसके सामने चाहे मां हो, बाप हो, भाई हो, कोई हो वह प्योर निर्णय देता है, जिनको फांसी देनी होगी उनको फांसी देगा । जो कायदे से बरी होता है, निर्दोष होता है, उसको अपराधी नहीं मानते हैं । मेरी समझ में नहीं आता, मंत्रियों के केबिनेट में जाने के बाद हम आशा लेकर चलते हैं कि कोई भी दल सत्तारूढ होगा, उसको राज्य का ही प्रतिनिधि माना जाता है, इसके जो मंत्री लोग हैं उसको पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए उसको सिर्फ कानून मानना चाहिए । जब भारत सरकार ने और हमारी सरकार ने यह मान लिया है कि जहां ज्यादा से ज्यादा ६६ परसेन्ट आदिवासी लोग हैं वहां मल्टीपर्पज ब्लॉक खोल दिया जायगा तब जहां ९९ प्रतिशत जनता हरिजन और आदिवासी है वहां पर नहीं खोल कर ऐसे लोगों के एरिया में खोली है जो पार्टी के हैं और जिस जगह खोलना था वहां के लोगों के एरिया को छोड दिया

(श्री हीराभाई)

है । मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि वहा पर क्यों खोला गया ? जहां पर खोल गया वहां के लोगों को फायदा होगा और वह भी राजस्थान की ही जनता है । लेकिन जहां पहले खोलने के लिये भारत सरकार से सिफारिश की लिस्ट में नाम था उस स्थान पर नहीं खोला । इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसको छोडने का क्या कारण है । वहां पक्षपात किया गया और पार्टी बाजी से पीपलखूंट और सज्जनगढ को छोड दिया गया । मैं यह कहूंगा कि हमारे मिनिस्टर केबिनेट में बैठते हैं और वहां पर बैठ कर अपना निर्णय देते हैं तो उनको चाहिये था कि जब भारत सरकार के कमीशन इसके लिये मुकर्रर किया था उसने अपनी राय दी तो उसके अनुसार काम क्यों नहीं किया गया । उसके अनुसार काम होना चाहिये था । अगर केबिनेट में पक्षपात होता है तो मैं यह कहूंगा कि हमें कोई फायदा नहीं होगा । अगर केबिनेट में जाने के बाद इन्साफ होता है तो हमारी सरकार अच्छी सरकार है । अन्यथा चाहे वह किसी की सरकार चाहे सुखाडियाजी की सरकार हो चाहे और किसी की हो, वह राजस्थान के दो करोड जनता की सरकार है और दो करोड जनता उन मिनिस्टरों की तरफ अपनी नजर लगाये बैठी है । मैं यह कहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर होते हुए और केबिनेट के अन्य सदस्य केबिनेट में होते हुए भी उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के स्थानों को छोड दिया है ।

श्री रामकिशन (वैर): कौनसा एरिया है ?

श्री हीराभाई : पीपलखूंट ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): मैं यह बता देना चाहता हूं कि सबसे बडा ऐरिया सोशलिस्ट पार्टी का है वहां पर खोल दिया गया है ।

श्री हीराभाई : वहां आपने सिर्फ कुशलगढ में चुनाव जीतने के लिये खोल दिया । आखिर में हार गये तो नट गये। पहले पीपलखूंट में खोलना चाहिये था । इस तरह से पक्षपात करना आपको शोभा नहीं देता है । आप हरिजन और आदिवासियों के नाम हमेशा लेते रहते हैं । आपको केबिनेट में इस तरह से इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये थी ।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में या इधर उधर अनुसूचित जाति के लोग हैं वहां के लिये भी यही परिस्थिति है । उनके लिये जहां कोई सडक बनाने का प्रश्न आता है या और कोई भी तरह का निर्माण का प्रश्न आता है तो पिछडी जाति के नाम से मजाक ही करते हैं और काम करने क प्रश्न आता है तो आपकी नियत खराब हो हो जाती है । काम अधूरे छोड दिये जाते हैं । हमारे यहां कुशलगढ में कितने ही काम छोड दिये और दूसरी जगह पंचायतों में चल रहे हैं । हमारे कुशलगढ और भीलवाडा में हम बराबर १० वर्षों से रोना रो रहे हैं ।

आपको यह अनुभव होगा कि पिछडी जाति के लोग आकर केबिनेट में नहीं बैठते हैं । जब नहीं बैठते हैं तो वे अपनी बात आपको नहीं बता सकते हैं लेकिन आपको विकास के आधार पर आपको काम करना

(श्री हीराभाई)

जरूरी है । इसमें यदि आप पक्षपात करते रहेंगे तो जनता के लिये बिल्कुल अहित की बात होगी । आपको सिर्फ वोटों के लिये ही दुहाई आदिवासियों और हरिजनों की नहीं देनी चाहिये । यदि आपने आदिवासियों के लिये नहीं किया तो, अध्यक्ष महोदय, हमें मजबूर होकर हमारे भारत के संविधान के अनुसार जिसमें यह है कि अगर राज्य सरकार जो कि आदिवासी क्षेत्र है उनके विकास के बारे में नहीं सुनेगी तो भारत सरकार से निवेदन करेंगे और भारत सरकार उक्त एरिया की कमेटी मुकर्रर करेगी और राष्ट्रपति जिसकी अध्यक्षता करेंगे । यदि राज्य सरकार इसी तरह से पक्षपात का बर्ताव करेगी तो हमें यह करना होगा ।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जहां आदिवासी लोग और हरिजन लोग हैं, मैं यह नहीं मानता और हमारी पार्टी का यह उसूल है कि अपना काम आप करें और अपने पैरों पर खड़े होकर तैयारी करें । मैं यह नहीं चाहता कि श्रमदान हम नहीं करें । लेकिन हमेशा ५० हजार का काम या २५ हजार का काम हो वहां पर श्रमदान की बात थोप दी जाती है । मैं यह कहूंगा कि जहां २५ आदमी रहते हैं और ५० एकड़ सिंचाई का बांध बांधा जा रहा हो तो वहां पर २५ आदमी क्या ५ प्रतिशत ६५०० रु० के श्रमदान का काम कर सकते हैं ? वे पूरा श्रमदान का कोई काम नहीं कर सकते हैं और जब वे २५ आदमी श्रमदान का काम नहीं कर सकते तो २५ हजार के बांध की कोई योजना होती है वह फेल हो जाती है, महज श्रमदान पूरा नहीं करने के कारण इसलिए मेरी अर्ज है कि तालाब और दूसरे पक्के काम जैसे हाउस हैं, जितने चुनाई के काम हैं तो इसमें आपको श्रमदान को बन्द करना होगा । वरना श्रमदान की राड अड जाती है और कोई भी काम होता है वह बन्द हो जाता है । इतनी ताकत हरिजनों और आदिवासियों में नहीं है कि वे ली हुई बांध की किश्त वापिस भर सकें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इससे सरकार का काम बरबाद होता है ।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि तमाम आदिवासियों का जो क्षेत्र है उसके लिये श्रमदान १० वर्षों के लिये बन्द कर दें तो उचित होगा । १० वर्षों के बाद उनसे श्रमदान लें तो उसके लिये मैं तैयार हूं । वरना श्रमदान तो होता नहीं लोगों को परेशानी होती है और इसकी वजह से लोगों को हथकड़ी पहननी पडती है बगैर किसी कसूर के और उनको जेलों में बैठना पडता है । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री विचार करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज के विकास की बात की जाती है वह बिल्कुल नाकिस मालूम होती है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक बहुत अच्छी चीज है लेकिन जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है वह दोषपूर्ण नीति है । लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के अनुसार गांवों में जितने भी विकास के कार्य हैं उनके लिये वहां की पंचायतें आदि स्वयं तय करें और सामुहिक रूप से उनमें योग दें । मैं पिछली बार और कई दफा सदन में अर्ज कर चुका हूं कि हमारी विकेन्द्रीकरण की योजना है वह अधूरी है और दोषपूर्ण है क्योंकि

(श्री नत्थीसिंह)

पंचायतों के पास, ग्राम पंचायतों और समितियों के पास जितनी ताकत और आर्थिक साधन होने चाहिये, नहीं है । इसलिए जो कदम हमने उठाया है उस लक्ष्य की पूर्ति करने में हम अभी तक असफल रहे हैं । हमारे गृह मंत्रीजी ने पिछली बार बताया था कि पॉवर आदि के लिए हम एक कमेटी का निर्माण करेंगे और उसकी राय होगी उसके अनुसार कदम उठावेंगे और उसकी राय को सदन में लावेंगे । हमारे मुख्य मंत्री ने भी पिछली बार राज्यपाल के भाषण के उत्तर में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया कि ग्राम पंचायतें, जिला परिषद्, पंचायत समितियां आदि ये जो हमारे लोक तन्त्र के मूल आधार हैं उनको मजबूत बनाने में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं । इतना ही नहीं, मैं यह कहूंगा कि इस वक्त पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में कोई सुधार किया जाए वह न करके ऐसा प्रतीत होता है कि गांवों के लोगों की भावना को उल्टा दूषित किया गया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

जिस समय २ अक्टूबर, १९५९ को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना चालू की गई उस समय जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लिये जो नियम बने थे और जिस प्रकार का प्रावधान उस समय नियमों में किया गया था उससे आपने पंचायत के सरपंच को वहां के प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसा अधिकार दिया था कि जिससे वह पंचायत समिति के काम पर अंकुश रख सकता था । साधारणतः महीने में एक बार पंचायत समिति की बैठक होती थी । अगर हम कोई प्रश्न का उत्तर उनसे मांगना चाहते तो उनको उत्तर देना पडता था और वे बताते थे कि फलां विषय में क्या हो रहा है और उसका उत्तर यहां पर दिया जा सकता था । आज हमारे यहां उनको वे पॉवर्स नहीं हैं । हमारे यहां आज डवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोज डवलपमेंट होता जा रहा है आज एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार उनके पास नहीं है । हमने एक रूल के द्वारा उनसे यह अधिकार छीन लिया है ।

आपने अपने रूल्स के अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा सरपंचों और पंचायत समितियों के सदस्यों का अधिकार नहीं रखा है कि वे किसी किस्म की जानकारी पंचायत समितियों में कर सकें । दूसरा आपने यह किया है कि जो पंचायत समिति की बैठक एक महीने में एक बार होती थी और पंचायत समितियों के सदस्यों को अधिकार था कि सारी जानकारी उस समय कर लें, उसको हटा कर एक महीने की बजाय पंचायत समिति की बैठक तीन महीनों में एक बार करने का रख दिया है तो इस तरह से भी पंचायत समितियों के सदस्यों के अधिकारों को छीना है । एक तरफ तो जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को छीन लिया है और दूसरी तरफ जो एक महीने में मिल कर जानकारी करते थे उसे हटा कर तीन महीने का कर दिया है इस तरह यह अधिकार भी छीन लिया है ।

तीसरी चीज जो आपने की है, जिसने कि पंचायत समितियों को बिल्कुल ही कमजोर और निकम्मा बना दिया है वह यह किया है कि हर पंचायत समिति में पांच सात स्टेन्डिंग कमेटीज बनाई जाती हैं, सहवरण उनमें करते हैं, मेजोरिटी के

(श्री नत्थीसिंह)

आधार पर बाहर से लोगों को सहवृत किया जाता है और जिस दल का बहुमत होता है वह खिलाफ दल के लोगों को स्टेन्डिंग कमेटीज में नहीं आने देता और उन्हीं लोगों को स्टेंडिंग कमेटीज में कोओप्ट करते हैं जो हार गये थे, जनता जिनके खिलाफ थी इस लिये वे लोग हार गये थे, इसका नतीजा यह होता है कि जिन लोगों को जनता ने चुन कर भेजा है डवलपमेंट के कामों में उनको कोई सहयोग नहीं लिया जाता, उन लोगों का वहां कोई बोल नहीं और दूसरे लोग जो कि अनरिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, उन हारे हुए लोगों को, जनता द्वारा हराये हुए लोगों को सहवरण से ले कर इन स्टेन्डिंग कमेटीज को गठित किया जाता है।

इसके अलावा एक और कुठाराघात इन पंचायत समितियों के सदस्यों के अधिकारों पर किया गया है। दो पंचायत समितियों में मैं असोसियेटेड मेम्बर की हैसियत से हूं। मैंने देखा है कि स्टेन्डिंग कमेटीज की रिपोर्टस पंचायत समिति के सामने एक जगह ही रखी जाती है पर हमारे यहां की पंचायत समिति कुम्हेर और सुचरता है, दूसरी पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटी के निर्णयों को नहीं रखा जाता। यह उनके अधिकारों पर बडा कुठाराघात है। जब हमने एतराज उठाया तो चिट्ठी लिख कर डवलपमेंट डिपार्टमेंट से स्पष्टीकरण मांग लिया कि स्टेन्डिंग कमेटीज में निर्णय लें उन्हें फिर पंचायत समिति के सामने रखें या नहीं रखें, तो उन्होंने कह दिया कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, ७ आदमी जो निर्णय करें चाहें तो सुचरता पंचायत समिति के सामने विचारार्थ रखें, अगर नहीं चाहें तो नहीं रखें। इन स्टेन्डिग कमेटीज का निर्णय होता है उनकी रिपोर्ट पंचायत समिति के सदस्यों के सामने नहीं रखी जाती है। जब पंचायत समिति के सामने नहीं रखी जाती तो पंचायत समिति के सदस्यों को कैसे मालूम हो सकता है कि विकास के लिये विभिन्न स्टेन्डिग कमेटियां बनी हुई हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिये हैं? इस तरह नियमों में अमेंडमेन्ट किये हैं कि पंचायत समितियों को जो अधिकार थे उनका हनन कर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि विकास अधिकारी और प्रधान दोनों यदि एक मन के हों, एक मत के हों तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, दूसरे सदस्यों को कुछ पता ही नहीं चल सकता। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जानकारी करने की कोशिश करें कि ऐसी स्थिति है कि नहीं। अगर है तो धन का वितरण करने में पंचायत समिति को पूर्ण अधिकार होने चाहिए और यह सब प्रत्येक सदस्य की जानकारी में रहना चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक बात और जिस की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि आज हालात यह हैं कि जब तक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण नहीं किया था पंचायत विभाग था जो पंचायतों और सरपंचों के ऊपर सुपरविजन का काम करता था। पिछले दिनों उप-मंत्री, राजस्व ने बताया कि करेक्शन आफ एन्ट्रीज का नियम है उसमें यह किया है कि करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज कराना चाहता है तो पटवारी को पूछ कर पंचायत कर सकती थी, पंचायत को अधिकार दे रखा था। पर अब तहसीलदार एस. डी. ओ., बी. डी. ओ. को सरपंच की जांच का अधिकार दिया है, असिस्टेन्ट

(श्री नत्थीसिंह)

पंचायत कलेक्टर और बना दिये हैं, वह भी जांच करते हैं, इन सब के ऊपर डवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके तो सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। तो इस तरह सरपंच के ऊपर जिसको आप चाहते हैं कि सही बात गांव के सामने रख सके, सही बात कहने की उसमें हिम्मत हो, उसकी हिम्मत, उसके साहस को तोडने के लिये आपने उस पर इतने ये अधिकारी बैठा दिये हैं। आपका यह कार्य ही बताता है कि आप पंचायतों को ताकतवर बनाने के स्थान पर साहसहीन और कमजोर, बनाना चाहते हैं।

मैंने कहा था कि किस तरह पंचायतों को कमजोर करने की कार्यवाहियां की जाती हैं। राजस्थान में ६३ सरपंच सस्पेन्ड किये गये हैं, उनमें से मेरे जिले में ९ हैं, मैंने १० बताये थे, मुख्य मंत्रीजी ने ९ बताये। तो जिन के खिलाफ जांच चल रही है उनको देखें तो नम्बर और भी बढ जाता है। पंचायत समितियों में भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है, ऐसी एक कुम्हेर पंचायत समिति है, स्टेन्डिंग कमेटी जो स्टेचुटरी बोडी है, एक बार बनने के बाद वह तीन साल रहेगी पर उनको भंग कर दिया, एक बार ही नहीं दो बार भंग कर दिया और सदस्यों के बहुमत ने डेवलपमेंट विभाग को लिख कर दिया तो भी आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत समिति को यह अधिकार आपने दिया है कि पंचायत समिति अपने कर्मचारी हैं, उनको बरखास्त नहीं कर सकती है पर पंचायत समिति कुम्हेर ने बिना डी. ई. सी. का एप्रूवल लिये पंचायत समिति के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। तो इस तरह गलत काम करने की उनकी हिम्मत पडती है।

तो इस तरह राजनैतिक आधार पर सरपंचों को पीडित नहीं किया जाय, इसके लिये पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा था कि जिला लेवल पर यह सब देखने के लिये एक ट्रिब्यूनल हो जिसमें हाई कोर्ट के जज और दूसरे चुने हुए व्यक्ति हों। इस संबंध में मुख्य मंत्री ने कोई बात नहीं बताई। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार की क्या नीति है, क्या हमारी सरकार तैयार है कि इस प्रकार के ट्रिब्यूनल नियुक्त किये जायं ताकि गलत काम करने वालों को सजा दे सकें और सही काम करने वालों को दाद दे सकें।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम यह नहीं मान लेते कि ग्राम पंचायतों के आमदनी के साधन बढाये जायं तब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना सफल नहीं हो सकती। आपने सर्कूलर इश्यू किया है, उसमें दिया है कि १५ बीघा भूमि प्रत्येक ग्राम पंचायत को दे दी जायगी। हमारे यहां मुश्किल से दो चार पंचायतें हों तो हों पर यह भूमि किसी को नहीं दी गई है। भरतपुर जिले में कुछ बागात हैं जो कृषि विभाग या रेवेन्यू विभाग के पास थे। जिला परिषद् पंचायत समितियों ने मांग की कि इन बागों को ग्राम पंचायतों को दे दिया जाना चाहिए पर आज तक कोई निर्णय इस बारे में नहीं लिया गया है। इन बागों की ये हालात हैं कि इनको कोई देखने वाला नहीं, बर्बाद हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों को दिया नहीं

(श्री नत्थीसिंह)

जाता । इनको अगर ग्राम पंचायतों को दे दिया जाता तो इनकी यह दुर्दशा नहीं होती । दो बडे अच्छे बाग हैं, उनके लिये बहुत कोशिश की गई पर उन्हें ग्राम पंचाय ों को नहीं दिया गया ।

पंचायतों की आर्थिक दशा बडी खर, ह है, इसके लिये मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं । २ अक्टूबर को पंडितजी से उद्घाटन करवाया तो कुछ म्युनिसिपेलिटियों को अहलाम हुआ कि म्युनिसिपलिटी के तौर पर रह कर क्या करेंगे, ग्राम पंचायत बन जायं, ग्राम पंचायत बन कर जल्दी ही तरक्की कर लेंगे । कुम्हेर नगर की नगरपालिका ग्राम पंचायत बन गई । उसकी हालत ग्राम पंचायत बनने पर यह हुई कि उसको जो सब्सिडी मिलती थी वह बन्द हो गई और आज उसकी यह दशा है कि कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दी जाती । इस पर बडा इनाम और दिया है सरकार ने । कई सालों से गांवों में मेले लगते आते थे, जिनसे १०, १५ हजार रुपया महीने की आमदनी होती थी । हमारी सरकार ने फैसला कर दिया कि अब वे मेले पंचायतें नहीं लगा सकेंगी । रोज झगडे पैदा कर रहे हैं । कभी फैसला कर दिया कि २।३ पंचायत लें और १।३ पंचायत समिति का है । कोई कहता है दस वर्ष पहले नहीं लिया है नहीं देंगे मैं पूछना चाहता हूं कि जो आधार बनाया है उसको आप मजबूत करना चाहते हैं या नहीं ? यदि उसको चलाना है तो पंचायतों की आमदनी में बढोतरी करेंगे, कटोतरी नहीं । मुख्य मंत्री जी से मिला । इस मेले में पूरे इलाके की मवेशी आती हैं ।। एक क्षेत्र की पंचायत ही क्यों तरक्की करे यह दृष्टिकोण है । केवल जिले की या पंचायत समिति की ही वहां मवेशी नहीं आती हैं किन्तु यू. पी. से भी आती हैं । तो फिर यह फैसला कर दीजिये कि इसकी आमदनी भारत सरकार को दी जायेगी इससे देश की तरक्की होगी । उन लोगों को अफसोस तो आज इस बात का है कि जो, किसी समय बडी म्युनिसिपेलिटीज़ थीं जिनको बडी बडी सब्सिडी मिला करती थीं वे आपके नारे के भुलावे में आकर पंचायतों के रूप में आ गईं । आज इस प्रकार आपके कारण उनका विकास कुंठित हो रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने एक निर्णय और लिया है । आप विलेज वॉलन्टियर फोर्स बनाना चाहते हैं । आप चाहते हैं कि गांवों में इनके जरिये से सामुहिक रूप से विकास की बातें वे करेंगे । आप श्रम बैंक की बात करते हैं । आप वह कार्य-क्रम ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के जरिये से कराना चाहते हैं । जिन ग्राम पंचायतों में कोरम ही पूरा नहीं होता है, जिनमें पंचों को अधिकार ही नहीं रहा है, जो बैठकों में जाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर यह योजना केवल योजना मात्र रह जावेगी । कागजों में लिख दिया कि वॉलन्टियर फोर्स बनेगी । चीन का आक्रमण हुआ तो आपने सोचा कि कम्युनिटी डवलपमेंट पर कहीं खतरा आ जाय । आपने सोचा कि वॉलन्टियर फोर्स बनायेंगे और देश की रक्षा करेंगे । यह २ अक्टूबर, १९५९ से कम महत्वपूर्ण नारा नहीं है । मैं आपके डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं कि इन गांवों को बचाना चाहेंगे या नहीं । जिस किसान के नाम पर आप नारा लगाते हो उसके हाथ में आपने

(श्री नत्थीसिंह)

कोई शक्ति नहीं रखी है, जिसके हाथ में कोई ताकत नहीं है, उसको आप बचाना चाहते हैं या नहीं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आपने यह निश्चय कर लिया है और यह बताया गया है कि हर गांव में एक ग्राम सेवक दिया जायगा जो कोऑप-रेटिव सोसाइटी और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी का काम करेगा । इस पर कभी सोचा है आपने ? आप एक तरफ यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ श्री एस० के० डे लखनऊ की मीटिंग में कहते हैं कि सरकारी समितियां इसलिए खत्म हो रही हैं और पंचायतें भी इसलिए खत्म हो रही हैं कि सरकार हस्त-क्षेप करती है । इस प्रकार ग्राम सेवक रखने से तो काम पंचायतों का चलेगा नहीं। करना तो आपको यह चाहिये कि विकास के लिए ग्राम पंचायतों को पैसा दें, उनको इस ओर ट्रेनिंग दें । आप यह तो नहीं करना चाहते । आप एक ऐसे आदमी को ग्राम पंचायतों और सहकारी संस्थाओं में भेज देना चाहते हैं जिन संस्थाओं को उसके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं दिया है, उसकी नियुक्ति कोई उसको हटाने का अधिकार नहीं दिया है, ऊपर से एक प्रकार के आदमी को ग्राम पंचायतों के ऊपर थोपना चाहते हैं, वह ग्राम पंचायतों के अन्डर में न चल कर वह तो सीधा बी० डी० ओज० के डाइरेक्शन में चलेगा वह ग्राम पंचायतों और सहकारी संस्थाओं में लोगों के डाइरेक्शन पर नहीं चलेगा । उनके नियंत्रण में नहीं रहेगा । आप इस प्रकार से एक ड्युल शासन गांवों में कायम करना चाहते हैं । जैसा मैंने आपको अभी बताया इस प्रकार के कामों के कारण पंचायत निर्जीव बन गई हैं । आप प्रोडक्शन प्लान बनाने का काम करना चाहते हैं । ग्राम सेवक इसमें कितना सफल हुआ है ? ग्राम सेवक शहर में अपने घर पर बैठ कर गलत डायरीज़ भर कर आपको आंकडे बता देते हैं । कुछ ही ग्राम सेवक ऐसे हैं जो इमानदारी से काम करते हैं । ज्यादा-तर ग्राम सेवक इस प्रकार से कार्य करके गलत आंकडे सरकार को देते हैं । इस प्रकार से बोगस चीज नहीं होनी चाहिये ।

यदि आप प्रोडक्शन प्लान बना कर ग्राम पंचायतों में विकास का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो आप आधा अनुदान ग्राम पंचा-यतों को दीजिये लगान का । जो सहायता पंचायत समितियों को देते हैं ग्राम पंचायतों और ग्रामवार सहायता दीजिये । उन्हीं पर आप बोझा डालें विकास का । वे ही योजना बनायें और एक्जीक्युट करें । एग्रीकल्चर में सहायता देने के लिए ग्राम सेवक को इस्तेमाल कीजिये, कम्पोस्ट के लिए इसके अधिकारी को रख दीजिये । इन कामों में ग्राम पंचायतों को मदद होनी चाहिये वरना आपका जो यह विकेन्द्रीकरण का ढांचा है वह चरमरा तो रहा ही है समाप्त हो जायगा । यदि इस प्रकार आप योजना बना कर गांवों के ऊपर बोझा न डालेंगे तो आपका वह विकेन्द्रीकरण सफल नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष: श्री श्योपतसिंह ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): मान-नीय अध्यक्ष महोदय, २ अक्टूबर, १९५९ को जब हमारे राजस्थान में लोकतांत्रिक

(श्री श्योपतसिंह)
विकेन्द्रीकरण की योजना का उद्‌घाटन हुआ तो देश में सब तरफ से हमारे मुख्य मंत्री की बडी तारीफ हुई । राजस्थान का इसमें बडा नाम हुआ और आम किसान ने भी इस बात को महसूस किया कि अब तो तेरा भाग्य खुल गया है, गांव का विकास करने में सरकार बहुत सहायता देगी, बहुत तरक्की करने का मौका मिलेगा । मैं इसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने इस दौरान में कुछ कमियों को देखा है और अगर हम चाहते हैं अपने गांवों का विकास करना तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उन कमियों को दूर करें । वे कमियां दूर किस तरह हों ? हमारे जो मुख्य मंत्री हैं, या जो दूसरे मंत्री-गण हैं उनको टाइम नहीं है । दूसरे लोगों के सुझावों को शायद अच्छी मान्यता न देते हों । आज ग्राम पंचायतों में जाकर देखिये मायूसी छायी हुई है । कुछ थोडी हरकत हुई थी जिस वक्त ५९-६० में हमारी भावनाएं भी बढी वे सब भावनायें दूर हो गई । वह सारा उत्साह खत्म हो चुका । पंचायतें इतनी निर्जीव हो गई हैं कि आप जो लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का एक्स्-पेरीमेंट कर रहे थे वह फैल हो गया तो इससे बडा आघात पहुंचेगा । उन किसानों को आघात पहुंचेगा जिन्होंने बेस बनाया वि-केन्द्रीकरण के नाम पर तरक्की करने का।

पहली बात तो यह है कि पंचायतों को अनुदान देने के बारे में । जैसे मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा सरकार द्वारा जो भी पंचायतों को रियायत देने की घोषणा की जाती है वह घोषणा मात्र रह जाती है । कहा गया था कि जिन पंचायतों की आमदनी नहीं है उनको १५ बीघा जमीन दी जायगी जिसकी आमद से उस पंचायत का काम चले और उस पंचायत को रेगुलर आमदनी हो सके । हमारे इलाके भाखरा क्षेत्र में भी इतला दी गई थी, गांव वालों से सुझाव मांगे गये थे । पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव पास कर दिये गये लेकिन वह जमीन आज नीलाम हो रही है । राजस्थान की सारी पंचायतों की यह हालत है । पंचायतों में जब इन्कम का साधन नहीं होगा तरक्की कैसे होगी ? कौनसा साधन है ? क्या चीज है ? कहा गया कि तरक्की करो ।

गांव में स्कूल खोलने का जहां तक सवाल आता है गांव के सारे लोग अपने पास से पैसा इक्ट्ठा करके लगाते हैं । कुए खोदने का सवाल आता है तो सरकार की ओर से थोडा सा हिस्सा मिलता है बाकी का लोग अपने पास से लगाते हैं । होस्पिटल, औष-धालय और टीचर्स क्वार्टर्स बनाने का सवाल आता है तो लोग अपने पास से पैसा देकर बनाते हैं ।

सरकार की तरफ से थोड़ा सा अनुदान मिलता है और वह भी बड़े अजब तरीके से मिलता है । दरख्वास्त दो, पंचायत समिति में जावेगा, फिर स्थायी समिति में जावेगा, वहां चार पांच आदमी की कमेटी होती है । उनके जैसा मन में आवेगा करेंगे । पहले तो यह होता था, जनरल मीटिंग में पास होता था कि किस गांव में देना है, किसको जरूरत है किसको नहीं है । अब स्टेन्डिंग कमेटीज तय करती हैं और बी० डी० ओ० की राय इसमें चलती है । पार्टी बेसिस पर काम चलता है । इससे सारी पंचायतों में काम अधूरे पड़े

(श्री स्योपतसिंह)

हैं । राजस्थान में स्कूलों और पानी पीने की डिग्गियों, के मामलों में जिला गंगानगर राजस्थान सबसे आगे है । इसका हमें फख्र है पर वहां भी आप एक तस्वीर देखेंगे कि वहां ५० फी सदी काम इसी कारण से अधूरे पड़े हैं ।

यह सारी अव्यवस्था क्यों है ? लोगों में मायूसी आई हुई है । सब काम पार्टीबाजी से होते हैं । जिनको देना होता है देते हैं । पंचायत समिति के जरिये विकास का काम हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को अपना रहे हैं जो इस बात में थे कि पंचायत समितियों के द्वारा, उसके अनुदानों द्वारा अपनी तरक्की होगी । यहां जितना रुपया मिलता है वह सारा उनको मिलता है जो साधन सम्पन्न हैं । हम जो चाहते थे कि पंचायत समितियों द्वारा गरीब किसान को सहायता पहुंचेगी, गरीब आदमी को मदद मिलेगी, उनको साधन उपलब्ध होंगे, पर आज सब उलटा हो रहा है । जो पहले से साधन सम्पन्न हैं उन्हीं को और साधन मिलते हैं । इसकी वजह यह है कि जो सरपंच पंचायत समिति में आते हैं वे साधन सम्पन्न होते हैं । वे अपने नजदीक के लोगों को, रिश्तेदारों को यह सारा पैसा दिलवाने की हर तरह से कोशिश करते हैं । अगर मेरी इस बात में आपको शक हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपील करूंगा कि वे एक कमीशन बैठाकर इसकी जांच करवा लें ।

इसके साथ साथ पंचायत समितियों में जो भी अनाप-शनाप खर्चा होता है, साल भर में जितने विकास के कामों में रुपया खर्च होता है उससे कहीं अधिक अधिकारियों के क्वार्टर बनाने में, दूसरी एजेन्सियों के भवन बनाने के लिये, मोटरों में, उसके तेल में खर्च हो जाता है । किसी भी पंचायत समिति को आप ले लीजिये । साल भर का हिसाब लगाइये । और देखिये कि वहां के क्लर्क अधिकारियों आदि की सेलरी, उनके टी० ए०, डी० ए० अलाऊन्स, उनके रहने के क्वाटर्स, मोटरगाड़ी, पेट्रोल आदि पर कितना खर्चा हुआ ? उससे कहीं बहुत कम रुपया असल विकास के कामों में लगाया जाता है । यह आम हालत है । उनको जो जीप मिलती है प्रधान उसे यूज करता है जब वे उसे छोड़ते हैं तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी उसे काम में लेते हैं, जब वे उसे छोड़ते हैं तो फिर एक्सटेन्शन अधिकारियों के काम आती है । जिनके पास कोई काम नहीं है उनका काम है सिर्फ मोटरों में बैठकर सैर करना । अगर इसी तरह से काम होता रहा तो पंचायत समितियों के बारे में जो हमारी धारणा थी वह समाप्त हो जावेगी । जो एक्सपेरीमेन्ट हमने पंचायत के क्षेत्र में करने की सोची थी उसका यह हाल देखकर देश के लोगों को भारी धक्का लगेगा । हम चाहते हैं वह धक्का न लगे । ये पंचायतें कामयाब हों । और इनके माध्यम से गांव की गरीबी, निरक्षरता और बेकारी से लोहा लिया जा सके । अगर ये बुराइयां दूर नहीं हुई और यह हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो यह बुरी बात होगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं प्रधानों के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं । एक पंचायत समिति में तीस बत्तीस या चालीस सरपंच होते हैं । इसमें प्रधान के लिये उम्मीदवार वही होता है जो सबसे ज्यादा शराब इन पंचों सरपंचों को पिला सके, सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर सके । वह ज्यादा काबिल होगा और

(श्री श्योपत सिंह)

सफल भी होगा जो पैसा देकर वोट ले सकेगा। अब तीस की पंचायत समिति हुई तो १६ वोट उसे चाहियें। वह उसे जीपों में ले जाता हैं, अगर अधिक हुए तो बसों में भी ले जाता हैं और कभी भाखरा डैम ले जाता हैं, तो कभी आगरा और हरिद्वार चंडीगढ आदि की सैर करा लाता हैं। ताकि दूसरे पक्ष के लोग कनवैंसिंग करके उनके वोट न छीन लें। यह किस्सा अकेला गंगानगर में ही नहीं, सारे राजस्थान में होता हैं। यहां तक कि सरपंच लोगों को बन्द भी कर देते हैं ताकि उनके चुनाव में बाधा न पड़े। पांच पांच दिन पहले से बन्द कर देते हैं, उड़ा ले जाते हैं। यह बड़ा अच्छा तरीका हैं हमारी पंचायतों का और जनता का विकास करने का। इसका एक इलाज हैं हमें सरपंचों पर ही नहीं छोड़ना चाहिये इस चुनाव में पंचों को भी वोटर बनाना चाहिये ताकि सैंकड़ों वोटर्स को उठा कर ले जाने की हिम्मत उनकी न पड़े और अगर इस तरीके को अपनावे भी तो कम से कम दो चार लाख रुपये तो उसका खर्च हो ही जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट सिर्फ और लूंगा।

अब अध्यापकों के बारे में अर्ज करूंगा। अध्यापकों का चुनाव होता है, प्रधान महाशय करते हैं। गांव में एक गरीब पढ़ा लिखा बेकार है। उसके पास उसकी सिफारिश आती है कि साहब इसको रख लो। उसको रखते हैं। ६ महीने के लिए रखते हैं। बाद में सलेक्शन होते हैं। वे कैसे होते हैं—मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। ६ महीने बाद उसको निकाल दिया जाता है। फिर वह एम्पलॉयमेंट में दरख्वास्त देता है। और सब झंझट फिर उठता है। यह क्या तरीका है? यह हैरान करने का तरीका है। वह प्रधानजी के पीछे पीछे मारा मारा फिरता है। सरपंच, पंच की पलटन उनके पीछे मारी मारी फिरती है तो इस तरह से लगातार बड़ी अजीब हालत होती रहती है।

फिर तबादले में भी कमाल है। एक-एक मास्टर का नौ नौ जगह थोड़े ही अर्से में तबादला कर दिया जाता है। इस तरह की हालत है, जो कि बड़ी दयनीय हालत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी को देखते हुए मैं यह अर्ज करूंगा आखिर में कि…

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आखिर घंटी का कुछ अर्थ भी होता है।

श्री श्योपतसिंह : मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे मेरी इन बातों पर गौर करें ताकि गांवों में अच्छा काम हो, विकास हो और तेजी से हो। इस तरह के कुछ सुझावों को मैंने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला है, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय। (विकास अधिकारियों की विकास कार्य में अरुचि पर बहस करने हेतु)।

(श्री गोविन्द सिंह)

और दूसरा है मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा पर विशेष ध्यान न देने व शिक्षकों की अरुचि पर बहस करने हेतु)।

अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को बजट पेश हुआ था और इसके बाद कल बजट की बहस के उत्तर में नये प्रपोजल्स रखे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने।

जिस समय कटौती के प्रस्ताव दिये थे उस समय से आज बहस करने के समय तक परिवर्तन हुए। पहली बार हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने १५.५।८ इर्रिगेटेड लैंड पर २५ पर्सेन्ट सरचार्ज लगाया, ३१.२।८ पर ३३ पर्सेन्ट और इसके आगे ५० पर्सेन्ट रखा था। वह था इर्रिगेटेड लैंड पर। किन्तु जो भाषण उन्होंने दिया है उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों को कन्फ्यूज करने की कोशिश की है। इर्रिगेटेड शब्द को हटा कर चाही और बारानी कर दिया है और दस एकड़ लिया है। इसका मायने यह हुआ कि २ तारीख को जो बहस हुई थी उसमें १५, ३१ और ऊपर का बीघा था, पर कल जो उत्तर दिया उसमें दस एकड़ बताया। इसके माने इर्रिगेटेड चार एकड़ ही रह गई है यह सीमा घट कर। मैं यह कहता हूं · ·

श्री अध्यक्ष : वह भी शायद सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर दो तरह की जमीन हो तो उसमें भेद आंकने के लिए ऐसा किया जावेगा कि अगर सिंचित जमीन है तो कोई भी रियायत नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Canal irrigated land would be treated 1/3rd.

श्री अध्यक्ष : In all cases ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : In all cases.

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय ने तो यह कहा था कि जिनके पास दो तरह की जमीनें हैं उसको नापने के लिए २।३..

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करूं कि अगर किसी के पास ३ एकड़ सिंचित जमीन है तो ३ एकड़ करीब ९ बीघा के बराबर है और २-१ एक एकड़ बारानी और हो सकती है। अगर किसी के पास मान लीजिये २ एकड़ कैनाल ईरिगेटेड लैंड है तो उसका ६ बीघा तो वह और चार एकड़ बारानी, तो यह इस तरह है।

श्री अध्यक्ष : अगर किसी के पास ३ एकड़ है तो ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : It should be exempted.

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह आंके जाने का बेसिस क्या होगा ? Point of information, Sir. इसके आंके जाने का बेसिस क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वित्त मंत्री ने बता दिया।

श्री श्योपतसिंह : साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : सब साफ हो जावेगा। आप सुनते जावें।

श्री गोविन्दसिंह : पहले पंचायत समिति को ६० लाख का अनुदान था वह कन्सेशन वियड्रा कर लिया है। इसके माने यह हुए कि ५० प्रतिशत कम्पलसरी सेविंग सेन्टर, से इम्पोज होगा। फाइनेन्स मिनिस्टर ने भी

(श्री गोविन्दसिंह)

सेस लगाया और पंचायत फिर अपने काम के लिए पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट टैक्स लगा सकती है वह और हुआ । तो इसके साफ माने हैं कि तीन तीन टैक्स लग रहे हैं ।

मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि बजट भाषण के समय से उसका जवाब देने के वक्त जो काश्तकार पर सेन्ट पर्सेन्ट सेविंग व सेस का भार था वह १०५ से ११० पर्सेन्ट तक भी हो सकता है । इसके माने हैं कि काश्तकार पर टैक्स का भार सौ पर्सेन्ट से भी अब ऊपर बढ़ गया ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं । इनमें किसी में २२ पंचायतें हैं तो किसी में ४० से लेकर ४५ तक भी हैं । यह अन्तर ठीक करना चाहिए । क्योंकि इससे अनुदान में बड़ा असर पड़ता है । जिसमें २२ सरपंच होते हैं उनको भी वही अनुदान और जिनमें ४५ होते हैं उनको भी वही अनुदान । इसलिए अगर हम सबमें ४० पंचायतें रखने का निर्णय कर लें तो २३२ के बजाय १८५ रहेंगी । ४७ कम हो जावेंगी । आज एमर्जेन्सी का समय है । खर्चा कम करने की बात बार बार सामने आती है तो आज जिन पंचायत के पास जीप वगैरह साधन नहीं भी हैं तो इनको इन ४७ के कम होने पर इनके साधन उनको दिये जा सकते हैं । इनका जो सरप्लस स्टाफ भी होगा उसको बाकी की पंचायत समितियों में बांटा जा सकेगा बिना किसी एकस्ट्रा बर्डन के । इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह की घोषणा कर दें । इससे बचत होगी ।

कई पंचायत समिति में तहसील हैड क्वार्टर नहीं है । स्पेशली जिला झालावाड़ में । जहां पंचायत समिति का हैड क्वार्टर रखा जाय वहां नायब तहसीलदार का हैड क्वार्टर रखा जाय ताकि विकास के कामों में समन्वय हो सके । प्रैक्टिकल डिफिकल्टी यह आती है कि जहां पंचायत समिति का हैड क्वार्टर होता है यदि वहां सब-ट्रेजरी या ट्रेजरी कहीं नहीं होती है तो पैसा लाने निकालने में बड़ी दिक्कत होती है ।

कुछ पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें तहसील हैड क्वार्टर से एप्रोच रोड भी नहीं हैं और घूम फिर कर आते हैं तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है । इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

कुछ पंचायत समितियों में पंचायतें ऐसी हैं जो दूसरी तहसीलों में पड़ती हैं । अनुदान के समय उनको पूरा फायदा नहीं मिलता ।

एक पंचायत समिति बकानी तो ऐसी है जो आधी झालरापाटन में मिला दी गई है आधी दूसरी में । न तो नायब तहसीलदार वहां रहा न तहसीलदार रहा । अब दुविधा में है । यह तो अच्छा किया जहां तहसील नहीं है वहां पंचायत समिति का हैडक्वार्टर रख दिया । पर उससे बजट में कमी नहीं हो सकी क्योंकि हर तहसील में एक एक नायब तहसीलदार और बढ़ा दिया गया । अब जहां पर पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है वहां नायब तहसीलदारों का पोस्टिंग कर दिया जावे ।

दूसरी बात फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह फरमा दी कि जो अनुदान इनको देने वाले थे वह नहीं देंगे । कम से कम

(श्री गोविन्द सिंह)

हर एक पंचायत में सेक्रेटरी रहेगा । तीन अलग अलग विभागों का काम एक आदमी करेगा तो तनख्वाह बढ़ेगी । कई जगह एस. डी. एम. को विकास अधिकारी बनाया जाता है । यह अपने आपको डिग्रेड फील करते हैं और विकास कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते हैं । कमरे में बैठे रहते हैं । कोई सरपंच भी अगर मिलने जावे तो चिट भेजना पड़ता है । तब विकास अधिकारी बातचीत करेगा । तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि विकास अधिकारी नाम मात्र का है । वह विकास करने के स्थान पर वह फूट डलवाता है । एकता तोड़ने की कोशिश करता है अगर पंचायत समिति विकास अधिकारी का कहना नहीं माने तो वह अगर उसके खिलाफ जाता है तो वह इसका इलाज भी जानता है । मैं एक उदाहरण दूं इसका आपको । पंचायत समिति पिडावा में ३७ सरपंच हैं । सब एकमत के थे । वहां के विकास अधिकारी ने यह किया कि बिना किसी से पूछे एक गांव में बांध बनाने के लिये स्वीकृति दे दी । पंचायत समिति को मालूम हुआ तो उसने इन्कार कर दिया । कुछ लोग बांध बनवाना चाहते थे उनसे पंचायत समिति का मन-मुटाव हो गया । पंचायत समिति ने कह दिया कि चूंकि हमारे बिना पूछे स्वीकृति दे दी गई है इसलिये हम नहीं बनने देंगे । ३७ सरपंचों में से इस पर ५-६ सरपंच अलग राय के हो गये । और इस तरह से वहां की एकता छिन्न भिन्न हो गई जो एकता पहले एक अनुकरणीय थी ।

इसी तरह स्कूल का सवाल था । स्कूल का भवन बन रहा था, पैसा मिलना चाहिये था सरपंच को । पर उसको न देकर न्याय पंचायत के चेयरमैन को दे दिया । सरपंच ने शिकायत की । नतीजा यह हुआ कि चेयरमैन ने गांव के लोगों में यह बात फैलाई कि वह तो स्कूल बनवा रहा है पर सरपंच खिलाफत करता है । वातावरण वहां का बड़ा खराब हो गया इससे । अरुचि वाले विकास अधिकारी विकास के कामों में ध्यान नहीं देते । अपनी शान शौकत और बात रखने में, रौब रखने में अधिक ध्यान देते हैं और अगर कोई उनका रौब नहीं माने तो उनमें मन मुटाव कराने की कोशिश करता है ।

पंचायत समिति में मास्टर रखे जाते हैं और चूंकि उनका सलेक्शन पंचायत समिति द्वारा होता है, पंचायत समिति के प्रधान और बी. डी. ओ. को ओब्लाइज करना पड़ता है । तो ये काम ठीक तरह से, स्वतन्त्र रूप से नहीं होते, निष्पक्ष तौर से नहीं होते, सिफारिशों में मामले पड़ जाते हैं । तो फिर इस तरह से आने वाला मास्टर बच्चों को क्या अच्छी तरह से पढ़ा सकेगा । यह स्पष्ट है । मुझे खेद हुआ एक जगह देख कर कि स्कूलों में जो अमेरिका से दूध आया हुआ है उसको बच्चों को ठीक तरह नहीं पिलाया जाता है । मुझे एक दो जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने देखा कि बच्चों को पिलाये जाने वाले दूध को गरम करते समय उसे हिलाने को चम्मच तक नहीं था । लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ रखा था और उससे दूध हिला रहे थे । मैंने कहा अध्यापक महाशय, यह अमेरिका से आया हुआ दूध है, इस तरह से अगर लकड़ी से आप इसे हिलावेंगे तो संभव है इसमें पोइजन बन जावे, सफाई की इसमें बड़ी जरूरत पड़ती है, कम से कम आप एक चम्मच का प्रबंध तो कर लो । पांच मिनिट

(श्री गोविन्द सिंह)

बाद क्या होता है कि बच्चे अपने अपने पास से शक्कर लाये और मिलाने के लिये वे भी लकड़ी के टुकड़े काम में लेने लगे। यह एक मामूली सी बात है, इसका इन्तजाम कर सकते हैं। अगर विकास अधिकारी उसकी तरफ ध्यान रखें तो यह सुधार हो सकता है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अलाट मेंट के बारे में है। इसमें विकास अधिकारी होता है, प्रधान होता है, एम० एल० ए० होता है, सरपंच होता है और तहसीलदार होता है। जिस समय जमीन के बंटवारे का प्रश्न आता है तो पूछा जाता है कि चर-नोट की जमीन रखी है या नहीं और यह भी पूछा जाता है कि भूमिहीन काश्तकार कितने हैं ? जो पटवारी वहां पर नक्शा पेश करता है उसको आधार माना जाता है। यहां पर बारबार प्रश्न यह पूछा जाता है कि जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनकी लिस्ट पंचायतों में होनी चाहिए परन्तु वह उनके पास नहीं रहती। भूमि का नम्बर एक होता है और जमीन काफी होती है तो एक ही नम्बर की जमीन ५-६ आदमियों को अलॉट हो जाती है। पंच, सरपंच या विकास अधिकारी जमीन बांट कर चला जाता है और बाद में वहां झगडा होता है कि कोई जमीन काबिले काश्त है कोई नहीं है तो वहां पर झगडा होता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन का अलॉटमेंट होता है तो कम से कम कितनी जमीन काबिले काश्त है और कितनी जमीन काबिले काश्त नहीं है और कितने भूमिहीन काश्तकार हैं इसकी लिस्ट पंचायत में हो तो इस अलॉट मेन्ट के मामले में किसी प्रकार की गडबडी नहीं होगी। इसके अलावा पंचायत समितियों में जो भी मीटिंग्स होती हैं, अक्सर यह देखा जाता है कि उन मीटिंगों में डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर नहीं आते हैं। अगर ज्यादा जोर लगायें तो सरकारी विभाग का असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जरूर चला जाता है, दूसरे ऑफिसर्स कोई नहीं जाते हैं और उसको एक मखौल समझते हैं। इसलिए यदि पंचायत समितियों का कोई भी महत्व आप समझते हैं तो यह करना चाहिए कि पंचायत समिति की जब भी मीटिंग हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर वहां पर जायें ताकि उनकी जो समस्यायें होती हैं उनका वह ठीक तरह से जवाब दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में आजकल एक तरह का कम्पीटीशन सा चला हुआ है कि कौनसी पंचायत समिति फर्स्ट आती है और कौनसी क्या करती है। इसमें आंकड़े जो पेश किये जाते हैं उसमें बताया जाता है कि कितना हरी घास की खाद का प्रचार किया, कितना फर्टीलाइजर बांटा और कितनी प्रौढ़शालायें वहां पर हैं इत्यादि। मैंने तो यह देखा है कि जो मैन्योर है यह पंचायत समितियों को इश्यू कर देती हैं और पंचायतें उस मैन्योर को अपने यहां किसी मकान में डाल देती हैं वह खाद खेतों में पडा है या नहीं लेकिन पंचायत समितियां अपने रेकार्ड को अच्छा बताने के लिए यह कह देती हैं कि हमने इतना फर्टीलाइजर काम में लाये हैं। अगर एक्चुअली देखा जाये तो उसको १।३ भी काम में नहीं आता। वह साल भर तक पडा रहता है, पानी उसमें गिरता है और खाद

(श्री गोविन्दसिंह)

बेकार होती है इसलिए कम से कम हमारी जो खाद इतनी मंहगी है और इससे हमारी फसल की पैदावार बढती है इसका इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । वही खाद जो साल भर पडा रहता है हम उसको खेतों में डालते हैं तो जितनी अनाज की पैदावार होनी चाहिए वह उससे नहीं होती है । और काश्तकार यह नहीं समझ पाते हैं कि यह जो खाद मिलती है इससे फायदा है या नुकसान होता है । इसलिए खाद को अच्छी तरह से इश्यू करना चाहिए और खाद का मिसयूज नहीं होना चाहिए ।

अब प्रौढशालाओं का प्रश्न आता है जो जगह जगह अध्यापक पढाते हैं वही इन प्रौढशालाओं को भी चलाते हैं । अक्सर यह देखा जाता है कि गांवों में पढाने वाले जितने भी अध्यापक होते हैं वह मैट्रीकुलेट्स होते हैं और वह शहरों से आते हैं । उसके लिए वहां पर मकान नहीं है और दूसरी सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं तो, अध्यक्ष महोदय, वह अध्यापक महीने में १०-१५ दिन वह अपने घरों पर रहते हैं । गांव वालों को अभी तक अपने बच्चों को पढाने का शौक नहीं लगा है, उनके बच्चे फैल होते हैं क्योंकि अध्यापक वहां पर रहते नहीं इसलिए वह समझते हैं कि पढाने से क्या फायदा । तो जिन बच्चों को वह पढाने के लिए मौजूद हैं उन्हीं को वह ठीक तरह से नहीं पढा सकते तो प्रौढशालायें क्या चलायें । दूसरी सामग्री जो मिलती है वह उनके घरों के काम के सिवाय और किसी काम नहीं आती है । हम यह समझें कि हमने लिट्रेसी को आगे बढाया है मैं इसको नहीं मानता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूलाल करोल ।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ६ कटौती के प्रस्ताव हैं । सबसे पहले चाकसू पंचायत समिति के अन्दर जो ऑडिट रिपोर्ट सन् १९५९-६० और १९६०-६१ की है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५९-६० के अन्दर जो ऑडिट आब्जेक्शन्स पंचायत समिति के ऊपर लगे हैं उनके आज तक जवाबात नहीं हुए हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि चाकसू पंचायत समिति के ऊपर कितने आरोप ऑडिट पार्टी द्वारा लगाये गये हैं और कितना गबन किया गया है । यह भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर कहूंगा कि सरकार के पास वह ऑडिट रिपोर्ट जरूर आई होगी और ३ साल का अर्सा हो गया लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं गया । इसलिए मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहूंगा कि जल्दी से जल्दी जितने गबन रिपोर्ट के अनुसार हुए हैं उनमें जल्दी कार्यवाही की जाये चाहे वह पंचायत समिति के सदस्यों से हुए हों या सरकारी कर्मचारियों द्वारा । उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जावे । इसी तरह से १९६०-६१ में भी ऐसा ही है । ऑडिट वालों ने जितने लांछन लगाये हैं उनका जवाब जरूर मांगा जाये पंचायत समितियों के कर्मचारियों से और दूसरे माननीय पंचायत समिति के सदस्यों से ।

दूसरा कटमोशन है सांगानेर पंचायत समिति के अन्दर पंचायत सांगानेर की है उसने गांधी पार्क के अन्दर जमीन अलॉट की

(श्री नाथूलाल करोल)

हूं वहां के नागरिकों को उसके मुतल्लिक । माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधी पार्क की जमीन पहले जब गांधी पार्क बनाया गया था जिस समय पंचायत समिति नहीं थी तो विकास सलाहकार समिति सांगानेर से रुपया लेकर उसको बनाया गया था और उसके अन्दर सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ था । लेकिन मौजूदा समय में इस सरपंच ने क्या किया कि उस गांधी पार्क की जमीन को जिसमें जिन आदमियों की थडियां थीं उनको जमीन न देकर दूसरे आदमियों को उस जमीन की रेट मुकर्रर करके उस को दे दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उसका ऑक्शन या नीलाम किया जाता तो अब उससे जितनी आमदनी हुई है उससे छःगुनी आमदनी पंचायत को होती लेकिन उन्होंने दुरुपयोग करके—मतलब कुछ स गांठ करके और थडियों को हटा कर सिंधियों को जमीन दी और एक भी मारवाडी आदमी को उसमें जमीन नहीं मिली । सरपंच ने ऐसा किया, इसलिए मैं राज्य सरकार से कहूंगा उसके बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिये कि जो जमीन अलॉट की है उसमें घोटाला किया गया है उसके लिए मैं इन्क्वायरी की मांग जरूर करता हूं ।

(१.५८ म. प.)

(**राव श्री नारायण सिंह** मसूदा, उपाध्यक्ष पदासीन)

तीसरा कटमोशन है पंचायत समिति चाकसू ने जो लास्ट ईयर हड्डियों का ठेका दिया था वह ठेका करीब १२ हजार या १६ हजार का था। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि कितने का था या तो १२ हजार का हो या १६ हजार का हो और उसका १।४ उसी समय पंचायत समिति ने ठेकेदार से ले लिया लेकिन दिसम्बर ६२ तक पंचायत समिति ने उससे दूसरी किश्त नहीं ली और वह बराबर हड्डियां उठाता रहा और न पंचायत समिति ने नोटिस दिया कि तुम्हारा ३ महीने का टाइम खत्म होने के बाद दूसरा इन्सटालमेंट पे करो और वह तमाम हड्डियां ले-गया और एक ही इन्सटालमेन्ट पे करके दूसरा इन्सटालमेन्ट देने के लिए पंचायत समिति को इन्कार कर दिया और इस तरह पंचायत समिति ९ हजार या १२ हजार घाटे में रही और जनवरी ६३ में जो ३ महीने का पीरियड बचा उसके लिएकिसी दूसरे ठेकेदार को ठेका दिया । इसलिए पंचायत समिति चाकसू ने जान बूझ कर ठेकेदार को टाला और उससे पैसे लेने में असमर्थ रही । इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रकम बकाया ठेकेदार में रही और वह दिसम्बर तक हड्डियां उठाता रहा उससे वसूल किया जाय यह मेरा कट मोशन है, मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देंगे ।

फोर्थ मेरा कट मोशन यह है कि पंचायत समितियों के पहले आपके विकास सलाह-कार समिति द्वारा जो अनुदान दिया गया था उसका सही युटिलाइजेशन नहीं हुआ । इसके मुतल्लिक, माननीय उपाध्यक्ष जी मैं निवेदन करूं कि सांगानेर पंचायत समिति, बस्सी व चाकसू पंचायत समिति जिनको अक्टूबर ५९ से पहले जो अनुदान दिया गया था उनके भी युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए हैं । मैं निवेदन करूं कि युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो क्या, जिस काम के लिये उनको रुपये दिये गये थे वे उस

श्री नाथूलाल करौल)

काम में नहीं लगे और उनका दुरुपयोग हुआ और सरपंच ने काफी घोटाला किया। इसलिए में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूं कि इधर तो टैक्स लगाते हैं और उधर पैसा देते हैं उसका हिसाब नहीं मांगते। एक बनिये का छोकरा भी जो दुकान पर बैठता है वह भी हिसाब मांगता है लेकिन इस सरकार में इतना अंधेर आ गया है कि एक कहावत है "अंधेरी नगरी अनबूझ राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा"। इस ओर ध्यान राज्य सरकार को एमर्जेन्सी के टाइम में तो देना चाहिये। जिनको रुपये दिये हैं उनसे वापिस वसूल तो करने चाहियें और युटि-लाइजेशन सर्टिफिकेट मांगना चाहिये।

अच्छा। एक मेरा कट मोशन है पंचायत दुर्गापुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री नारायणजी ने पंचायत की जमीन ले ली थी उसके बारे में। जब वे इस पंचायत के सरपंच थे तब उन्होंने पंचायत की जमीन २ पैसा गज और आठ आना गज में ले ली थी। लोगों ने दरख्वास्त की कि उन्होंने जो जमीन ले ली है वह लम्बे सडक के, १६ फीट की दूरी पर है। मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार को जब निवेदन किया कि २ पैसा गज और आठ आना गज पर जमीन ले ली है और पट्टा करा लिया है तो दोनों ही जमीनों का पट्टा राज्य सरकार ने रद्द कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह है वह लेटर जिसके जरिये राज्य सरकार ने यह पट्टा रद्द कर दिया। लेटर नं०
F I B (b) (41) L. S. G. 156 dated 26 th/27th February, 1959,

यह गवर्नमेंट का ऑर्डर था और उन्होंने जो २ पैसा गज से पट्टा करवाया था उसको इस ऑर्डर के जरिये रद्द कर दिया। और जो दूसरी जमीन ८ आने गज से ली उसका पट्टा राज्य सरकार ने ऑर्डर नं० एफ० ३ (४७३) ए० जे० जैड० ।५९।२२९८४, दिनांक ६ अप्रेल, १९६० से कैंसिल किया। लेकिन उस सरपंच ने थोडे दिनों के बाद वापिस निगरानी भूतपूर्व पंचायत मंत्री दा साहब के पास की। और दा साहब ने क्या किया कि पहला जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया था उसकी कोई सुनवाई नहीं की और बाद में लोगों को भी सुनवाई का मौका नहीं दिया और दा साहब ने १) गज पर पट्टा वापिस उन्हीं को कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब सरकार ने एक दफा आर्डर इश्यू कर दिया पट्टा कैंसिल करने का, पहले वाले भूतपूर्व मंत्री जी श्री बद्रीप्रसाद जी ने यह पट्टा कैंसिल किया और दूसरे मंत्री महोदय श्री दा साहब ने उसको १) गज पर वापिस दे देते हैं यह कोई गवर्न-मेंट चलने वाली है? यह समझ में नहीं आता। इसलिये यह अर्ज करूं कि ऑर्डर एक ही गवर्नमेंट का था। अलग अलग गवर्नमेंट नहीं थी, उसकी ट्रू कापी मौजूद है, यदि चाहें तो सदन की टेबल पर रख सकता हूं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक जमीन के रुपये पंचायत में जमा नहीं कराये हैं और पंचायत अब भी राज्य सरकार से कह रही है कि यह गलत ऑर्डर किया है और जो पट्टा भूतपूर्व सरपंच को दिया गया है उसको कैन्सिल किया जाय क्योंकि वह जो भूतपूर्व सरपंच थे उनके पिताजी से यह जमीन एक्वायर की गई थी सडक को चौडा बनाने के लिये क्योंकि वहां पर एक्सीडेन्ट्स हों।

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

का डर रहता है पर जो जमीन एक्वायर की गई थी उसी को वापिस दे दी ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं एक मिनिट में ही निवेदन कर दूंगा मेरा यह निवेदन है कि जो जमीन दार साहब ने दी है उसको वापिस कैन्सिल की जाय क्योंकि राज्य सरकार ने ही कैन्सिल करने का ऑर्डर दिया था । इतना ही कहता हुआ मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे कट मोशन्स की ओर ध्यान दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह डाबरिया ।

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेडा): उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड के ऊपर मैंने अपने ५-६ कट मोशन्स पेश किये हैं उनमें से दो व्यक्तिगत तौर के हैं और तीन ऐसे हैं जिनका संबंध नीति से है । हमको इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान ने हमारे देश के अन्दर सबसे पहले इस पंचायत राज्य की स्कीम को अपने हाथ में लिया और मैं इतना भी मानने के लिये तैयार हूं कि उसके लिये मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं । लेकिन हमारे इस राजस्थान में इस योजना के शुरू होने से वहां की जनता, वहां के गरीब लोग जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, जिनमें कोई राजनैतिक या सांस्कृतिक या और तरह की चेतना नहीं थी इस स्कीम का सबसे बडा असर हमारे राजस्थान में हुआ है वह यह है कि छोटे गांवों में रहने वाले ७० प्रतिशत जो आदमी हैं, एक बहुत बडी जागृति उनमें पैदा हुई और इस जागृति का असर यह हुआ कि आज राजस्थान के अन्दर छोटे गांवों में रहने वाले चाहें बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, वे इस बात को समझ चुके हैं कि इस राज्य को चलाने में हमारा कितना अधिकार है और हम लोगों के साथ कितना अन्याय कानून के आधार पर या और तरह से सरकार के अधिकारियों द्वारा हो रहा है इसकी पूरी जानकारी हमारे ग्रामीण जनता के लोगों को भी हो गई है और मैं इसके लिये बहुत ही अदब के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जो दिलचस्पी इस विभाग को चलाने के लिये उन्होंने २७ फरवरी, १९६२ तक रखी है उस तरह की दिलचस्पी और तत्परता आज एक साल से कम करदी हैं, उसका एकमात्र कारण था और वह यह था कि चुनाव के समय इस मिशन का फायदा जो हमारी सरकार उठाना चाहती थी और यही कारण है कि इस जागृति के कारण जब उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई और जो पंच, सरपंच और प्रधान थे उन्होंने जनता में सही बातें कहीं और सही तरीके से बताया, आज मैं कह सकता हूं कि वही कारण है कि कांग्रेस के लोगों की संख्या आज इतनी कम हो गई पहले से । इसका एक कारण यह है कि इस स्कीम के द्वारा जो जागृति आई उसको सहन नहीं कर सके । यही कारण है कि इस चनाव के खत्म होने के बाद इन सारी स्कीमों में बहुत शिथिलता आ गई और इसका नमूना मैं आपको सामने रखना चाहता हूं । जो बातें उस दिन तक हुई जैसे आपका डेवेलपमेंट का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है और छोटे छोटे एनिक्ट्स बनाने का काम है उनके लिये जितना पैसा पहले दिया जाता था क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय या कन्सर्निग मिनिस्टर साहबान से कह

Page No 74

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सकता हूं या जवाब मांग सकता हूं कि वे बतावें कि १९६२ के पहले के आंकड़ों में और आज दिन के आंकडों में कितना फर्क हुआ है डेवेलपमेंट के काम में ? एक पंचायत समिति के अन्डर में कितना निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बाद कितना चल रहा है ?

इसके अलावा में आपसे अर्ज करूं कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है, आज से नहीं बल्कि जब से यह स्कीम बनी, उसके नौ साल पहले से ही में बराबर सरपंच वहां का रहा और जब से यह योजना चली तब से पंचायत समिति का सदस्य हूं और वहां का प्रधान हूं। परन्तु में इस बात को महसूस करता हूं और बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है कि चुनाव के बाद जब उन्होंने इस बात को महसूस करना शुरू किया, में बहुत अदब के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस स्कीम को ईमानदारी के साथ चलाना चाहते हैं, तो जो राजनैतिक इन्टरफियरेन्स इस स्कीम के अन्दर है, उनको आप बन्द कर दीजिये। अगर नहीं करेंगे तो जिस चीज को लेकर चले हैं, जिस उद्देश्य से यह स्कीम बनाई है वह उद्देश्य सारा खत्म हो जायगा। और उस इन्टरफियरेन्स के सम्बन्ध में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बी. डी. ओ. और प्रधान करते है राजनैतिक इन्टरफियरेन्स। वह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर डाइरेक्ट इन्टरफियरेन्स उन लोगों के द्वारा होता है जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे रहने वाले लोग है। उसका एक नमूना में अर्ज करता हूं। यह जो डिफेन्स का मामला है, सुरक्षा का मामला है इसमें जो चन्दा इकट्ठा किया गया, और जो वहां पर प्रधानों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई, उन लोगों के सामने क्या परिस्थिति आई ? उपाध्यक्ष महोदय, में उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं, और हमारे मुख्य मंत्री, जिनका कि यह डिपार्टमेन्ट है, से भी अर्ज करना चाहता हूं कि वे इसमें जांच करें और देखें कि इस तरह से ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले लोगों ने अनियमितताएं की हैं कि बिना उस कमेटी के चेयरमैन को पूछे हुए, बिना वहां के बी. डी. ओ. को पूछे हुए और बिना किसी को पूछे हुए, बिना राज्य के किसी प्रोग्राम के होते हुए २२ तारीख को बनेडा पंचायत समिति की पंचायतों में जाकर अपने स्वार्थ और अपनी पापूलेरिटी को गेन करने के लिए एक डिप्टी मिनिस्टर ने वहां पर जितना पैसा इकट्ठा किया गया, उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम की प्रीवियस सूचना पंचायत समिति के प्रधान या कमेटी के किसी मेम्बर को नहीं दी गई। तो में आपसे कहना चाहता हूं इस तरह से अनियमितता होती है। इसी तरह से आपको मालूम है कि यहां पर २६ अक्टूबर को इस हाउस के सामने बीस दरख्वास्तें, जो टाइप की हुई दरख्वास्तें थीं, पेश की गई। आज एक भी पंचायत के पास टाइप राइटर नहीं है, जहां इस तरह की दरख्वास्तें टाइप की जा सकती हों। और यह कहा गया कि ये वहां की पंचायतों के रिजोल्यूशन हैं, जिनके अन्दर यह कहा गया कि ये लोग बनेडा तहसील में नहीं रहना चाहते। में, उपाध्यक्ष महोदय, दावे के साथ कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों को में बहुत सीरियस मानता हूं, इस तरह की

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

राजनैतिक अडंगेबाजी इन पंचायतों को खत्म कर देगी । मैं कहता हूं, या तो मैं इस्तीफा दे दूं जो यह बात सत्य हो और नहीं तो वे इस्तीफा दे दें । जो बीस दरख्वास्तें यहां पेश कीं और जिनके लिए यह कहा गया कि ये पंचायत के रिजोल्यूशन हैं। मैं उन मिनिट्स बुक्स को मंगाना चाहता हूं और उनका मुलाहिजा कराना चाहता हूं, अगर उनमें पंचायतों के रिजोल्यूशन हैं तो मैं मानने के लिये तैयार हूं और मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर नहीं हैं, तो वे, जिन्होंने हाउस में वे डाक्यूमेंट बताये, वे इसके लिए इस्तीफा दे दें । इस तरह किसी काम के अन्दर राजनैतिक इन्टर-फियरेन्स करके लोगों का भला नहीं हो सकता ।

उस पंचायत में, मैं यह कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत अच्छा काम होता था, सेडो ब्लाक होते हुए भी वहां इतने निर्माण के काम हुए हैं कि शायद जितनी पंचायत समितियां हैं, जितने सेडो ब्लाक हैं उनमें नहीं हुआ है । वहां हमने २९ प्राईमरी स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाई, इसके अलावा जो कुए खुदाये, वे ७६ कुए खुदाए, चार पंचायत भवन बनाये। हमने इतना काम किया कि उसमें १ लाख ७६ हजार रुपये का एक साल में पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन आया था । उस पंचायत समिति के इतने सारे प्रोग्रेसिव वर्क को सरकार नहीं देख सकी और आज उस पंचायत समिति का सत्यानाश कर दिया और २७ पंचायतों को चार तहसीलों के अन्दर बांट कर इतनी भारी मुसीबत हम लोगों के सामने खडी कर दी कि आज हम कोई काम कराना चाहते हैं, किसी तहसीलदार से बात करना चाहते हैं तो वह कहता है कि हमें टाइम नहीं है । यहां तक कि पंचायत समिति की मीटिंग में भी नहीं आता । हम पटवारियों को बुलाना चाहते हैं, तो पटवारी नहीं आता । इसी कारण आज किसी भी एक अधिकारी को भेज कर आप जांच करवा लें। १ लाख ७६ हजार की तकाबी में से एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया है । क्यों नहीं किया गया है ? इसलिये कि न तो कोई रिकार्ड बना कर बी. डी. ओ. ने तहसीलदार को भेजा, आज दिन तक नहीं भेजा है। इसका कारण है कि उस जगह पर जो यहां से सब्सिडी मिलती है, जो लेंड रेवेन्यू का शेयर मिलता है वह भी बन्द है । इसके अलावा जो टैक्स की आमदनी साढे बाइस हजार की बनेडा पंचायत समिति को हुई, व सारा का सारा पैसा जितना भी इकट्ठा हुआ, उसमें से थोडा सा बच कर बाकी का सारा पैसा अधिकारियों के टी. ए., डी. ए. में चला गया । उस कारण हमें उस टैक्स को विद्ड्रा करना पडा कि जो जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसे अगर उसके लिए खर्च न कर सकें तो ऐसा टैक्स उससे नहीं लेना चाहिए, जो टैक्स वसूल करके सरकारी अधिकारियों के उसमें भेज दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल्वे की स्ट्राइक हुई, उसको कितना अर्सा हुआ, यह आपको भली भांति विदित है । उस वक्त एक सर्क्यूलर आया कि पंचायत के अन्दर जो स्टेशन हैं, वहां पर जो पुलिस वाले रहे हैं, उनका इन्तजाम वहां की पंचायत और सरपंच करें। दो पंचायतें हमारे यहां पर हैं-बेरा और रामडा, जिनके सरपंचों ने अपनी पाकिट्स से, जिसको पांच साल के करीब हो गया, १३५) और १७५) रुपये के करीब अपनी जेब से खर्च किया लेकिन

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आज दिन तक वह पैसा सरकार ने नहीं लौटाया है। कितनी ही दफा पंचायत समिति ने कहा, जिला अधिकारियों से कहा लेकिन वे कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपके पास कोई बजट नहीं था तो पंचायत के सरपंचों पर क्यों बोझा डालना चाहते हैं कि वे अपनी जेब से खर्च करें और आज दिन तक उनको पैसा नहीं मिले।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, ये आग लगने के जितने मसले हैं, सब जगह के ऐसे मसले देखे गये हैं उनके लिए कितनी ही दरख्वास्तें कीं कलेक्टर महोदय के पास, लेकिन एक भी पैसा किसी को भी आज दिन तक नहीं दिया। जहां तीन तीन हजार रुपये का नुकसान एक एक आदमी को घास जलने से हो गया, मकान जलने से हो गया, उसका जवाब यह है कि मुझे तो सारे जिले भर के लिये ३६०) रुपये मिलते हैं, मैं कहां से इसके लिये सहायता दूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितने अधूरे काम पडे हैं, उनके लिए आप पैसा नहीं देना चाहते हैं। इसके साथ जनता को तकलीफ होती है, गांवों में आग लग जाती है तो उनके घर बरबाद हो जाते हैं, उनके लिये सहायता नहीं देना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि पंचायत समिति के फंड से, एक धनुष रोग के रोगी को जो सत्रह वर्ष का नौजवान था, के इलाज के लिये मेडिकल ऑफिसर की सिफ़ारिश पर सौ रुपये इंजेक्शन के लिए दिये। तो उस पर आब्जेक्शन हुआ कि पंचायत समिति इस तरह खर्च नहीं कर सकती। खुशकिस्मत था कि वह लडका बच गया, लेकिन उस के लिये आब्जेक्शन आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अच्छे काम में पंचायत समिति पैसा खर्च नहीं कर सकती तो वह किस में खर्च करेगी ? क्या इसमें खर्च करे कि बी. डी. ओ. गाडी में बैठ कर आयें तो आठ आना पर मील के हिसाब से दिया जाय, सरकारी अहलकार दौरा करें या न करें, उनको भत्ता दिया जाय। लेकिन ऐसे अच्छे काम में पंचायत समिति पैसा खर्च नहीं कर सकती। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, इन सारे मामलों में मैं यह नहीं कह सकता जैसा कई दूसरे सज्जन कहते होंगे कि यह सारी स्कीम फेल्योर है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी है। लेकिन जो सबसे बडी खराबी आज पैदा की जा रही है, खास तौर पर ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे रहने वाले सदस्य हैं, उनका कोई काम है तो वह यह है कि पंचायत के सरपंचों को इधर उधर करना, और बर्खास्त करना, अगर एक पार्टी में है तो किस तरह दूसरी पार्टी में मिलना है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं रह गया है।

इसके अलावा इसमें तीन डिपार्टमेंट और मिल गये हैं—एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, दूसरा एजूकेशन डिपार्टमेंट और तीसरा कृषि विभाग। इन तीनों का बहुत गहरा सम्बन्ध हमारी पंचायत समिति के साथ है। आज जैसा कि माननीय सदस्य, जो मेरे से पहले बोल रहे थे, ने कहा कि जब पंचायतों के टुकडे हो गये अलग अलग तहसीलों के अन्दर तो आप बताइये कि राजस्व विभाग के साथ जो सम्बन्ध होना चाहिए, उनके साथ जो समन्वय होना चाहिये, वह नहीं हो सकता है। यह बहुत लाजिमी है, जैसा कि उस रिपोर्ट में दिया है—पंचायत समिति एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्टर हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसलिये जिस जगह पंचायत समिति का हैड क्वार्टर हो····

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो तीन मिनट ।

उस जगह पर रेवेन्यू के हैड क्वार्टर भी रखा जावे और उस जगह से यह सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाया जावे ।

अध्यापकों के बारे में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर सारे राजस्थान में इसके लिये बोर्ड बना है कि वहां की पंचायत समिति और जिला परिषद् की सर्विसेज का कन्ट्रोल करे । उपाध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है, स्कूलें जुलाई में खुल जाती हैं और मास्टरों का एपोन्टमेंट भी जुलाई से हो जाना चाहिये । सारा साल भर का समय मास्टरों के एपोन्टमेंट करने के लिये उनको मिलता है मगर वे लोग जुलाई या अगस्त तक मास्टरों का एपोइन्टमेंट नहीं कर पाते हैं पूरी जुलाई और अगस्त का महीना निकाल देते हैं और उसके बाद मास्टरों का एपोइन्टमेंट करते हैं । उसका नतीजा यह होता है कि स्कूलें जुलाई अगस्त तक बन्द पडी रहती हैं । यदि टेम्पोरेरी मास्टरों का पंचायत समितियें अपने अधिकारों से एपोइन्टमेंट कर लेती हैं तो ऊपर से कहते हैं कि ट्रेन्ड मास्टर भेजे जाते हैं इसलिये आपने जिनको रखे हैं उनको निकाल दिये जायें । यह एक बहुत बडे महत्व की बात है । एक नौजवान जो मारा मारा फिरता है और जब उसे टेम्पोरेरिली एपोइन्ट कर लिया जाता है और १५-२० दिनों के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाय और आप ऊपर से आदमी भेजते हैं तो मैं यह कनसर्न्ड मिनिस्टर महोदय से कहना चाहता हूं कि जितने मास्टर भेजने हों वे सब जून के महीने में हों उसके डिपार्टमेंट को इत्तला दे दें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अलवर से और दूसरी जगह से मास्टर आते हैं । वे १० या १५ दिन वहां पर रहते हैं और नौकरी से इस्तीफा दे कर चले जाते हैं । इससे बच्चों की पढाई में बहुत हर्ज होता है । इसलिये इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि किस प्रकार के मास्टरों को कहां कहां रखा जाना चाहिये ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विभाग में राजनैतिक आधार को लेकर परिवर्तन होते जा रहे हैं, मैं राजस्थान की बात नहीं कहता, हिन्दुस्तान भर में ऐसा होता है, लेकिन हिन्दुस्तान की सभी राजनैतिक पार्टीज के लीडरों ने यह तय किया कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । मगर मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में छपे हुए प्रतिज्ञा-पत्र निकाले जाते हैं । हर एक आदमी के पास और यहां तक कि मेरे पास भी पत्र भेजा गया । पत्र में प्रतिज्ञा का पत्र था कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं और इस नाते पंचायत समिति का प्रधान हूं । जब इस प्रकार की बातें हों तो पंचायत समिति अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है । उप-शिक्षा मंत्रीजी जो नौजवान मिनिस्टर हैं जिनके हाथ में है और जो जिला परिषद् के सदस्य भी रहे हैं और जिनका सम्बन्ध भी अच्छा है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ लेकिन आज जब आप यहां पधारे हैं तो आप जैसे अनुभवी जवान इस काम को करेंगे । इसमें चाहे किसी के पत्र आपके पास आए,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहे आपके पास बैठने वाले हों आपको क्यों न कहें मगर आप पंचायतों और सरपंचों के अधिकारों पर कोई हस्तक्षेप न करें। १९५९ में मैं यह कहूंगा कि कलक्टर को पंचायतों का रेकॉर्ड देखने का अधिकार नहीं था। आज हमने पंचायतों के सब अधिकार कलेक्टर को दे दिये हैं। इस तरह से पंचायतों में हस्तक्षेप है यह अच्छा नहीं है।

एक बात मैं कोओप्शन के बारे में कहना चाहता हूं। आपने एक कोओप्शन द्वारा एक सदस्य को रखने का कानूनी तौर पर हक दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज करोडों रुपये हमारी समितियों में खर्च होते हैं और कई लोगों में बाकी हैं। भीलवाडा में करोडों रुपये बाकी हैं, जिन लोगों में रुपये पंचायतों के बाकी हों उनको कोओप्शन में खडे होने का अधिकार नहीं होना चाहिये और उनको नहीं लिया जाना चाहिये। क्योंकि ऐसे और ड्यूज की वसूली करने का सवाल पैदा होता है उस समय वे लोग, जिनमें पहले से रुपये ड्यू होते हैं, उसकी खिलाफत करते हैं। जब आपने पंचायतों में यह रखा है कि जिसमें ड्यूज बाकी हो वह कोओप्शन में खडा नहीं हो सकता तो इसी तरह का कानून यहां पर भी होना चाहिये जिससे जिन लोगों में ड्यूज हैं वे वसूल हो सकें। अगर इसके लिये कानून में भी कोई एमेन्डमेंट करना हो तो किया जाए कि जिसमें कोओप्शनटिव के ड्यूज बाकी हों वे पंचायत समिति के सदस्य नहीं बन सकते। क्योंकि वहां पर बहुत सारे मसले पैसों से संबंधित होते हैं।

इसलिये मैंने कुछ बातें अपने कट मोशन के द्वारा आपके सामने रखी हैं और मैं समझता हूं कि उतना ही जोश हमारे माननीय मंत्री दिखावेंगे तो इस डिपार्टमेंट का सुधार किया सकता है और जो भला चुनाव से पहले किया है उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। यही मेरा कहना है।

श्री जयलाल (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १००रु. की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्यों के लिये अनुदान एवं तकाबी की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप अपना कान माइक के पास रखें।

श्री जयलाल : माननीय उपाध्यक्ष, जो पंचायत समितियों की ओर से तकावी दी जाती है वह बहुत ही गलत ढंग से दी जाती है क्योंकि तकाबी की जिसको आवश्यकता होती है उसको तकावी नहीं मिलती और बडे बडे आदमियों को तकावी मिल जाती है जो प्रधान साहब से या बी. डी. ओ. या सरपंच के मिलने वाले होते हैं उनको तकावी मिलती है और जिन गरीब लोगों को तकाबी की आवश्यकता होती है उसको कोई तकाबी नहीं मिलती और उस गरीब जनता के साथ बडा भारी भेद-भाव किया जाता है। आजादी की लडाई में किसानों को बडे बडे आश्वासन दिये गये और बडी बडी प्रतिज्ञाएं की गईं, देश की आजादी की लडाई में सब ने भाग लिया था, कि उनको अपनी जमीन का मालिक बना दिया जावेगा, देश से भुखमरी को निकाल दिया जावेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक गरीब किसान रोटी रोजी के लिये प्रस्ताव

(श्री जयलाल)

पेश करता हूं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो लोग सरपंच साहब के या बी. डी. ओ. साहब के मिलने वाले होते हैं उनको तकावी और ऋण मिल जाते हैं। जिस क्षेत्र में जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर उसका उपयोग होता है। जिन लोगों को जरूरत होती है उनको नहीं मिलता और जिनको अनुदान की आवश्यकता नहीं उनको मिल जाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से अनुदान नहीं मिलना चाहिये। जिस चीज की जहां कमी हो उसके लिये अनुदान मिलना चाहिये। एक किसान को एक चीज की आवश्यकता है जैसे मेडबन्दी की या बैलों के लिये आवश्यकता है उस चीज को सरपंच द्वारा या पंचायत समिति द्वारा निर्णय करके उस जरूरतमन्द व्यक्ति को अनुदान मिलना चाहिये। आज मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों के पास चार-चार बैल थे और कोई मेड-बन्दी की जरूरत नहीं थी उनको रुपया दिला दिया गया। जिन बैलों की कोई आवश्यकता नहीं थी उनके लिये रुपया दिया गया। हमारे गांव में एक हरिश्चन्द्र रहता है उसको जमीन के लिये ६ या ७ वर्ष हो गये हैं। उसने सरकार से तकावी बैलों के लिये मांगी मगर उसको अभी तक तकावी नहीं दी गई है। वह गरीब आदमी है वह हाथ से खुदाले से खेत खोद कर अनाज पैदा करता है। मगर सरकार ने उसको कोई तकावी आज तक नहीं दी है।

(शेम शेम की आवाज)

मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो सरपंच इस तरह से मुंह देख कर काम करते हैं और भाई-भतीजावाद से लोगों को तकावी देते हैं इससे बडे बडे लोगों को तकावी और लोन मिल जाते हैं और गरीब लोगों को नहीं मिलते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष

महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि यह जनतन्त्र राज्य है। सारी जनता का उत्थान होना चाहिए। बस, मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुऐ)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि मांग संख्या २२; मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु०. की कटौती की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कम्युनिटी डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट शुरू किया उससे हमें बहुत आशा थी और इस सम्बन्ध में खास तौर से ग्रामवासियों को पूर्ण विश्वास था कि इसके द्वारा सत्ता में विकेन्द्रीयकरण होकर सत्ता घर-घर के अन्दर पहुंच जायगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान जिला परिषद् और पंचायत के जो नियम हैं, उसके अन्दर कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको यदि हम दूर करदें तो जिस उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार ने, हमारी सरकार ने ये नियम बनाये हैं, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेंगे।

(श्री दिग्विजयसिंह)

मैं निवेदन करना चहूंगा कि कोऑप्शन का प्रावधान रखा है इसमें, दो सदस्य एक्सपीरियेन्स्ड लोग सहवरण के तरीके से सदस्य होंगे, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पिछडे वर्गों के सदस्य हैं, ऐसे ७ सदस्यों का प्रावधान रखा है । इन में से ही अधिकतर लोग प्रधान बने हुए हैं। इस प्रकार का प्रावधान होने के कारण ग्रामवासियों को, सरपंचों को प्रधान बनने का मौका नहीं मिलता जिनके हित के लिए कि यह प्रधान पद रखा है। अधिकतर शहरों में रहने वाले हैं उन्होंने ही प्रधान पद को अपनाया है। इससे हम जो ग्रामवासियों को मौका देना चाहते थे वह मौका नहीं मिला। तो यदि राजस्थान सरकार इस पर विचार करे और संशोधन करदे कि कोओप्शन करने का तो अधिकार हो पर वे प्रधान के लिये नहीं चुने जावें तो मैं समझता हूं यह राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है विकेन्द्रीयकरण की कि यह गांव-गांव में पहुंचे और सबको लाभ मिले, वह लाभ मिल सकेगा। हम अभी से अन्दाज लगालें कि विकास योजनाओं ने कितनी प्रगति की और कितनी नहीं की तो यह बहुत जल्दी होगा क्योंकि विकेन्द्रीकरण को हुए अभी लगभग चार वर्ष हुए हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूं कि वह भी अवलोकन करे तो स्वयं देखेगी कि बजाय विकास होने के हमारे गांवों में विनाश होने जारहा है। इसका कारण अर्ज करूं कि जितना धन हम इस स्कीम में दे रहे हैं उतना लाभ ग्रामवासियों को नहीं दे पा रहे हैं। जहां कहीं योजना से रुपये में कम से कम १२ आना लाभ मिलना चाहिये वहां हम ४ आना ही लाभ उठा पाते हैं, बाकी रुपये का दुरुपयोग होता है, राजस्थान सरकार इस पर कोई नियन्त्रण नहीं कर पा रही है। यदि मैं यह कहूं कि इसमें जो हमारी असफलता रही है उसका मूल कारण पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स रहा है तो इसमें दो राय नहीं। सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि पोलिटिकल इन्टरफियरेंस कम से कम किया जाय तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा और विकेन्द्रीकरण और विकास में हमारा राजस्थान प्रथम नाम पा रहा है उससे भी ऊंचा जायेगा।

एक और निवेदन करूंगा कि जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के लिये सर्विस कमीशन का प्रावधान किया हुआ है, जिला प्रमुख इस सर्विस कमीशन का मेम्बर होता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे वहां के प्रमुख होते हैं, यह संभव है कि किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, किसी पार्टी के होते हैं तो टीचर्स का इन्टरव्यू होता है, हमारे यहां अनएम्प्लोयमेन्ट की समस्या है, तो इन्टरव्यू के लिये टीचर्स आते हैं तो इस आशा से आते हैं कि उनको जगह मिल जायगी; पर प्रमुख किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करता है इस कारण अच्छे से अच्छे इन्टेलीजेन्ट टीचर का नाम काट दिया जाता है। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि इसमें ऐसा प्रावधान किया जाय कि सर्विस कमीशन में प्रमुख मेम्बर नहीं होना चाहिये। कलेक्टर, इन्सपेक्टर तो होते हैं ही, इसके अलावा प्रमुख इन एम्प्लॉइज के लिये हिन्डरेंन्स हो जाता है, इसको हटा दिया जाय।

इसके साथ ही मैं दो तीन इन्स्टेन्सेज रखना चाहूंगा कि किस तरह पंचायतें धन का दुरुपयोग करती हैं और शिकायतें करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। मन्त्रियों

(श्री दिग्विजय सिंह)

द्वारा सीधा उत्तर दे दिया जाता है कि शिकायत हमारे पास आई, जांच जारी है। जांच की कोई अवधि नहीं। तो इसमें अवधि निश्चित की जानी चाहिये कि शिकायत आये तो कब तक उसकी जांचें पूरी कर सकेंगे। बिना नियन्त्रण के राजस्थान सरकार चाहे तो ६ साल तक जांच को चला सकती है और चाहे तो ६ महीने में ही खत्म कर देती है। पंचायत एक्ट में यह प्रावधान नहीं रखा कि अमुक अवधि जांच की रखदी जाय। तो यह प्रावधान इसमें रखना चाहिये कि दो महीने के अन्दर अन्दर जांच करके एक्शन ले लिया जायगा।

मैं कुछ इन्स्टान्सेज रखूंगा कि किस तरह धन का दुरुपयोग होता है। पंचायत समिति उनियारा में अलीगढ पंचायत को ४ हजार का अनुदान सन् ६१ के नवम्बर में डामर की सडक को बनाने के लिये दिया था। उस रकम को सरपंच ने न पंचायत के रोकड में दर्ज किया, न ४ हजार की रकम को पोस्ट ऑफिस में जमा कराया। चुनाव होने वाले थे, कांग्रेस कैन्डीडेट के लिये जीप खरीदने में यह रुपया लगा दिया। असेम्बली में सवाल उठा कि इस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है तो अप्रेल ६२ में सरपंच ने वह रुपया जमा कराया और अपने रोकड में दर्ज किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय या उप-मन्त्री महोदय, जो यहां मौजूद हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन मामलों की जांच कराइये और सरपंच दोषी है तो कडी से कडी कार्यवाही उनके विरुद्ध कीजिये। मैं यह भी कह दूं कि इस सरपंच के खिलाफ जांच करने में उनको विशेष हिम्मत की आवश्यकता पडेगी क्योंकि भूतपूर्व राजस्व मन्त्री अभी तक हमारे जिले में पूर्ण-रूपेण हस्तक्षेप करते हैं। कलमेडा के लिये मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि एक्शन ले रहे हैं। मैंने स्वयं ने मुख्य मन्त्रीजी से मिल कर कहा था और कलमेडे के सरपंच की चिट्ठी बताई जिसमें लिखा था कि इस पटवारी को हटा दिया जाय क्योंकि यह मेरे खिलाफ करप्शन के केसेज को साबित करने की कोशिश कर रहा है। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि एस. डी. ओ. साहब को दे दी है, एन्टी करप्शन को दे दी है। पर मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से देर होती है तो पंचायती राज में बाधा पैदा होती है।

ग्राम पंचायत चौरू का उदाहरण रखूं, गवर्नमेन्ट की तरफ से चार्जेज सिद्ध हो गये थे, सस्पेन्ड कर दिया था ११-६-६२ को और राज्य सरकार ने १७४० रु० ४४ न. पै. के लिये दुरुपयोग मान लिया। एश्योरेन्स कमेटी में आश्वासन दे दिया कि रिकवरी कर रहे हैं पर अभी तक उस रकम की रिकवरी नहीं की गई है और उन सरपंच महोदय को बहाल कर दिया है। उप मन्त्रीजी कहेंगे कि हाईकोर्ट का रूलिंग हो गया है कि इस तरह के चार्जेज पर सस्पेन्ड न किया जाय। पर यह रूलिंग ६ महीने बाद हुआ है। उस वक्त मन्त्रीजी थे उन्होंने डिबार कर दिया पर डायरेक्टर ने किसी के कहने से लॉ डिपार्टमेन्ट के बीच में तांता बांध दिया और उधर फैसला होते ही इसे बहाल कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, उप मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब आप स्वयम् इस चीज को मानते हैं कि १७४०.४४ नये पैसे का गबन है, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है,

(श्री दिग्विजय सिंह)

एशयोरेन्स कमेटी में यह कहा गया है तो फिर आज उनके खिलाफ ४२० का मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं? आप इस मामले को अदालत में दीजिये। दो चार के खिलाफ यदि आप कडी कार्यवाही करेंगे तो दूसरे सरपंच को भी हिम्मत नहीं होगी और नसीहत मिलेगी। यही कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विविध पर कुछ कटौती प्रस्ताव हैं और कुछ सामुदायिक विकास पर। सामुदायिक विकास पर गहरी और लम्बी चर्चा हो रही है तो मैं समझता हूं कि उन पर बाद में मैं संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। मैं पहले विविध पर ही निवेदन करना चाहूंगा।

बजट में हम ने देखा है कि खेल-कूद पर कुछ रकम रखी है। राजस्थान में स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स कौंसिल है। कहां है? यह पता नहीं। उसके हिसाब का भी ऑडिट हुआ है या नहीं, वह भी पता नहीं। जो इस कौंसिल के मेम्बर हैं उनको भी ऑडिट रिपोर्ट दिखाई गई या नहीं, यह भी इससे कुछ पता नहीं चलता, सदन के बहुत से माननीय सदस्य हैं उनको भी इसके विषय में कुछ भी नहीं मालूम होगा और जो संबंधित मन्त्री हैं शायद वे भी इस के विषय में कुछ न जानते हों। उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी हैं किन्तु इस संस्था के कौन सेक्रेटरी हैं इसका कुछ पता नहीं। सेक्रेटरी है भी नहीं। काक साहब इसके उपाध्यक्ष हैं। उनके टेलीफोन का खर्चा देखिये····

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मन्त्री, शिक्षा) : Point of information, Sir. Mr Kak is not the president.

श्री रामकिशन : वाइस प्रेसीडेन्ट कह रहा हूं, इतनी जल्दी मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : He is Mr. Kak

श्री रामकिशन : कौल साहब नहीं, काक साहब कह रहा हूं। यदि उनके टेलीफोन का खर्चा देखा जाय तो इस संस्था को रखने का मकसद ही समाप्त हो जाता है। फिर खेल-कूद किस प्रकार विकास करे किसी देश के यदि रहन-सहन आदि के स्तर को देखा जाय तो वहां के नागरिक किस प्रकार रहते हैं यह देखा जाता है, उनके शौच्चालय किस प्रकार रहते हैं। वे किस प्रकार से रखते हैं, खेल-कूद आदि में वे लोग कितनी रुचि रखते हैं। यह एक मापदन्ड होता है किसी देश और प्रदेश के स्तर को और विकास को देखने का। तो इस कौन्सिल के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। न हिसाबात का पता है। किन किन को ग्रान्ट्स देते हैं यह पता नहीं। सन् २६ से भरतपुर में स्पोर्ट्स एसोशियेशन बना हुआ था। स्टेट की ओर से इसको तीन हजार रुपया सालाना मदद मिलती थी। विभागाध्यक्ष के उनको इन्स्ट्रक्शन्स थीं कि जब खेल-कूद का आयोजन हो तो मदद करे। राज्य स्पोर्ट्स कौन्सिल से निरन्तर मांग की गई मदद के लिये लेकिन इस संस्था को सन् १९५० से अब तक एक नया पैसा भी अनुदान के रूप में नहीं दिया गया। मैं कोई खिलाडी नहीं और न ही मेरी इस ओर रुची है। समाचार पत्रों को देखने से पता चला कि राजस्थान की टीम

(श्री राम किशन)

बम्बई और उत्तर प्रदेश दोनों से ही हार गई। लेकिन जो इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में कमेन्टरी दी है वह देखने लायक है। उस में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से हार होना सम्भव था लेकिन इतनी बुरी तरह से हमारी टीम हार जायगी यह संभावना नहीं थी। इसमें भी राजनीति आ गई। स्पोर्ट्स के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम सरकार को बनाना चाहिये। इसके भीतरी मामलों में मैं नहीं जाना चाहता। कई गरीब लोग भी इसमें फंस जायगे। पिछले चुनावों में ऐसी संस्थायें बनायी गई हैं जिनको रुपया दिया गया, चैक पकड़ा गया, जब इसकी जांच हुई तो जिसने यह चैक दिया है वह संस्था ही नहीं है। एक तरफ आप जनता पर कर लगाते हैं और दूसरी तरफ जनता के इस पैसे का, उसके धन का इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं।

बजट लेखकों और संवाददाताओं को अनुदान देने की बात कही गई है। पतानहीं कि किन किन को दिया जा रहा है। राजस्थान के ही नहीं, किन्तु हिन्दुस्तान के ख्याति प्राप्त लेखक हो कर गये हैं जो मूल रूप में तमिल थे, जिनका जन्म वैर कस्बे में हुआ था, जिनका नाम डा० रांघेराघव था। उन्होंने साहित्य का सृजन किया। मेरी साहित्य में गति नहीं है किन्तु जिनकी साहित्य में गति है, जो साहित्यकार हैं माने हुए, उनका यह अनुमान है कि आगामी ४०-५० वर्ष तक इस प्रकार का साहित्य सृजन करना बड़ा मुश्किल है, इस प्रकार के ख्यातिप्राप्त विख्यात सकल प्रतिष्ठित साहित्यकार बिना इलाज के ही बम्बई में मर गये। राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार के लोगों को कोई मदद दी हो तो वह हमें नहीं मालूम है। कोई इसका उदाहरण नहीं मिलता। जो सरकार अपने साहित्यकारों को प्रोत्साहन नहीं देती, जो सरकार खेल-कूद में रुचि पैदा नहीं कर सकती, जो भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकी यह सरकार समाजवादी सरकार तो नहीं है किन्तु एक अच्छी सरकार भी नहीं है। जिधर जाओ उधर गडबडियां ही नजर आती हैं।

लेखकों के लिए जो अनुदान की रकम है वह कम है। उसको और बढाया जाय और किस साहित्यकार और लेखक को मदद दी जाय इसके लिए नियम बना दिये जाने चाहिये। सामुयिक साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहिये। दक्षिण भारत में अच्छे से अच्छा साहित्यकार है, उसके अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उत्तर भारत के लोग उनका उपयोग कर सकें और आज जो हम उत्तर और दक्षिण का प्रश्न देखते हैं, कुछ विषमताओं को देखते हैं तो वे विषमतायें भी दूर हो जायेंगी। इससे लोगों को वहां के महापुरुषों, राजनेताओं, साहित्यकारों, विचारकों, साधु-सन्तों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, अच्छे राज्य का निर्माण भी इससे हो सकेगा। ऐसी रकमें अच्छे अच्छे लोगों के प्रोत्साहन देने के लिए रखनी चाहिए जिसके लिए सरकार से कोई नियम नहीं है। खेल-कूद का अलग विभाग, साहित्य का अलग विभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अलग विभाग। नतीजा यह होता है कि जिनको मदद देनी चाहिये उनके पास तो पहुंचती नहीं, उनको तो यह मदद मिलती नहीं, या तो यह रकम विभागाध्यक्ष बनाने में ही खर्च हो जाती है या उनके टी० ए०, डी० ए० में खत्म हो जाती है या उनके टेलीफोन के खर्चे

(श्री राम कि... ...न)

... जिनके लिए वे विभाग में व्यय होजाती है। ... धन खर्च नहीं बनाये गये हैं उनके लिए ... देश और होता है। अच्छी से अच्छी रचना ... प्रदेश के सम्बन्ध में हो नागरिकों को ... करायी जाये वे रचनायें, तब तो उनका उपयोग हो सकता है। पता नहीं पडता इससे कुछ भी कि पिछले साल किन को अनुदान दिया गया है और किनको इसके लिए रखा गया । अब कौन लेखक और पत्रकारों को वह रकम दी जावेगी? पत्रकारिता को बनवाने के लिए, इसके स्टेन्डर्ड को ऊंचा करने के लिए, मेरी जानकारी नहीं है, कि किनको यह रकम दी गई है। जो सीमा पर मारे जावें और आग, वर्षा से पीडित होंगे, विविध के हैड में उनके लिए कम रखी गई है इससे क्या बनेगा?

१॥ लाख रुपया आग और वर्षा के लिए रखा है। भरतपुर एक ऐसा जिला है जहां कि हर वर्षा से बडी तकलीफ होती है, बडी परेशानी होती है। किस प्रकार इस रकम से पूर्ति कर सकेंगे यह सब विचार से बाहर है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को गम्भीर रूप से इस पर विचार करना चाहिये कि खेल विकास नाम पर जो अनियमिततायें चल रही हैं साहित्यकारों को प्रोत्साहन देन के नाम पर अनियमिततायें चल रही हैं उनकी ओर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में उपाध्यक्षजी, निवेदन करना चाहूंगा कि आर. ए. एस. और आई. ए. एस. की ट्रेनिंग के लिये ५॥ लाख रुपयों की बजट में व्यवस्था की है। इसके लिए मैं बहस नहीं करना चाहता कि उनका प्रशिक्षण कैसा होना चाहिये, या नहीं होना चाहिये या अफसरों का प्रशिक्षण कैसा हो। उनके दिमाग का गठन कैसा हो। कानून की किताबें हैं। अफसर लोग कैसे पोलिस करेंगे, टाई किस प्रकार लगायेंगे। ये परम्पराएं पुरानी हो गई हैं। उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत ...स बात की है कि आपकी सरकार ने ...वाद की व्यवस्था बनाने के लिए नारा समाज... ...किन जब तक उनको समाजवाद लगाया है ... होगी और वह ट्रेनिंग नहीं की ट्रेनिंग नहीं दी ... कोई भी योजना दी जावेगी, तब तक ... बनाइये उस योजना को ... कार्यान्वित करने का काम उनके हाथ में ह... ...ता है। चूंकि उनके पास आपकी नीतियों और विचारधारा सम्बन्धी समाजवादी व्यवस्था की ट्रेनिंग नहीं होती इस कारण वे सही तौर पर उनको कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं इसी कारण से मन्त्रियों और अफसरों की आलोचना होती है।

मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से हर मामले में गडबड नहीं होगी, अफसरों की ओर से भी नहीं होती लेकिन सोचने समझने के तरीको में कमजोरी रह जाती है। डिक्टेटरशिप जहां होती है वहां पर अफसरों को ट्रेनिंग किस तरह हुक्म का पालन किया जाता है और कराया जाता है यह खास तौर से होती है। लोकतन्त्री जहां हकूमतें होती हैं वहां लोकतन्त्री प्रणाली का पालन कराया जाय लेकिन यहां इन सारे मामलों की ओर जोर नहीं दिया जाता। आर. ए. एस. अधिकारियों का जहां प्रशिक्षण होता है वहां पर जो नये पढे लिखे लोग होते हैं वह बहुत जल्दी ही अपने दिमाग का संतुलन खो देते हैं और उनके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पार्टी के एक सदस्य को और बोलने देना चाहते हैं तो आपका समय हो चुका है आप समाप्त कर दें।

श्री रामकिशन : मैं एक मिनिट में ही समाप्त किये देता हूं।

इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के सारे आयोजन या तो व्यर्थ हो जाते हैं या उनमें कोई सिद्धान्त नहीं होता है।

सामुदायिक विकास योजनाओं में जितनी कमियां, खराबियां पक्षपात आदि हैं वे सब सरकार की जानकारी में हैं। आज सामुदायिक विकास योजनाओं का काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है ऐसी मेरी मान्यता है उसके कारण क्या है इसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध में जल्दी में एक दो सुझाव दिये देता हूं।

जिला परिषदों और पंचायत समितियों के बीच जो अधिकारों का बटवारा किया गया है, उससे पंचायतों को इतना कमजोर बना दिया गया है कि जो काम थे उत्पादन बढाने के ग्राम के लिये योजना तैयार करने के वे सब उनसे हट कर पंचायत समितियों और जिला परिषद के पास आ गये हैं इस तरह से ग्राम पंचायतें एक प्रकार से निर्जीव सी हो गई हैं। लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये उत्पादन बढाने इरीगेशन बढाने आदि की योजनाओं के लिये ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिये। इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सरकार द्वारा एक कमेटी बनायी जानी चाहिए जहां इन लोगों के लिये प्रशिक्षण होता है उनके प्रशिशक्षण में लोकतान्त्रिक दृष्टि से क्या कमियां हैं उनको दूर करने के बारे में सुझाव दें और जो जोश वकेन्द्रीकरण के समय लोगों में था वह आज नहीं रहा है उसको कायम रखने के लिये उसमें क्या नया दृष्टिकोण अपनाया जाय जिससे इस उत्साह में कमी न हो नये ढंग से जोश आय इस पर अपनी सम्मति दे इन कतिपय सुझावों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो मांग रखी गई है उस पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। जहां तक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है उस योजना से हमारे राजस्थान में काफी प्रगति हुई है। अभी अभी जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में तरह तरह के विचार प्रकट किये जहां तक मैं समझता हूं और मैंने देखा है वहां तक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ है और इससे काफी प्रगति हुई है। मगर साथ साथ लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण से जहां लाभ हुआ है वह इस योजना में कुछ कमियां हैं जिनको निकालना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं निकाली गई तो जिन योजनाओं द्वारा ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिये जैसा कि राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया और हमारे पंचायत एक्ट में सुझाव हैं गांव की समस्या को सब से पहले ग्राम सभा में पेश करके उससे स्वीकृति ली जाय। इसको कई पंचायतें लागू नहीं करतीं इस पर पूरी तरह से विचार करें।

इसी तरह से जो योजनायें पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत की जावे वह ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित नहीं होती उसका बराबर सहयोग नहीं मिल पाता। अगर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा पंचायतों

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ बनाना चाहते हैं इसके कार्यक्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढाना हैं तो जिस प्रकार ग्राम सभायें जो सुझाव पेश करती हैं जिन सुझावों के बारे में अपना मत प्रगट करती है उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाय तो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व पंचायतों द्वारा ग्राम का विकास चाहते हैं वह तभी हो सकेगा।

इस संबन्ध में मैं निवेदन करूं, जहां तक एक्सटेन्शन ऑफिसर और ग्राम सेवक रखे जाते हैं उनका जो कार्यक्षेत्र है वे अच्छे तरीके से कार्य करते हैं या नहीं, इस संबन्ध में बहुत से महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रगट किये हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत से एक्सटेन्शन ऑफिसर जो नये नये कालेज से निकलते हैं वे पंचायत समिति में एक्सटेन्शन आफिसर की जगह नियुक्त कर दिये जाते हैं कई अरसे तक तो उनका मन ही नहीं लगता और मन लग जाता है तो उनको किस तरह से काम करना चाहिये इसका पता नहीं रहता। विविध कार्यक्रम किस तरह से किये जायं? इसके लिये सब से ज्यादा बहतर चीज यह है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है खास तौर से एग्रीकलचर एक्सटेन्शन आफिसर्स को। ज्योंही बी. एस. सी. ए. जी. पास की उनको एग्रीकलचर एक्सटेन्शन आफिसर की जगह अपोइन्टमेन्ट दे दिया जाता है और पंचायत समितियों में भेज दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाय उसके बाद में उनको पंचायत समिति में भेजा जाय जब वे अच्छा कार्य कर सकेंगे तब जाकर उनको कहीं कार्यक्रम में रुचि होगी। जब तक उनको ग्राम के कार्य में रुचि नहीं होगी तो वे अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकेंगे।

जहां तक ग्राम सेवकों का ताल्लुक है। ग्राम सेवक हर पंचायत समिति में पूरे ब्लॉक में १० हैं। जिस प्रकार की योजना बनायी गई है हर पंचायत में ग्राम सेवक रखा जाय तो इससे लम्बी चौडी फौज, जिस फौज के लिये पंचायत समितियों का कहना है कि ये लोग काम नहीं करते, बेकार बैठे रहते हैं, इनसे पंचायतों को कोई लाभ नहीं। इस प्रकार से ग्राम सेवकों को रखा जायगा तो इसका बडा भारी वर्डन पंचायतों के ऊपर पड जायगा। मेरा तो यह सुझाव है कि अगर सरकार यह मानती है कि बगैर ग्राम सेवक के पंचायतों में काम नहीं हो सकता तो मेरा निवेदन है कि दो पंचायतों के ऊपर एक ग्रामसेवक होना चाहिये। इसके साथ साथ मेरा सुझाव यह भी है कि जितना पैसा हम खर्च करना चाहते हैं उतने पैसे का अनुदान पंचायतों को दिया जाये।

तीसरा कटोती का प्रस्ताव खाद बीज तकावी वितरण के संबन्ध में है। जहां तक खाद का सवाल है वह अच्छी तरह से किस प्रकार डाली जा सकती है उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिये यह ग्राम सेवक है या एक्सटेन्शन ऑफिसर बताता है। वह उस हालत में बता सकता है जब वह गांव में जाकर रहे और वहां की जनता में मिक्स अप हो तो अच्छी तरह समझा सकता है।

जहां तक बीज का प्रश्न है वह बहुत महंगा पडता है क्योंकि जब बीज वापिस लौटाते हैं तब उसका भाव कम हो जाता है बीज बटवारे की जो पॉलिसी है वह काफी सोचनीय है। जब वापिस जमा कराते हैं तो भाव गिर जाते हैं उससे किसान को नुकसान उठाना पडता है ।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

सरकार द्वारा जो बीज वितरण किया जाता है सरकार उसकी घटत-बढत लेती है। बीज की कीमत घटी है उसको किस प्रकार पूरा किया जाय सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की है।

तकावी के लिये मेरा निवेदन है कि उसका वितरण भी सही नहीं होता इसलिये मेरा अनुरोध है कि जिस स्थान के लिये जिन क्षेत्रों के लिये ज्यादा से ज्यादा तकावी की मांग है वहां तो देते नहीं और जहां मांग नहीं होती है वहां दी जाती है। तकावी का सही वितरण इस प्रकार होना चाहिये जहां पर ज्यादा कुए खुद सकें उन स्थानों को ज्यादा तकावी दी जाय ताकि खेती-बाडी सम्बन्धी ज्यादा तरक्की हो सके।

खेती-बाडी के सम्बन्ध में जो दवाइयां दी जाती है मैं इस सम्बन्ध में हुरडा पंचायत समिति का निवेदन करना चाहूंगा उसमें कलियास ग्राम है वहां के तालाब में हर साल लट लग जाती है। एक्सटेन्शन आफिसर और बी. डी. ओ. से कहा गया कि इसका सारा अनाज खराब होजाता है कम से कम उस तालाब में पांच सौ सात सौ रुपये की दवा छिडकी गई लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। हर साल करीब पांच सौ सात सौ बीघा जमीन में जहांअनाज पदा होता है दवाइयां छिडकने के बावजूद भी नाज खराब हो जाता है।

इसी प्रकार कितना नुकसान होता है यह आप समझ सकते हैं पढे लिखे अनुभवी आदमी न रखकर हजारों लाखों रुपये का खर्च किया जाता है फिर भी वे कुछ उपाय नहीं निकाल पाते।

हर पंचायत समिति को १८ से २० प्रतिशत रकम फी फन्ड की दी जाती है। मेरे को इस रकम के बारे में ज्ञान है कि बहुत कम पंचायत समितियां इसको खर्च कर सकी हैं। इसका मुख्य कारण चालीस और साठ पर्सेन्ट का झगडा है; ४० प्रतिशत तो सरकार देती है और ६० प्रतिशत पंचायत समितियें अपनी आय में से खर्च करती हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस में रद्दोबदल होना चाहिये ताकि फ्री फन्ड के रकम का उपयोग होस के।

(३.०० म० प०)

(श्री केसरीसिंह सभापति, पदासीन)

को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को ऋण दिया जाता है सरकार समितियां बनवाकर ऋण देना चाहेंगे इसमें काफी अरसा लगेगा तो:...

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): इसकी डिमान्ड तो अलग आयेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : को-आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा ऋण देने में और उसको वसूल करने में बहुत देर लगती है जिसकी वजह से समय पर पैसा नहीं मिल पाता। को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट में जो एक्सटेन्शन आफिसर रखे गये हैं, पता नहीं कस्टम्स या दूसरे विभाग से लाकर रख दिये गये जो को-आपरेटिव मूवमेन्ट के बारे में कुछ नहीं समझते। अनुभवहीन व्यक्तियों को को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट में रख दिया गया है जो सरप्लस होगये जहां किसी विभाग में एडजस्ट नहीं कर पाये उनको को-आपरेटिव

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

विभाग में दिया गया। इससे को-आपरेटिव विभाग को एक प्रकार से लट्ठ सा मारा गया हो उससे वाकई बहुत लोग दुखी हैं।

इसके अलावा जो ओवरसियर्स पंचायत समितियों में रखे जाते हैं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बनने के बाद में इनका काम बहुत बढ गया है। हर क्षेत्र में डेवलपमेन्ट वर्क्स काफी मात्रा में बढ गये हैं एक ओवरसियर जो रखा जाता है वह बहुत कम है वह वर्क को कोप विथ नहीं कर सकता। मेजरमेन्ट्स वगैरह बनाने पडते हैं उसके पास इतना समय नहीं होता जो इसको ठीक प्रकार से कर सकें। इसमें धक्का पहुंच रहा है। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि जहां अधूरे काम पडे हुए हैं वैसे अधूरे काम को ज्यादा से ज्यादा रकम देकर के उस काम को पूरा करने की सुविधा दी जाय।

जहां तक पंचायतों का सवाल है उसके लिये सरकार का सुझाव है कि पंचायत का सेक्रेटरी ग्राम सेवक को रखा जायगा। लेकिन न्याय पंचायतों के लिये इस प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। न्याय पंचायत भी मुख्य अंग हैं और गांवों को न्याय इसी से मिलता है इसके लिये भी व्यवस्था नहीं की जायगी तो बडी गडबड होगी।

पंचायत समितियों और पंचायतों के गठन के बारे में निवेदन करूंगा। पंचायत समितियों का क्षेत्रफल इस तरह का होना चाहिये जैसे तहसील हो या एम. एल. ए. की कान्स्टीट्यूएन्सी हो इस तरह से क्षेत्र बना दिया जायगा, काम भी ठीक होगा, संख्या में भी कमी होगी और बजट का भार कम होगा। इसी तरह से पंचायतों के सम्बन्ध में निवेदन है कि वह भी दो दो हजार की आबादी पर बनायी जाय। जिनकी संख्या हजार या हजार से कम है उन छोटी पंचायतों को घटा कर एक कर दिया जाय।

ग्रान्ट-इन-एड इस साल नहीं दी गई। जब इस बारे में संयुक्त विकास आयुक्त से कहा गया तो उनका कहना था कि जो लोन्स दे रखे हैं उनकी वसूली नहीं होती तब तक ग्रान्ट-इन-एड नहीं मिल सकती लेकिन जिन पंचायत समितियों ने तकावी ऋण आदि वसूल करके दे दिये हैं कम से कम राजस्व का भाग उनका समय पर मिल जाय तो बहुत ठीक हो।

इसी तरह से पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन, मैडिकल एण्ड ऑडिट फीस हैं इसके लिये बहुत भारी खर्चा रख दिया गया है यह उनकी निजी आमदनी में से वसूल की जाती है। बी. डी. ओ. और उसके मातहत अधिकारी कर्मचारी के पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन का भार पंचायत समितियों की आमदनी पर पडता है, वह उन पर बडा भारी मार है। जब ये सरकार के कर्मचारी रहते तो सरकार को इनका पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन देना पडता। मेरा निवेदन है कि यह भार पंचायत समितियों पर न डाला जाकर सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये।

मेडिकल एड जो दी जाती है पंचायत समिति की निजी आय में से देनी पडती है। अगर यह भी उनके ऊपर रख दिया गया तो जो डवलपमेन्ट वर्कस हैं उनके लिये कुछ नहीं बचेगा, इससे इस प्रकार का नुकसान होता है।

ऑडिट फीस के बारे में निवेदन है कि एक एक पंचायत समिति को डेढ-दो हजार रुपया देना पडता है। इस तरह से ढाई-तीन

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

लाख रुपया के हिसाब का ऑडिट फीस का देना पडता है। जो बडा भारी भार पंचायत समितियों पर डाल दिया गया। यह भार पंचायत समिति पर डाला जायगा तो डेवेलपमेन्ट वर्क्स में भारी नुकसान होगा।

औषधालयों के संबंध में मेरा निवेदन है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में १४ हजार की जनसंख्या पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला जायगा। इसका अभी तक विवरण नहीं है। वह व्यवस्था मालूम हो जाय तो संतोष हो सके।

विलेज वॉलन्टियर कोर के संबंध में निवेदन है। पंचायतों में दलपति की ट्रेनिंग लेकर आते हैं विलेज वालन्टियर फोर्स में हमें किस प्रकार से सहायता देनी चाहिये। पंचायतों और पंचायत समितियों में विलेज वालन्टियर फोर्स में दलपति बन कर आते हैं। गांवों में जाकर वह इस प्रकार की फोर्स कायम करे, श्रम बैंक आदि खोल सके। मगर जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है और फन्ड्स का सवाल है इसके लिये बडी कठिनाई पैदा होती है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जैसे शिक्षकों के लिये जैसा कि मैंने पहले प्रश्न किया था उस पर शिक्षा विभाग द्वारा यह फरमाया गया था कि पंचायत समितियों में जो शिक्षक हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनको शिक्षा विभाग में ले लिया जायगा अभी तक इस संबंध में कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी तरह से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आग आदि लग जाय उसके संबंध में जो सहायता दी जाती है वह बहुत थोडी होती है उसको कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। इसलिये हर गांव और हर क्षेत्र में जहां आग लग जाती है वहां ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

एक और स्केयरसिटी एरिया के संबंध में निवेदन है। हमारे क्षेत्र में हर तीसरे वर्ष अकाल पडता है, पानी की कमी रहती है। सरकार द्वारा मदद का प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री इयोप्रतसिंह (हनुमानगढ) : यह बातें तो मुख्य मंत्रीजी के पास जाकर कह दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्केयरसिटी के संबंध में मेरा इतना निवेदन है कि हर तीसरे साल जहां स्केयरसिटी रहती है, जहां सहायता करनी पडती है तो मेरा सुझाव है कि एक बान्ध वहां बनवा दिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : That will do.

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपरोक्त मेरे सुझाव हैं जिन पर ध्यान दिया जाय।

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : सभापति महोदय, यह पंचायतों के बारे में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं और जो धांधलीबाजी मची हुई है उनके सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान उन गांवों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पंचायतों को, पंचायत समितियों को और यह जो जिला परिषदें हैं इनको चलाया कैसे जाये। इनको चलाने के लिये पैसा इकट्ठा किया जाये तो सरकार का जो नजरिया है वह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि टैक्स लगाओ

(श्री हरिराम चौहान)

और इन पंचायतों को चलाओ, पंचायत समितियों को चलाओ और नौकरशाही को सर के ऊपर लेकर घूमते फिरो तो इस तरह से पंचायत समितियों को और पंचायतों को चलाने के लिये जो पैसा जहां से आना चाहिये वह हमारी जो सरकार की नीति है वह टैक्सों के द्वारा ही उनको चलाना चाहती है और जो उनके ऊपर पहले से ही टैक्स लिया जाता है जैसे लगान के रूप में जो उनसे टैक्स लिया जाता है उसके अन्दर उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है वह अगर कम से कम २५ फी सदी दे दिया जाये तो उनकी कुछ समस्यायें हल हो सकती हैं और पूरी तरह से थोडा बहुत काम करने के लिये उनको सहारा मिल सकता है। उसकी जगह पंचायतें और पंचायत समितियां अपने कुछ ट्रैक्टर्स चलायें उससे कुछ आमदनी कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी रूट्स हैं उनके ऊपर अपनी बसें चलाकर अपनी आमदनी को बढा सकती हैं। इस तरह बगैर टैक्सों से आमदनी करें इस तरह के तरीके हमारी सरकार उन पंचायतों को चलाने के लिये नहीं चाहती जिसका मकसद यह है कि यह एक दिखावटी तौर पर एक ढांचा खडा करना चाहते हैं।

कागजों के ऊपर प्रोग्रेस पंचायतों की और पंचायत समितियों की दिखाना चाहते हैं ताकि ऊपर वाले या और कोई जो गांवों के अन्दर नहीं रहते हैं जो शहरों में रहते हैं या पढ़े-लिखे लोग हैं वह देखकर अखबारों में या रिपोर्ट को देखकर यह तसल्ली कर सकें कि हां पंचायती राज ठीक चल रहा है, इतनी तकावियां बांट दीं, इतनी कुओं के लिये तकावी दी, इतने साबुन के कारखाने खोल दिये और इतनी डेयरी फार्म के नाम से तकावी दी, इतने हमने पेड लगा दिये यह अमुक अमुक काम थे यह इतनी इतनी तादाद में किये लेकिन मैं सभापति महोदय, पूछना चाहूंगा आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से क्योंकि यह महकमा उन्हीं के पास है और मैं नहीं समझता कि क्या उनको महकमा छोटा लगता है और गांव से संबंधित है बहुत बडे आदमी हैं तो उनको इस महकमे को देखने के लिये कुछ फुरसत मिली है या नहीं, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जो लिस्ट है कि इतनी तकावियां हमने दी हैं उनमें से कितने कुएं बने, कितने नहीं बने और जिस काम के लिये पैसा दिया गया उस काम के लिये वह पैसा खर्च हुआ या नहीं, कितने ट्रैक्टर्स की तकावी दी गई और किस मकसद से दी गई। वह मकसद पूरा हुआ या नहीं। कितने साबुन बनाने के लिये कारखानों के रूप में कितने लोगों को कर्जा दिया गया मैं समझता हूं कि सब जगह दिया होगा और कितनी जगह साबुन चल रहा है उसके बारे में आपके पास यह लिस्ट होनी चाहिये कि किन किन आदमियों को कर्जा दिया और किस तरह से उसका उपयोग हुआ। यह लिस्ट भी हम देखना चाहेंगे और हम यह लिस्ट भी चाहेंगे कि किस तरह से उसका उपयोग हुआ और जो दरख्त लगाने की वह बातें करते हैं उन तमाम कामों की कोई लिस्ट है या नहीं और खुद की जानकारी भी है या नहीं। अगर उनको खुद की जानकारी नहीं है फिर तो मामला बडा गडबड हो जायेगा। लेकिन मेरी जानकारी में जहां तक है वह मैं आपको बता देता हूं।

तकावियां जो दी जाती हैं वह चाहे तकावी हो या सहायता हो—बिलकुल एक पार्टी के लोगों को दी जाती है। कांग्रेसी जो

(श्री हरिराम चौहान)
अच्छी और बढिया नुकूली टोपी पहन लेते हैं और जो अच्छे सफेद कपडे पहनते हैं उनको ही ज्यादा तकावी मिल जाती है और जो थोडे मैले कपडे पहनते हैं टोपी में थोडी सलवटें होती हैं तो उनको जरा कम मिल जाती है लेकिन यह हकीकत है कि जो कांग्रेस के अच्छे कर्मठ सदस्य हैं उनके सिवाय बाकी के लोगों को न ट्रैक्टर के लिये तकावी मिलती है न साबुन के कारखाने के नाम पर पैसा मिलता है और न कोई सहकारी समिति के न १३.९ कोई जमीन या किसी तरह की कोई चीज मिलती है। मुझे इससे गुरेज नहीं कि उनको यों मिल गयी। उनके पास पैसा आयेगा तो साबुन का कारखाना खुलेगा और उससे कुछ लोगों को काम मिलेगा लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वह पैसा ले लिया जाता है और फिर उसका उपयोग नहीं होता। तो यह चीज अखरने वाली चीज है। मैंने देखा कि ·······अभी घण्टी मत बजाइये। अभी मेरी पार्टी का समय २० मिनट बाकी है······

श्री सभापति : You need not advise me about that.

मुझे सलाह न दें, अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिराम चौहान : डर रहा हूं।

तो सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि कुछ लोगों को तिजारा में साबुन की फैक्टरी के नाम पर लोन दिया गया है याने आप उसको देखें तो बी. डी. ओ. साहब के दफ्तर में जरूर लगा हुआ है, कागजों के अन्दर लिखा हुआ है बाकी कहीं उसका नाम नहीं आता है, एडवरटाइजमेन्ट नहीं। इसी तरह से कुछ ऐसे मामले हैं कि जिनको कि गबन कहा जा सकता है, १८०० मन बीज का गबन तिजारा की पंचायत समिति के अन्दर है और वह काफी दिनों से चल रहा है। उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। उसके सिलसिले में कुछ चार्जशीट भी दी गयी थी अब उसके बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो पंचायतें और पंचायत समितियां और जिला परिषदें जो बना रखी हैं इनके अन्दर खुद को अधिकार तो है नहीं जिला परिषद् को वह मीटिंग बुला लें और मीटिंग बुलवाने के बाद कुछ प्रपोजल्स सरकार के सामने भेज दें लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। कहां बांध बनाना है, कहां स्कूल खोलनी है यह कुछ नहीं होता, यह सब दिखावटी बात है। वह तो एजेन्सी कायम कर रखी है। अगर पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेसी है और वह चाहता है तो उसके कहने से छोटा मोटा काम हो जायेगा। अगर पंचायत समिति में कोई विरोधी है तो उसको तो डिफेन्स की कमेटी चन्दा इकट्ठा करने वाली बनेगी उसमें भी नहीं लिया जायगा, विरोधी एम. एल. ए. को नहीं लिया जायेगा। तो इस तरह से सारी की सारी पंचायत समितियों को और पंचायतों को अपने फायदे में इस्तेमाल करें और इसके लिये सरकार ने पूरी तरह से अपनी चौकियां बना रखी हैं जिससे उस एजेन्सी के थ्रू वह काम करा सकें। पूरी तरह से पंचायत समिति के अन्दर नौकरशाही का बोलबाला है और नौकरशाही इस कदर घर कर गयी है कि बहुत अनापशनाप तो उस पर पैसा खर्च होता है। बी. डी. ओ. के पास फर्स्ट क्लास जीप होती है और समझ में नहीं आता कि वह जीप का क्या करता है। बेकार पेट्रोल खर्च करते हैं, उसको टी. ए. वगैरह भी कुछ मिलता होगा और वह ख्वामख्वाह जीप

(श्री हरिराम चौहान)
दौड़ाई जाती है बल्कि वह ज्यादातर काम तो इसमें आती है कि पंचायत समिति के प्रधान का घर दस-पन्द्रह मील पर है तो मीटिंग में उसको लाये और ले जाये। यह काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर दोनों में खटकी हुई है; प्रधान में और बी. डी. ओ. में लड़ाई है तो इस बात पर ही झगडा रहेगा कि इसके ऊपर अधिकार किसका होना चाहिये.

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा . . .

श्री सभापति : Two minutes more.

श्री हरिराम चौहान : तो मेरे ख्याल से तो बी. डी. ओ. को हटाया जाये। उसकी जरूरत नहीं है। किसी भी पंचायत के क्लर्क को जिम्मेदार बना कर जो उसके काम को ठीक तरह से कर सके इस तरह से करें तो काफी तनख्वाह जो देते हैं उसकी तनख्वाह में कमी हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो पंचायत कलेक्टर इकट्ठे कर रखे हैं उन पंचायत कलेक्टर्स की भी कत्तई जरूरत नहीं है। यदि आप यह समझते हैं कि लोगों का नीचे की तरफ से इनीशियेटिव नहीं रहे मर जाय, सक्रियता उनमें नहीं आवे तो आप एक ऑफिसर पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा और तीसरे पर चौथा रख सकते हैं और इस तरह से कडी से कडी मिलाते चले जायें लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक न तो उनके पास काम है बल्कि कलेक्टर की जरूरत नहीं है, बी. डी. ओ. की जरूरत नहीं है। आप एक सेक्रेटरी मुकर्र कर सकते हैं जैसा कि पंचायत में होता है व सेक्रटरी के रूप में पंचायत समितियों में काम करें तो उससे काफी हमारे बजट का पैसा कम हो सकता है और काफी नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोडा बहुत और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : काफी हो चुका है। श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी रकम लोगों से टैक्स के रूप में विकास के काम के नाम पर ली जाती है उसका विकास-कार्य में सही उपयोग होता है या नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अर्ज करूं कि मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में पंचायत समितियां बनाने से पहले जब कि विकास का सारा काम डेवेलपमेन्ट विभाग के अन्दर में था और उस विभाग के द्वारा जो विकास मंडल रामसिंह के नाम से था, विकास खंड की कुछ धन राशि तालाब के लिये खर्च की गई, रांवटा तालाब पर २,२००) रुपये खर्च किये इसलिये कि वहां का पानी धोरों में पहुंचाया जा सके। वह धोरा मुश्किल से २००-२५० फीट के फासले पर था। उस तालाब के एक साइड में मुश्किल से ६ इंच ऊंची दीवार बनाई गई पत्थर की और दूसरी साइड मिट्टी से रेज करके उठाई गई, उसमें २,२००) रुपये खर्च हुए। दूसरी रकम ९-१० हजार के करीब इसलिये खर्च की गई कि तालाब में से एक मोरी बनाकर तालाब के पानी को खेत में ले जाया जा सके। एक मोखम के द्वारा तालाब का पानी धारा में निकाला जाता है और रोक दिया जाता है; एक पाइप लगाया है लोहे का, एक मोरी बनाई है छोटी सी। तालाब से २०० फीट दूर एक नाली निकलती है उससे खेत

(श्री महेन्द्रसिंह)

में पहुंच सके वहां हौदियां बनाई हैं दोनों किनारों पर और बीच में पाइप रख कर दूसरे खेत में जा सके, ऐसी व्यवस्था है। इसमें १० हजार रुपये खर्च किये हैं। इसकी हालत यह है सभापति महोदय, अभी आप देखें तो वह पाइप लगाया गया था तालाब के पाल पर वह बिल्कुल बन्द पडा है। आज से ही नहीं, बल्कि लगाया गया था उसके साल भर बाद खराब हो गया। वह जो नाले को पार करके पाइप की व्यवस्था की गई थी वह टूटा हुआ है इसलिये नाले के बाहर पानी नहीं जा सकता और जो २०० फीट लंम्बा धौरा बनाया गया है जिस पर २,२००) रुपये गवर्नमेन्ट ने खर्च किये हैं, धौरा पास करने के बाद नालियों में निकल जाता है और इससे एक बीघा खेती की भी सिंचाई नहीं होती। इसके लिये मैंने पंचायत समिति से, जिला परिषद् से और सरकार से भी निवेदन किया था लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया।

दूसरे दो तालाब और बनाये—एक लोहिया की तलाई और दूसरी हासेरा की तलाई जिन पर ५ व १० हजार रुपये खर्च किये हैं, उनको पक्का बनाया। लेकिन मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों तालाब में बरसात के बीच में एक इंच भी पानी नहीं ठहरता। बरसात के बाद पानी ठहर सके इस मकसद से बनाया गया था कि बाद में खेतों को सिंचित किया जाय। यह हमारे गवर्नमेन्ट की योजना है जिसमें विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा कट-मोशन है हरिजन कोलोनी रामनगर जो लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में है बसाई है। उसमें करीब २० कमरे बने हैं जिन पर करीब २५,०००) रुपये खर्च हुए। उनमें से ५ कमरों की हालत यह है कि उन पर सिर्फ पट्टियां पड़ी हैं। प्लास्टर और छत कूटने का काम अधूरा पड़ा है। ५ कमरे ऐसे हैं जिनकी केवल दीवारें बनी हुई ह और उन पर छत नहीं पड़ी है ५ कमरों की सिर्फ नींव खुदी है और ५ कमरे ऐसे मिलेंगे जिनकी नींव खुदी है वह भी अब तक अधूरी पड़ी है। इस कोलोनी के नाम से वहां के आदिवासियों से ७,०००) रु० लिये गये हैं वे अलग हैं उसके अलावा उनसे श्रमदान अलग से लिया गया है इतने रुपये लगाने के बाद भी सरकार सोचती है कि कोलोनी नहीं बन सकती तो क्या जरूरत है २० कमरे बनाये जायं १० ही क्यों नहीं बनाये जिससे कि उनको आराम मिल सकता।

मेरा तीसरा कट मोशन पंचायत समिति सुल्तानपुर के बारे में है। पंचायत समिति बनने के बाद में अर्ज करना चाहता हूं कि रकम कुछ कामों के लिये मंजूर हुई वह मंजूरशुदा पड़ी है। गांववालों ने श्रमदान से पैसा लगा दिया है कई बार निवेदन किया है कि रकम दिलाई जाय, गांव वालों ने मांग की लेकिन पंचायत समिति ने पैसा नहीं दिया। डाबा में नाडी के लिये पैसा मंजूर किया जो सरपंच के पास पड़ा है। गांववालों ने व्यूरी ११ हाथ खोदी, ५ हाथ पक्की बांधी, चार पांच हजार रुपये खर्च किये, उसके बाद भी सरपंच रुपये नहीं देता।

चौमू ग्राम पंचायत को ले लीजिये वहां की स्कूल जीर्ण हालत में पड़ी है अगली बरसांत तक रिपेयर्स नहीं की गई तो बिल्डिंग गिर जायगी लड़कों को क्षति पहुंचने का भी अंदेशा है। पंचायत समिति ने ५००) रु० की स्वीकृति दी है लेकिन वे

(श्री महेन्द्रसिंह)

रुपये सरपंच ने स्कूल की रिपेयर्स के लिये नहीं दिये।

चांबदेरी में कूएं के लिये पैसा मंजूर हुआ उनको भी सरपंच लेकर बैठा है। यह हालत है सरकार की। पंचायत समिति जो पैसा मंजूर करती है वह सरपंच लेकर बैठ जाता है। गांव वाले लगाने को तैयार होते हैं तो सरपंच लगाने नहीं देता और जहां गांववाले तैयार नहीं होते तो पंचायत समिति आगे नहीं आती। यदि विकास के नाम पर रुपया लगाये जाते हैं तो उनका सही उपयोग नहीं होता। विकास के नाम पर, विकास की आड़ में आप अनुचित टैक्स लगाने को सफल हो सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना चाहिये कि जितना पैसा विकास के लिये देते हैं वह जहां लगना चाहिये वहां लगता है या नहीं और जो धन खर्च करते हैं उसका सही उपयोग होता है या नहीं यदि नहीं होता है तो सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिये।

श्री छतरसिंह (आहोर) : सभापति महोदय, मैंने एक कट मोशन आहोर पंचायत समिति के बीज बितरण पर दिया है। पिछले वर्ष आहोर में ३०० मन बीज किसानों को वितरित हुआ था। वितरण के १५ दिन वाद किसानों की दर्ख्वास्तें आई कि कई जगह बीज उगा नहीं है। इस पर कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को आदेश दिया कि मौके पर जाकर जांच करे। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने मौके पर पहुंच कर जांच की तो कन्फर्म किया कि वाकई बीज खराब था। इस पर कलेक्टर ने यह कहा कि आगे इन्क्वायरी की जाय कि किस ने बीज खरीदा। उसको खरीदने वाले पंचायत समिति के प्रधान थे और विकास अधिकारी था। बाद में मालूम हुआ कि ३०० मण बीज सुमेरपुर की मंडी में खरीदा था वह कनेडियन था और उसकी कीमत १६) रु. मन मार्केट में थी लेकिन उन्होंने उसे २०) मण के भाव से खरीदा और इस पर भी तुर्रा यह कि इन्क्वायरी वहीं की वहीं रह गई। पिछले सदन के बीच भी मैंने प्रश्न के जरिये इसकी चर्चा उठाई थी मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था कि इन्क्वायरी करेंगे लेकिन इन्क्वायरी नहीं की गई। नोसरा गांव वालों से वसूली हो रही है। उनका कसूर क्या था बीज ही ऐसा था कि उगा नहीं तो फिर उगाई कैसे की जाती है? इसलिये निवेदन करूंगा कि उगाई बंद कर दी जाय और जो घोटाला किया है उसकी इन्क्वायरी की जाय।

दूसरा सुझाव में पंचायत समिति क इस ऋण के बांटने के लिये देना चाहता हूं। वह यह है कि अब पद्धति है, स्टेंडिंग कमेटी जो तकावी बांटती है, वह एक तरह के आदमी को तकावी मिल जाती है। उसके फलस्वरूप जिसको जरूरत होती है, वह तकावी से महरूम रह जाता है। आहोर समिति में हाल ही में एक आदमी ने सत्तर हजार की तकावी ले ली है, दूसरे किसानों को एक पैसा भी नहीं मिला है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि मैं इसको बांटने के लिये एक सुझाव देता हूं, वह यह है कि जो स्टेंडिंग कमेटी तकावी का वितरण करती है, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन शुरू कीजिये, जिससे पंचायत के मेम्बर बाहर छूट जाते हैं वे भी उसमें शामिल हो जायं और एक बेंक की तरह कम से कम काम कर सकें जिससे

(श्री छतरसिंह)
मेजोरिटी पार्टी को अपनी मनमानी नहीं करने दें।

दूसरे, मुख्य मंत्री जी ने यहां फर्माया था बजट स्पीच में कि वी. एन. डब्ल्यू. और सेक्रेटरी की पोस्ट एक कर दी गई है। मेरा अनुरोध है कि जो वी. एन. डब्ल्यू. नये लिये जायं, उनमें जो पंचायत के सेक्रेटरी अभी काम कर रहे हैं, उनकी भी भर्ती होनी चाहिये, उनको भर्ती होने का पहला चान्स दिया जाय जिससे अनएम्प्लायमेन्ट नहीं हो जाय।

तीसरे, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए मेरा सुझाव है कि लैंड रेवेन्यू का चालीस पर्सेन्ट उसी गांव में दे दिया जाय जिस गांव से वह वसूल होती है। इससे दो फायदे होंगे—एक तो पंचायत फाइनेन्सियली स्ट्रांग हो जायगी, दूसरे जो मदद या फंड्स पंचायत समिति से लेते हैं, उसमें जो दौल की भावना होती है वह भी मिट जायगी और उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट जाग उठेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर गौर किया जाय।

श्री सभापति: श्री मालमसिंह।

श्री मालमसिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, अभी और जब बजट के ऊपर सामान्य चर्चा हो रही थी, तब भी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को लेकर कई सदस्यों और कई विधायकों ने बहुत सारी आपत्तियां उठाई। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि कई विधायक इस प्रकार की ओपिनियन रखते हैं, इस प्रकार की राय रखते हैं, कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् का जो थ्री टायर सिस्टम चलाया है, वह बिल्कुल बेकार है, दकियानूसी धन्धा है, इसको बन्द करके कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए। इसके बारे में मैं, सिर्फ, सभापति महोदय, इतना ही कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। पेश्तर इसके कि अपन इसके बारे में इसकी बुराइयां और अच्छाइयां सोचे, अपन को कम से कम इस चीज को बहुत जोर से सोचना होगा कि आखिर इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू करने का मूलभूत सिद्धान्त क्या है? इसकी क्या ऐसी फंडामेन्टल बात थी, क्या मूलभूत बात थी जिसको लेकर इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू किया गया। मेरा खयाल है कि इस योजना को लागू करते वक्त हमारे मुख्य मंत्री का और हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह था कि देश की जो जन शक्ति है, जो मेन पावर है और जिसको कि अपन ने किसी उपयोग में चैनलाइज किया है, जिसके रिसोर्सेज को अपन टेप नहीं कर सके हैं, उसको किसी तरह चैनलाइज किया जाय, जिससे इस देश के बढे हुए विकास के अन्दर योग दे सकें। जैसा आपको मालूम होगा, सभापति महोदय, हमारे सभी सदस्यों को मालूम होगा कि आज राष्ट्र की नेशनल इनकम है वह बारह हजार करोड रुपया है। और कई अर्थ शास्त्रियों की यह मान्यता है कि हमारी जो मेन पावर है, जिसको हम युटिलाइज नहीं कर रहे हैं वह इससे भी कहीं ज्यादा है। हमारे गांवों में जो अस्सी पर्सेन्ट पापूलेशन है, जो पापूलेशन बस रही है, और जो इस पापूलेशन की ताकत है, मैन पावर है, जन-बल है, जन-शक्ति है। जिस जन शक्ति को अपने विकास के कामों में सुचारु रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको विकास कार्यों

(श्री मालूमसिंह)

में संगठित रूप से, सामूहिक रूप से संगठित करके अगर चैनलाइज किया जाय, विकास के कामों में लगाया जाय तो गांव के विकास की योजनावद्ध प्रणाली है, उसको बल मिलेगा और इसकी सफलता कुछ नजदीक सरकेगी। इस मूलभूत भावना को लेकर, मेरा खयाल है, इस थ्री टायर सिस्टम, त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रयोग किया है राजस्थान में, और इसका मूल कारण है कि गांवों में नई विलेज लीडरशिप का, नये नेतृत्व का सृजन किया जाय, जिससे कि जो इस गांवों के अन्दर बिखरी जन-शक्ति है, जिसका प्रोपर युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसको सामूहिक रूप से संगठित करके गांवों के विकास के लिए आगे बढायें। मुमकिन है, इस मूलभूत भावना को रखते हुए इसके कार्य-क्लापों में, इसकी कार्य प्रणाली में कहीं दोष आये हों, लेकिन इस योजना को लागू हुए साढे तीन साल का अर्सा हुआ है। साढे तीन साल पहले इस योजना का जन्म होता है, मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि जो इसका विरोध करते हैं, उनको यह जान लेना चाहिये कि ये टीदिंग ट्रबल्स हैं। इस टीदिंग ट्रबल्स में यह कहा जाय कि बी. डी. ओ. ने यह कर दिया, पंचायत ने यह बनवा लिया, यह नल लगाया है--तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की ओछी बातें लाकर इस योजना की मूलभूत भावना को अपन खत्म करना चाहेंगे। मेरे खयाल से अपने राजस्थान, अपने देश या जो मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर इस योजना को लागू किया था, उसकी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सदन के सब सदस्यों से और खास तौर से उन सदस्यों से जो इसका विरोध करते हैं कि खाली यह कहना--सरकार ने गांवों में यह नहीं किया, वह नहीं किया, पैसा नहीं दिया, सब्सीडी नहीं दी, फ्री फंड और तकावी की रकम नहीं दी और इस तरह सरकार के ऊपर दोष डालें, तो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी आई है, उससे नहीं वच सकते हैं। मतलब यह है, आप लोगों में जो पंच और सरपंच हैं, उन्होंने जो जन-शक्ति बिखरी हुई है, उस जन-शक्ति को पंचायत के माध्यम से संगठित करके देश के योजनावद्ध कार्यों में कहां तक चैनलाइज किया है, कहां तक लगाया है? महज अपनी कमजोरियां छिपाने के लिये सरकार को अपन गालियां देकर रवाना हो जायं, या अपनी बरियत पेश कर दें कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया तो मैं समझता हूं कि अपन अपने प्रति ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ने जिस नीति और जिस इरादे को लागू किया है उसके प्रति भी घोर अन्याय कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करूंगा कि मैं नहीं कहता कि इन साढे तीन सालों में कोई बडे बडे मीर मार लिये हों लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के मार्फत, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, इन साढे तीन सालों में आज के गांवों में ऐसी स्फूर्ति आई है, जिसे साइकोलोजिकल रिजोल्यूशन कहिये, मनोवैज्ञानिक आन्दोलन कहिये, या क्रांति कहिये, वह जरूर आई है। लोगों की यह भावना बनी है, लोगों का यह मानस बना है कि देश के विकास की ओर बढते हुए चरण में अपन को कदम कदम मिला कर चलना है। मैं यहां तक कहने को तैयार

(श्री मालमसिंह)

हूं कि इस समय इस तरह का जन-जागरण आ चुका है कि इस सदन के कितने ही सदस्य खडे हों, और वे इसे वापिस लौटाना चाहें तो वह वापिस नहीं लौटेगा, वे आगे बढेंगे, आगे बढेंगे। इस योजना के अन्दर तीन साढे तीन साल पहले उठाये गये कदम को अब वापिस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, इसे और आगे बढाने का प्रयास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, वक्त बहुत कम है, इसलिये मैं एक दो चीजें ही अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि एक दो बातें मैं सरकार से भी अवश्य अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि साढे तीन साल के अर्से में सरकार ने अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे यह असेस कर सकें, यह मालूम कर सकें कि इन संस्थाओं, जैसे कि जिला परिषद् हुई, पंचायत समिति हुई। इनका इन्स्टीट्यूशनल इन्फ्लूएन्स क्या है? मान लीजिये, मैं जिला परिषद्, जालौर का प्रमुख हूं, लोग मेरा कहना मानते हैं। ठीक है, यह एडवाइजरी बॉडी है, इसके अलावा कोई काम है नहीं। सलाह दी जाय; तो मान भी ली जाय, सोचें कि चलो इसका कहना मान लो। अगर कोई प्रधान आये, जो लोकप्रिय है, तो उसका कहना मान लिया। मान लीजिये, मेरी जगह कोई दूसरा पोंगा प्रधान बन जाता है, और समिति में बैठता है तो जिला परिषद्, एज ए बॉडी, उसका इन्स्टीट्यूशनल इन्फ्लूएन्स क्या होगा, वह किस तरह से फंक्शन करेगा। इस साढे तीन साल के अर्से में सरकार ने महज एक व्यक्ति की पर्सनलिटी को पुश अप करने का, एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को विशेष स्थान पर उभारने का प्रयत्न किया है। मैं कहूंगा कि यह हेल्दी ट्रेडीशन नहीं है। इस समय, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को इस तरह कदम उठाना चाहिये जिससे जनता के सामने पिक्चर आये, उनमें यह समझने की शक्ति हो कि जिला परिषद् और पंचायत समिति एज ए बॉडी, एक संस्था की हैसियत से क्या क्षमता है, वह कितनी सक्षम हो सकती है। यह उस समय तक नहीं हो सकता, जैसा कि हमारे उधर के दोस्तों ने कहा था कि जब आप इस चीज को महसूस न करें, और इस चीज का पुनरुद्धार न करें कि जिला परिषद् एक एडवाइजरी बॉडी बन गई है Advise without any sanction of administration is useless or important. आप किसी को एडवाइस कीजिये, आज एक स्कूल का मास्टर है, आप इस तरह का कानून बना दें जिससे कि वह किसी बच्चे को बाहर न निकाल सके, उसको मार न सके, तो लडका उसके सामने खिल खिल हंसता रहेगा, चाहे कोई नाखून काट कर न आये, या सबक याद करके न आये। उसी का इन्फ्लूएन्स चलता है, जिसको एडमोनिश करने की, जिसको पनिश करने की सेंक्शन होती है। इसलिये साढे तीन साल के अर्से से जिला परिषद् इम्पोटेंन्ट (important) की तरह, एक स्पेक्टेटर की जगह, जो पंचायत समिति कार्य कर रही है, उसको देखते रहने का साधन बना सकें हैं। अगर उसे सक्षम बॉडी बनाना चाहते हैं, जिला परिषद् को पंचायत समिति के ऊपर पावरफुल बॉडी बनाना चाहते हैं, पंचायत समिति को पंचायत के ऊपर पावरफुल बॉडी बनाना चाहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसके लिये समय आ गया है कि साढे तीन साल के बाद इस पर सीरियसली विचार करें।

(श्री मालमसिंह)

एक बात सभापति महोदय मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जैसा अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विकेन्द्रीकरण का सारा श्रेय हिन्दुस्तान में हमारे चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले राजस्थान में विकेन्द्रीकरण लागू किया इसलिये यह श्रेय उनको जाता है। मगर मैं कहूंगा कि, हमारे ग्राम बहुत पुराने समय से सोये हुए थे उनको पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ने जगाया इसलिये इसको जगाने का श्रेय उनको जाता है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि यह कुंभकरण के समान है। जिस समय कुंभकरण को कोई जगाने के लिये जाते तो पहले उसके लिये भोजन की सामग्री अपने साथ ले जाते थे क्योंकि अगर उस समय यदि भोजन की सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो कुंभकरण उनको ही (जगाने वालों) को ही खा जावेगा। इसलिये यह भी कुंभकरण की तरह ही है। आपको इसको खाने के साधन जुटाने होंगे जब कि आपने इस कुंभकरण को जगाया है। अब मुझे यह देखना है कि उसके खाने के लिये आपने पूरा सामान जुटाया है या नहीं। अगर आपने पूरा खाने का सामान नहीं जुटाया है तो यह उनको खा जाएगा जो उनको जगाने जावेंगे। आपने उनको वे पावर्स दिये हैं कि योजना पंचायत समिति और जिला परिषद् बनाते हैं। आपकी पंचायत और पंचायत समिति बजट बनाती है और जिला परिषद् भी बनाती है। आपने जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनके ग्रुप कर दिये और ऐसे कर दिये कि वे किसी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। जब कटौती का प्रश्न आता है तो आप कहते हैं कि एनिमल हस्बेन्ड्री में ५० पर्सेन्ट की कटौती कर दी जाए, एग्रीकलचर में कटौती। जिसमें देखो आप कटौती करने की बात करते हैं तो यह कटौती उस कुम्भकरण के खाने की कटौती होगी और बहुत मुमकिन है कि यह कहीं जगाने वालों को न खा जावे। परसों वित्त मंत्रीजी का भाषण सुना। उससे जो बातें मालूम हुई इससे मैं यह समझ पाया हूं कि इस साल कोई कुंभकरण को खास खुराक जुटाने में हमारी सरकार असमर्थ है। इसलिये अगर आपने ६० लाख का ६० पर्सेन्ट तोड दिया तो यह बहुत कटौती हो जावेगी। आपने एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेन्ड्री आदि का बजट था उसको तोड दिया। मैं यह कहूंगा कि जिस इगो से आपने उसको उठाया है उसी इगो से काम करेंगे तो कुछ होगा। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जिसे वे हिन्दुस्तान भर में विकेन्द्रीकरण के कारण अकड रहे हैं, अकडें नहीं। क्योंकि जिस कुंभकरण को आपने जगा दिया है और इस प्रकाश की बिजली फैलाई है तो उसके लिये आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जब आपने इस विकेन्द्रीकरण के कुंभकरण को जगा दिया है तो आपको चाहिये कि उसके लिये भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध करें वरना भोजन ले जाने वाले को वह खा जाएगा। आपने तो कुंभकरण की खुराक खत्म की है यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : सभापति महोदय, आज पंचायतों के विकास के संबंध में वाद-विवाद चल रहा है। मुझे भी कुछ बातें आपके सामने रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

(श्री अबदुल जब्बार)

मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं जो इस प्रकार है :—

मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा व्यय के अपव्यय पर बहस करने हेतु) व दूसरा कटौती का प्रस्ताव है "राजस्थान में पंचायतों के दोषपूर्ण गठन तथा सीमा निर्धारण पर बहस करने हेतु"।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां हमने जनतंत्र जम्हूरियत कायम की है तो हमें सब काम उन्हीं पंचायतों पर छोडना चाहिये, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे यहां जनतन्त्र जम्हूरियत की दुहाई तो दी जाती है लेकिन हम उन पंचायतों को जो जनतन्त्र जम्हूरियत की मजबूत जडें हैं उनको कम से कम मजबूत बनाते जा रहे हैं। हमको चाहिये कि हम जनतन्त्र जम्हूरियत में उनको कामयाब बनाने की पूरी पूरी व्यवस्था करें। समय समय पर पंचायती राज्य का राग अलापा जाता है और कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के उत्थान के लिये पंचायतों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है मैं भी यही कहता हूं कि जनतन्त्र में पंचायतों का सबसे बडा महत्व है और जनतन्त्र के आधार पर बनी हुई सच्ची जनतन्त्र की सरकार है।

(३.४२ म. पू.)

(राव श्री नारायनसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)।

उपाध्यक्ष महोदय, मगर मुझे इसमें बहुत कमियें नजर आती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि हमारे उधर जिला परिषद् के जो प्रमुख हैं वे हमारी सरकार के उप-मंत्री हैं और वे भी इसी विभाग से सम्बंधित मंत्री हैं। इसलिये अगर कोई चीज उनकी तरफ से गलत की जाती है जिला परिषद् में तो ऊपर भी आप ही बैठे रहते हैं और कोई गलत चीज होती है तो जिस समय गलत चीज होती है तो उसकी अपील करने का अधिकार सबको होता है मगर अपील में भी सुनने का अधिकार एग्जिक्यूटिव साइड में डिप्टी मिनिस्टर को पावर है और उस नाते उन्हीं को अपील सुनने का अधिकार होता है। इसलिये लोगों को सच्चा इन्साफ नहीं मिलता है। उप-मंत्री और जिला परिषद् के प्रधान दोनों वे नहीं रह सकते। मगर यहां पर वे दोनों पदों को संभाले हुए हैं। ये दोनों पद जंचते नहीं हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि विजयपुर जिला चित्तौड में एक जगह है।

एक माननीय सदस्य: आप रेकार्ड से कह रहे हैं या सुनी बात।

श्री अब्दुल जब्बार मैं रेकार्ड पर जो चीज है उसकी बात करता हूं। इधर उधर की बातें नहीं कहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कौनसे ऐसे उप-मंत्री है जो दोनों पदों पर हैं?

श्री अब्दुल जब्बार: वे हैं हमारे उप-मंत्री श्री नन्दवानाजी।

एक माननीय सदस्य: उन्होंने कभी का इस्तीफा दे दिया होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उनसे मंत्री पद से इस्तीफा दिलाना चाहते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार: इस संबंध में मैं आपको निवेदन करूंगा कि एक ऑफिशियल लेटर पंचायत समिति चित्तौडगढ ने इश्यु किया सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुर को नं. ६१-६२ दिनांक ४-१-६२ आप ताज्जुब करेंगे कि किस प्रकार सरकार

(श्री अब्दुल जब्बार)
कानों में तेल डाले हुए हैं । क्या ये बातें सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है ? कोई रकम की मंजूरी नहीं होती और उस रकम का पेमेन्ट हो जाता है । यह जो मैंने पढ़ा है यह एक ऑफिशियल लेटर है । बगैर मंजूरी के रकम दिला दी गई और फिर अब भोलों को कहते हैं कि यह रकम जमा कराओ । इसलिये मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जिस सरपंच ने या किसी ने भी इस प्रकार की गडबडी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, घटायल के सरपंच ने १० हजार की गडबडी कर दी । उसका भी कुछ नहीं हुआ । होना तो यह था कि गरीब मासूम और भोले किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये व्यवस्था की जाती मगर कोई इस प्रकार की व्यवस्था उन गरीब लोगों के लिये नहीं की जाती है । आप इस प्रकार घोटाले करने वालो के खिलाफ कदम नहीं उठाते हैं और बेचारे गरीब किसानों पर दुनिया भर के टैक्स लगाते हैं । पंचायतें अलग टैक्स लगाती हैं और सरकार अलग टैक्स लगाती है । मगर जितने टैक्स लगते हैं उतनी उनको सहूलियतें मिलनी चाहिये मगर मैं यह कहूंगा कि उन गरीब किसानों को कोई राहत पहुंच रही है ?

पंचायत समितियों में अपव्यय के संबंध में मेरा कट मोशन है । इसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह कटु सत्य है और जो बातें मैंने अभी आपको बताई उससे यह कनफर्म होता है कि किस प्रकार से अपव्यय होता है । जीप के दुरुपयोग के लिये मैं कहूंगा कि चाहे हमारे पुरखे, माई, बाप दादा कभी जीप में नहीं बैठे हो तो भले ही नहीं बैठे हो । मगर व आज आप देखेंगे कि आप साग लेने तक के लिए भी जाते हैं तो जीप में । बगैर जीप के जाना वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं । इस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है । तो मैं यह कहूंगा कि किसानों की एक एक बूंद खून की कमाई से पैदा की हुई रकम को इस तरह से खर्च करते हैं और उन पर टैक्सों के ढेरों इन्जेक्शन लगाते हैं और यह नारा लगाते हैं कि कम खर्च करो और इधर आप इस तरह से धन का दुरुपयोग करते हैं और इस बात की चिन्ता नहीं करते कि यह किसानों की गहरी कमाई के पैसे हैं । आपके खर्चे में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़नी चाहिये और अगर कहीं आपके खर्चे और आराम में कमी होती है तो आप कहते हैं कि उसकी पूर्ति के लिये काश्तकार पर टैक्स लगाना पड़े तो उसकी चिन्ता मत करो ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि इस तरह के अपव्यय को रोका जाय । क्या अधिकार है सरकार को कि जनता पर टैक्स लगा कर उसके खून और पसीने की कमाई का पैसा वसूल करके इस तरह से अपव्यय करें, इस बेजा तरीके से खर्च करें। ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि पंचायत समितियों में मोडल बना कर बताया जाता है, गोबर गैस प्लान्ट का कि गोबर से किस तरह गैस बनाया जाता है, इस तरह इस पर अपव्यय किया जाता है। गोबर गैस प्लान्ट की मैं ने ट्रेनिंग ली है मैं जानता हूं कि कौन इसे प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या आवश्यकता है इस तरह के अपव्यय करने की कि गोबर से भी गैस बन सकता है। दुनियां जानती है पर किसान को इसकी आवश्यकता नहीं है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अब्दुल जब्बार)

उपाध्यक्ष: महोदय अभी तो मेरा एक कटौती प्रस्ताव और है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय इतना हो चुका है कि आपके लिये ७ ही मिनिट रहे हैं।

श्री ए. जब्बार : एक कट मोशन और बाकी है तो कन्सीडरेशन फरमायें।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude it within one minute.

श्री अब्दुल जब्बार : सोकपिट लैटिन के मोडल बताये जा रहे हैं, ६०० रुपये में ऐसी लेट्रिन्स वनती है। कौन किसान गांव में ऐसा है जो ६०० रुपये लगा कर सोकपिट लैट्रिन्स बनायेगा। सतकुंडा में एक पुल बनाया जाता है, १४ हजार रुपया खर्च हुआ है, एक गाडी भी उस पर से पास नहीं होती, इतना सकड़ा है, ऐसा मालूम होता है कि एक तीर जमीन पर रख दिया गया है वो यह १४ हजार रुपया व्यर्थ ही खर्च किया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। मैं तो यह कहूंगा कि उस नदी के पानी में फालतू ही १४ हजार रुपया बहा दिया गया।

पंचायत समितियों का गठन किया जाता है उसके सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि किसी पंचायत समिति के एरिया की, गठन की बात चलती है तो जो गांव पंचायत समिति के हैड क्वार्टर से १० मील दूर है, उनको तो ले लिया जाता है और जो गांव ५ मील दूर है उन्हें नहीं लिया जाता है। गांव पाटनियां, चित्तौड़ तहसील में है, जिसके लिये गांव वालों ने दख्वास्तें दी हैं, दे रहे हैं पर वह होता है जालमपुरा में क्योंकि वहां एक कांग्रेसी है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही अर्ज करके अपना स्थान लेता हूं कि गवर्नमेन्ट इस तरफ ध्यान दें और उन किसानों को राहत दे जिनकी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार टैक्सेज के रूप में वसूल करती है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३५ के सम्बन्ध में जो प्रकाशन समिति के मद में १,७२९) हजार रुपये का बजट प्रोविजन है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रकाशन समिति नाम की कोई समिति नहीं है और न पब्लिसिटी बोर्ड नाम का कोई बोर्ड ही राजस्थान में है। पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट है और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स है जिसके द्वारा सारा रुपया खर्च किया जाता है। मैं नहीं समझता कि हमारा अर्थ विभाग, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स को किस प्रकार इसका खर्चा करने का अधिकार दे सकता है, जब कि प्रकाशन समिति नाम की कोई समिति राजस्थान में नहीं है। डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स जिसमें इस रकम को रखना चाहे रखे, पर यह हैड बिलकुल गलत है।

माननीय गृह मन्त्रीजी ने पिछले साल घोषणा की थी कि एक परामर्श मन्डल बनाया

(श्री मानिकचन्द सूराणा)

जायगा जो अखबारों में दिये जाने वाले एड्वर्टाइज मेन्ट्स के सम्बन्ध में सलाह देगा, जिससे कि अखबारों की इस समस्या को हल किया जाय। अखबारों में विज्ञापन देने की समस्या को हल करने के लिये सलाहकार मन्डल की घोषणा करदी। वह बैठा, फिर सब कमेटी बैठा कर एडवर्टाइजमेन्ट पॉलिसी क्या हो इसकी एक लम्बी-चौडी रिपोर्ट तैयार कराई गई और वह रिपोर्ट सरकार को पेश की। वह रिपोर्ट सलाहकार मन्डल में स्वीकार की गई और सरकार के पास भी गई। उसे सरकार के पास गये ६ महीने का अर्सा हुआ, उसके बाद कभी कुछ नहीं सुना कि सरकार यह कार्यवाही कर रही है।

मैं समझता हूं, सदन में जिस सलाहकार मन्डल की घोषणा की गई उसने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को पेश की तो उस पर निर्णय लेने का समय तो मन्त्री महोदय को मिल जाना चाहिये था और रूल्स फ्रेम हो जाने चाहिये थे; पर उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपनी विज्ञापन नीति के सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं किया। उनकी नीयत, मैं नहीं कहता कि फाइनेलाइज करने की नहीं है पर मैं कहता हूं कि एक तरफ तो फाइनेलाइज नहीं किया जाता है दूसरी तरफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेन्ट जो मर्जीदान हैं उनको दे दिये जाते हैं और जो मर्जीदान नहीं हैं उनको नहीं दिये जाता है इसमें डिस्क्रिशन, जुडिशियस डिस्क्रिशन के तौर पर किया जाय, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिये।

सलाहकार मन्डल के बारे में क्या स्थिति है, इस पर मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि एडवर्टाइजमेन्ट की पॉलिसी सरकार की कैसी ही हो पर हमारे यहां गृह मन्त्रालय और सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की नीति ऐसी होनी चाहिये कि हमारे यहां पर अखबार पनप सकें। ६० प्रतिशत जयपुर के बडे बडे अखबारों को दे दिया जाता है और जो छोटे छोटे अखबार हैं उनको कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता, जो दिया जाता है प्रतिशत बहुत कम होता है। तो सरकार की नीति छोटे अखबारों को भी प्रोत्साहन देने की होनी चाहिये। मन्त्रीजी कह सकते हैं कि ऐसा मैटिरियल छापते हैं कि उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते पर जो अखबार निस्पक्ष रूप से ठीक काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

राजस्थान की पत्रकारिता बडे पूंजी-पतियों के हाथ में नहीं है। संचालक और प्रकाशक एक ही आदमी यहां होता है। बहुत कम अखबार यहां ऐसे हैं जिनके संचालक और कार्यकर्ता अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इस इन्डस्ट्री में लोग श्रम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। यदि इनको प्रोत्साहन नहीं दिया तो राजस्थान की पत्रकारिता की मोनोपोली कैपिटलिस्टेट्स के हाथ में चली जायगी। अब भी समय है कि राजस्थान की पत्रकारिता को प्रोत्साहन दें।

मैं सुझाव दूंगा, यह कोई नया सुझाव नहीं, इस प्रकार का थिंकिंग हिन्दुस्तान के पत्रों में चल रहा है और दूसरे प्रान्तों में इस पर विचार किया गया है। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि राजस्थान में एक न्यूज पेपर फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना करें एक अच्छी स्टेचुटरी बॉडी बनाये और यह बनाकर यहां के छोटे अखबारों को जुडिशियस ढंग से प्रोत्साहन मिल सके इस तरह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का काम करें। ऐसा किया तो अखबार जो जनता का दिमाग बनाते हैं, जो डैमाक्रेसी की जान है, उनको पनपायेंगे, इससे राजस्थान में जनतन्त्र की जडें मजबूत होंगी। यदि छोटे अखबार मर गये, समाप्त हो गये तो हमारी पीढ़ी पर एक बडा चार्ज रहेगा कि जनतान्त्रिक परम्पराओं को प्रोत्साहित करने वाले लोगों की हमारे यहां कोई परवाह नहीं की गई।

इसलिये न्यूज पेपर फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के गठन पर शीघ्रता से विचार करें सारे प्रेस एण्ड कोन्स को देख कर विचार करें।

आपके डाइरेक्टर हैं। तीन सेक्रेटरीज ने इनके खिलाफ लिखा है, चीफ सेक्रेटरी ने इनके खिलाफ लिखा है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की है, राजस्थान के दो डाइरेक्टर्स डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स और डाइरेक्टर प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी हैं, · · · ·

(४.०० म. प.)

मुझे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कुछ भी कहा जाय उनका बाल बांका नहीं हो सकता है। होम मिनिस्टर साहब उनको प्रोटक्शन देना चाहते हैं। होम सेक्रेटरी, दो और सेक्रेटरी उनके खिलाफ लिखते हैं, चीफ सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ लिखा, पी. ए. सी. ने खिलाफ लिखा तो अब क्या आप जवाहरलालजी का जजमेन्ट चाहते हैं उनके खिलाफ, तब ही कार्यवाही की जावेगी। आखिर आपने उनको चार्ज शीट दी है · ·

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वे फोटो छापते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं उस पर भी कहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): वह तो कोई दूसरी मिसाल देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा: चार्ज शीट दी, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। एक अधिकारी जवाब दे या नहीं इसकी कोई उनको परवाह नहीं। माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा कि वे तो फोटो छापते हैं। गृह मन्त्रीजी के फोटो छपते होंगे और पचास पर्सेन्ट गृह मन्त्रीजी के फोटो खिचवाते होंगे। गृह मन्त्रीजी को खुश करने के लिये फोटो छपवायें तो हमें कोई एतराज नहीं है। फोटो में अपव्यय भी करें, लेकिन डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स को जो चार्जशीट दी गई है उसका वे जवाब दें, एलीगेशन्स हैं सीरियस उनकी इन्क्वायरी करायें और एक्शन लें। सरकार उनको यदि इन्क्वायरी में एब्जोल्व करना चाहती है उनको एब्जोल्व कर दीजिये। सदन को भी कहिये कि उनको एब्जोल्व कर दिया गया है। सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये पब्लिसिटी बोर्ड के बारे में, डाइरेक्टर के बारे में, एडवर्टाइजमेन्ट के बारे में स्पष्ट रूप से पोलिसी घोषित की जानी चाहिये और डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स के बारे में कार्यवाही नहीं हो रही है उसके बारे में मन्त्री महोदय पूरा प्रकाश डालें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ! you will take only 5 minutes please.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): please 10 minutes.

श्री उपाध्यक्ष: No, 5 minutes.

श्री रामकिशन (वैर) : कांग्रेस का कोई टाइम नहीं रहता है। ६२ में ही खत्म होगया। अब तो अन्धाधुन्धी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके जरिये, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में कुछ पंचायत समितियों की काफी बडी जन संख्या है। लगभग १।। लाख, १।।। लाख के हैं और कुछ भी ६० हजार, ७० हजार है। लेकिन जब बजट के एलोकेशन्स का सवाल आता है तो तमाम पंचायत समितियों को, चाहे बडी हो या छोटी, समान रूप से अनुदान दिया जाता है। जो पंचायत समितियां बडी हैं जो तहसीलों को कोन्साइड करती हैं उनको भी उतना ही अनुदान है और जो छोटी हैं उनको भी उतना ही अनुदान। यह एक पक्षपात है और इससे बडी कठिनाइयां होती हैं।

जालोर जिले में सबसे बडी पंचायत समिति सांचोर है और दूसरी है आहोर बाकी सब छोटी पंचायत समितियां हैं जब अनुदान दिया जाता है तो समान रूप से दिया जाता है। बडी पंचायत समितियां हैं, जिनमें ४५ पंचायतें और छोटी पंचायत समितियां जहां २५ पंचायतें हैं तो २५ पंचायतों वाली पंचायत समितियों को भी उतना ही अनुदान और जो ४५ पंचायतों वाली पंचायत समिति हैं उनको भी उतना ही अनुदान मिलता है इसलिये सरकार की जो यह नीति है उसके लिए मुख्य मन्त्रीजी को पुर्नविचार करना चाहिये। बडी पंचायत समिति को या तो जन संख्या के अनुसार अनुदान देना चाहिये या जो बडी है उसको छोटी बनादी जानी चाहिये या जो छोटी है उनको बडी बनादी जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक आधा मिनिट और।

दूसरा मेरा कट मोशन मांग संख्या ३५ के बारे में है। नेचरल केलेमिटी के बारे में प्रावधान है, बहुत कम पैसा दिया गया है। जालोर में फायर केसेज बहुत रिपोर्ट होते हैं और उसके लिये थोडा सा ही अनुदान रहता है कि किसी में भी पर्याप्त रूप से सहायता नही दी जा सकती है। जो अनुदान रखा जाय, उसके लिये जिले में रिपोर्ट मांगी जाय, नेचुरल केलेमिटी जहां अधिक होती हो उनके लिये ज्यादा रकम का प्रावधान किया जाय ताकि पर्याप्त मात्रा में साधन उनको उपलब्ध हो सके। इन दो कटौती प्रस्तावों के जरिये मैं सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : Point of information, Sir. लिखित रूप में मेरे पास एक पत्र है। बेचारे अध्यापक के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : What is the information, you require ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक डॉक्युमेन्ट है। एक मास्टर को लिखा गया है कि यदि तुम पास नहीं करोगे तो तुमको बर्खास्त कर दिया जावेगा। यह इन्सपेक्टर इम्पोर्टेन्ट डॉक्युमेन्ट है और ओरिजनल है ये पढ कर सुनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: It can not be allowed like that.

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह डॉक्युमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, ओरिजिनल डॉक्युमेन्ट है। केवल दो मिनिट चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. members there aremany ways such to put things.

श्री विजयसिंह झाला : केवल एक मिनट चाहते है। कल हमारे दल के टाइम में से काट दिया जाय। लेकिन एक इम्पोर्टेन्ट डॉक्युमेन्ट है.......

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री श्रवणलाल : तहसील हिन्डौन में जगर ग्राम है। प्राथमिक पाठशाला है चिनायठा। उसके जो प्रधानाध्यापक हैं श्री रामभरोसेलाल गुप्ता उनको एक पत्र लिखा गया है। वह इस प्रकार है नं० २९७। १४-७-६२। श्री रामभरोसेलाल गुप्ता, प्रधानाध्यापक प्रा० पा० चिनायठा। विषय: 'प्रमोशन प्रतापसिंह कक्षा ५ क्रमांक नं० ७ ता० १७-७-६२। उक्त पत्र से विदित हुआ है कि आपने इस कार्यालय के आदेश क्रमांक २८३। ११-८-६२ का पालन नहीं किया है। न तो छात्र को स्पेशल प्रमोशन ही दिया है न चाल-चलन संतोष जनक लिखा है। अब आपको अन्तिम आदेश दिया जाता है कि आप उक्त छात्र को स्पेशल प्रमोशन देकर चाल-चलन संतोषजनक लिख कर टी. सी. दुरुस्त करके अपने हस्ताक्षर बना कर दें।

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने को ता० १६-७-६२ ई. से मुअत्तिल समझें और १६-७-६२ ई. को कार्यालय में उपस्थिति दें। इसका कोई खर्चा मार्ग व्यय नहीं दिया जायगा। आप अब इसके दोषी हो चुके हैं। आपके परीक्षा फल रजिस्टर में स्पेशल प्रमोशन छात्र को अंकित कर दिया गया है।"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आखरी वाक्य क्या पढा है? फिर पढ़ दीजिये।

श्री श्रवणलाल : वह है कि...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप (श्री विजयसिंह झाला) पढ़ दीजिये।

श्री श्रवणलाल : एस. डी. आई. ने दस्तखत किये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आप अब इसके दोषी हो चुके हैं। आपके परीक्षा फल रजिस्टर में स्पेशल प्रमोशन छात्र को अंकित कर दिया गया है।

जी. एल. संकर,
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, हिन्डोन
१४-७-६२

रतनलाल जैन
एस. डी. आई.

श्री श्रवणलाल : उसके बावजूद भी २५ मील दूर तबादला कर दिया है। २।। साल का इन्क्रीमेन्ट रोक दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: Are you laying the document on the table.

श्री विजयसिंह झाला : कापी है। असली आपके पास है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : ओरिजिनल डाक्युमेन्ट पेश होना चाहिये। वरना रिजेक्ट कर दिया जावे।

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री विजयसिंह झाला : जिम्मेदारी के साथ माननीय सदस्य कहते हैं। ओरिजिनल उनके पास है। आप चाहेंगे तो वे ओरीजिनल लाकर पेश कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please on eat a time.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह डाक्यूमेन्ट प्रोपर्टी आफ दी हाउस है। इसलिये असली डाक्यूमेन्ट पेश होना चाहिये ताकि सिग्नेचर आदि का वेरीफिकेशन किया जा सके। उसमें आये हुए कान्टेन्टस का जहां तक प्रश्न है उसमें किसी प्रकार की कन्ट्रोवरसी किसी सूरत में नहीं की जा सकती।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : आप इतने परेशान मत होइये माननीय मुख्य मंत्री खुद बता देंगे।

श्री विजयसिंह झाला: जब सदन के एक जिम्मेदार माननीय सदस्य कह रहे हैं, ओरीजनल उनके पास है वे किसी दिन रख देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डाक्यूमेन्ट पेश किया जा रहा है उसके साथ यह भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिये कि यह कहां से आया, किसने दिया, किस व्यक्ति द्वारा आया।

श्री भैरोंसिह : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्यूमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया जावे तथा तथ्य की जांच सरकार कर लेगी। यह कहां से आया, किस प्रकार से आया, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

(विराम)

श्री गृह मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या ७१ पर चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों ने डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेन्ट पॉलिसी के सिलसिले में चर्चा की है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष जी, जो कट मोशन्स इस विभाग के सिलसिले में आये थे, मुख्यतः सरकार की एडवर्टाइजमेन्ट पालिसी और दीगर कार्यों के बारे में थे।

मैं सबसे पहले सरकार की एडवर्टाइजमेंट पालिसी के बारे में सदन के अन्दर कई दफा कह चुका हूं और आज उसे दोहराना मुनासिब समझता हूं। सरकार की नीति गत कुछ महीनों से हमने एडवर्टाइजमेन्ट देने की नीति नई बनायी है। जिस परामर्श बोर्ड का जिक्र सदन में, मैंने गत बजट अधिवेशन के समय घोषणा की थी उस घोषणा के बाद में परामर्श बोर्ड की एक सब कमेटी में खास तौर से इस विषय को लेकर, पूरा अध्ययन करके एक रिपोर्ट परामर्श बोर्ड के सामने पेश की। सलाहकार बोर्ड ने इस पर विचार किया है और विचार करने के बाद में बहुत सी सिफारिशें सरकार के सामने पेश की हैं। सरकार का विधि विभाग और गृहमंत्रालय ने उन सिफ़ारिशों का पूरी तरह से अध्ययन करके ड्राफ्ट रूल्स बनाये हैं। जिसकी कापी मैं पहले सदन की मेज पर रख चुका हूं करीब एक सप्ताह पहले।

राजस्थान केबिनेट द्वारा जब तक ये ड्राफ्ट रूल्स पास होकर आया न हो जाय तब तक इन्टेरिम अमल शुरू कर दिया गया है

(श्री मथुरादास माथुर)

जब तक ये पास होकर गजट में आया न हो जाय तब तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स को यह आदेश दिये गये हैं कि वे एडवर्टाइजमेन्ट के बारे में इन्हीं रूल्स के हिसाब से कार्यवाही करेंगे। आज जो नीति सरकार की ओर से विज्ञापन देने की है वह उन्हीं रूल्स पर आधारित है जो ड्राफ्ट रूल्स सलाहकार मंडल के परामर्श से बनाये गये हैं। इसलिये यह कहना कि सरकार आर्बिट्रेरी ढंग से एडवर्टाइजमेन्ट देती है यह भ्रम है माननीय सदस्यों को यह भ्रम निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि खास तौर से गत साल के अन्दर जब रूल्स नहीं बने थे उससे पहले हमने विज्ञापन देते समय कुछ बडे बडे मुद्दे जो अब रूल्स के अन्दर दर्ज कर लिये हैं उन्हीं के अनुसार विज्ञापन देते थे और दिये थे। यह बात ठीक है कि जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा विज्ञापन देते वक्त बडे बडे अखबारों को विज्ञापन दर ज्यादा होने से ज्यादा राशि प्रतीत होती है छोटे अखबारों को; खास तौर से साप्ताहिक अखबार के विज्ञापन के आंकडे देखने में कम मालूम होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सरकार की विज्ञापन की नीति के बारे में एतराज उठाया था मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि सरकार की विज्ञापन की नीति एक ऐसी नीति है जो हमारे यहां के अखबार-नवीस हैं और अखबार निकालने में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सलाह से इस मुद्दे को लेकर बनायी गई कि जिसमें छोटे अखबारों को भी जिन्दा रहने का हक हो। राजस्थान में यह खुशी की बात है कि राजस्थान के अखबार बडे बडे पूंजीपतियों के अधीन नहीं। बहुत से अखबार जो डेली या वीकली निकलते हैं वे हमारे यहां के मामूली औसत कार्य-कर्ता और औसत आदमियों द्वारा निकाले जाते हैं इसलिये सरकार का अपना परम कर्तव्य है कि उनको जिन्दा रखने के लिये एडवर्टाइजमेन्ट द्वारा जितना सहयोग, जितनी धनराशि दे सकते हैं देते हैं ताकि वे भी अखबार जिन्दा रहें। यह सरकार की नीति है और रहेगी। जो छोटे अखबार रेगुलर नहीं निकलते हैं ऐसे अखबार जिनकी नीति कोई विशेष नीति जनता के हित में नहीं है, ऐसे अखबार जो सोशयल ऑब्जेक्टिव्ज के विरोध में लिखते हैं ऐसे अखबार सरकार की मदद चाहते हैं विज्ञापन के रूप में तो उन अखबार वालों को दिमाग में रखना पडेगा कि वे हमारे समाज के हमारी सरकार द्वारा निर्धारित सोश्यल ओब्जेक्टिव्ज हैं उनको मुल्क के सामने रखे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह डेमोक्रेटिक पॉलिसी नहीं है। आपने कॉन्स्टीट्यूशन में यह भी प्रावधान है कि अगर कॉन्स्टीट्यूशन का विरोध किया जाय तो उसमें भी कोई रूकावट नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मगर सरकार की नीति साफ है कि जो अखबार डेमोक्रेसी के खिलाफ या नेशनल इन्टरेस्ट के खराफ हमारी फन्डामेन्टल पॉलिसीज के खिलाफ लिखता है सरकार उसको एडवर्टाइजमेन्ट के जरिये मदद करे या उससे हमदर्दी रखे, यह संभव नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक पालिसी या गवर्नमेन्ट पोलिसी (आपकी सरकार की नीति की आलोचना करे उसको भी...

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि पब्लिक पोलिसीज के खिलाफ, गवर्नमेन्ट के खिलाफ की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : वह पब्लिक पोलिसी कौन सी है ?

श्री मथुरादास माथुर : जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जो एमर्जेन्सी है, उसमें कई अखबारों ने ऐसी बातें लिखी जो एमर्जेन्सी में नहीं लिखनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : तो आप यह कहिये, नेशनल इन्टरेस्ट।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): इस एमर्जेन्सी के खिलाफ हिन्दुस्तान के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा था।

एक माननीय सदस्य : ऐसे बड़े अखबार बड़े पूंजीपतियों के पास हैं।

श्री मथुरादास माथुर : विज्ञापन संबन्धी रूल्स मैंने सदन की मेज पर रख दिये थे। हमें ऐसे अखबारों को प्रोत्साहन देना है जो सोशल ऑब्जेक्टिव्ज के फुलफिलमेन्ट में बहुत ज्यादा मदद देते हैं, उन अखबार वालों का पूरा ध्यान रखा जायगा।

श्री भैरोंसिंह : आपके रूल्स फाइने–लाइज्ड हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : दस दिन पहले रूल्स सदन की मेज पर रख दिये गये थे। वे रूल्स केबिनेट द्वारा स्वीकृत होने के बाद नोटिफाइ हो जायेंगे; लेकिन डिपार्टमेन्ट के अन्दर अभी से लागू कर दिये हैं और उन्हीं के आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं।

न्यूजपेपर फाइनेन्सियल कॉर्पोरेशन के बारे में भी कहा गया इस बारे में माननीय सदस्य का सुझाव भी अभी अभी सदन के सामने रखा गया। अत: इस सुझाव पर छान बीन करने की आवश्यकता होगी और राजस्थान सरकार खुद इस बात पर निर्णय लेगी की आया यह मुमकिन हो सकते हैं या नहीं आज ही की हालत में।

इसके साथ साथ इस विभाग के सिलसिले में कहा गया कि डाइरेक्टर महोदय के बारे में क्या हो रहा है। यह ठीक है कि उनकी जांच चल रही है और डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के कमिश्नर साहब इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको चार्ज शीट नहीं दी गई क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : दे दी गई है और एन्क्वायरी कमीशन को ताकीद कर दी गई है कि वे अपनी जांच जल्दी करके रिपोर्ट दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत) : कब की गई यह ताकीद ?

श्री मथुरादास माथुर : तीन चार महीने से ऊपर हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे चार्ज शीट का जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वे देंगे जवाब तो, मैं थोड़े ही दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: आप उनसे जवाब दिलवाइये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कैसे उनको इसके लिये कह सकता हूं। हां, मैं डिपार्ट-

(श्री मथुरादास माथुर)
मेन्टल एन्क्वायरी के कमिश्नर को तो यह कह सकता हूं कि वे अपनी एन्क्वायरी जल्दी खत्म करें और अगर वे चार्ज शीट का जवाब नहीं देते हैं तो आप एक्स पार्टी रिपोर्ट दें। अगर हम इस तरह से करें तो आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव के कामों में हम इन्टरफियरेन्स करते हैं।

तो मैं इस विषय में इतना ही कह सकता हूं कि डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के कमिश्नर इस में जांच कर रहे हैं और वे जांच जल्दी करें इसके लिये हमने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : चार महीने से वे योंही बैठे हैं, कहना ही नहीं माना है।

श्री मथुरादास माथुर: इसकी भी रिपोर्ट वे देंगे। यह सब उनको ऑथोरिटी दी गई है। अब एन्क्वायरी कमिश्नर अगर आप नहीं रखकर मिनिस्टर को एन्क्वायरी करने का अधिकार देते तो मैं अभी फाइनल कर देता।

श्री भैरोंसिंह : बचाओ इससे तो।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था कि हम ऐसा करके चल रहे हैं। डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के कमिश्नर महोदय का भी तबादला हो गया है, अब दूसरे आ गये हैं। जल्दी से वे एन्क्वायरी करेंगे और वह पूरी होगी।

इसके साथ में जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, ये बातें जो आपने उठाई थी उनका करीब सब का जवाब दे दिया।

श्री रामकिशन (वैर) : स्पोर्टस कोन्सिल की बात रह गई।

श्री मथुरादास माथुर : इसका मेरे से सम्बन्ध नहीं है। इसका जवाब दूसरे कन्सर्न्ड मिनिस्टर देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : साहित्यिक अनुदान की बात रह गई।

श्री मथुरादास माथुर : कट मोशन इस पर रखा है। हमारे बजट इस साल में जो हैं, लास्ट ईयर में लेखक, राइटर्स को अनुदान देने की बात थी, यह बात इस साल नहीं है।

श्री रामकिशन : बजट में अनुदान लिखा रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : वह यह है कि बजट में एक प्रोवीजन है और वह यह है कि कोई किताब किसी से लिखवाए तो उसका पेमेन्ट करना पडेगा। लास्ट इयर एक किताब हमने लिखवाई श्री राजस्थान नहर के नाम से उसके पेमेन्ट के लिये २००) रु० दिये थे। वही खर्चा हुआ लास्ट इयर, और कोई खर्चा ही नहीं हुआ। किसी कोरेस्पोन्डेन्ट को या लेखक को या राइटर को कोई पुरस्कार आदि देने की बात इसमें नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) : यह किससे लिखवाई ?

श्री मथुरादास माथुर : शर्मा है कोई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या वे सरकारी नौकरी में भी हैं। असिस्टेन्ट कमिश्नर पंचायत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इस विषय में ज्यादा जानकारी मैं ऑफ हैंड नहीं दे सकता। नाम इनका शिवदत्त शर्मा है। उन्होंने यह

(श्री मथुरादास माथुर)

किताब कविता में लिखी है और अच्छी किताब लिखी है।

श्री रामकिशन : ये तो अच्छे लेखक हैं, उनको ही दिया है, तो कोई हर्ज नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो डिपार्टमेन्टल पॉलिसी है। कोई अखबार वालों को या लेखकों को २००) रु० देते रहें ग्रान्ट का तो यह बात नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई किताब लिखवाती है तो उसके सिलसिले में उसके हिसाब से पारिश्रमिक उसको देती है। तो यह बात है। अगर कोई बात आपके दिमाग में हो तो उसे चेन्ज कर लें। राइटरों को देने का काम साहित्य अकाडेमी करती है, हमारा विभाग नहीं। हमारा विभाग तो कोई किताब अगर किसी से लिखवाता है तो उसको पारिश्रमिक देता है।

पिछले साल दो हजार इस मद में रखा था, उसमें से दो सौ रुपये खर्च हुए बाकी रह गये।

श्री रामकिशन : बाकी किसके पास जमा है ?

श्री मथुरादास माथुर : कौल साहब के पास जमा है।

श्री रामकिशन : वे तो मना कर रहे थे।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : आप जबर्दस्ती मेरा नाम ले रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दस हजार किस गरज से रखा था ?

श्री मथुरादास माथुर : यह दो हजार कौल साहब ने काट दिया है। ६१-६२ के बजट में आप देखें तो दो हैड थे। एक था रिसेप्शन टू जर्नलिस्ट्स और दूसरा था लेखक को देने के लिये किताब लिखवाने करने के लिये। यह दो हजार का था और पहले वाला दस का था। अब इस बार उन्होंने क्या किया है कि दोनों अलग अलग हैड हटाकर एक हैड कर दिया और बारह हजार को काटकर दोनों कामों के लिये इस बार केवल दस हजार ही रख दिया यह वह दस हजार इस तरह से है। तो इस आइटम में से कभी किताब लिखवाने करने की जरूरत हुई तो दो सौ, पांच सौ रुपया निकाल सकेंगे।

श्री रामकिशन : यही हम कह रहे थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में पंचायती राज से सम्बन्धित संस्थाओं के बारे में आज अधिक से अधिक कट मोशन प्रस्तुत किये गये और उन पर इस सदन में विचार व्यक्त किये गये।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि आम तौर से बहुत से माननीय सदस्य बोले उनमें किसी को सरपंच से नाराजगी थी, उनके किसी भ्रष्टाचार, और किसी इरेगुलेरिटी के बारे में शिकायतें बहुत सी आई। किसी को कर्जा ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, इसके बारे में शिकायतें आई, अध्यापकों के बारे में शिकायतें आई और इस प्रकार की बहुत सी छोटी मोटी बातें यहां पर प्रस्तुत की गई।

साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि बजट के मौके पर जब इस बार इस बात के लिये प्रावधान किया गया था कि किसी तरह से जो पंचायत समितियों की आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके लिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी हम लोग कुछ ठीक व्यवस्था कर सकें तो ठीक है। उस बात का तो काफी विरोध किया गया, पर आज पंचायत समितियों और पंचायतों के साधन बढ़ाने की आवश्यकता है उस पर जोर दिया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि जो राजस्थान के अन्दर पंचायती राज्य कायम होने के बाद अलग अलग पंचायतों में और पंचायत समितियों में जो कुछ पिछले वर्ष में कार्य हुआ है उनको हम दस-बीस पंचायत समितियों या सात हजार पंचायतों में से सौ, दो सौ, चार सौ पंचायतों की गलतियों से आंक कर नहीं चल सकते। यह सम्भव हो सकता है कि कुछ जगह खामियां रही हों, गलतियां भी रही हों और जिस रोज पंचायती राज को शुरू करने की बात सोची गई थी उस रोज भी, उस समय भी मैंने यह कहा था कि गलतियों के जरिये सीख कर आगे फिर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करना होगा।

आज के दिन एक तो जान बूझकर गलती करना, एक काम का अनुभव न हो उस अनुभव की कमी की वजह से गलतियां शुरू रखना इस प्रकार की बात इस सारे कार्यक्रम में आवेगी, इस बात को पहले से जाने हुए थे।

यह ठीक बात है कि जान बूझकर कहीं पर ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जहां धन का दुरुपयोग हो तो उसे रोका जाना चाहिये। और इसके बारे में सरकार समय समय पर अपनी तरफ से कार्यवाही करती रही है, नियम बनाती रही है, और उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जब सरकार कार्यवाही करती है, तो यह कहा जाता है कि राजनैतिक हस्तक्षेप हो रह। है और कार्यवाही उपयुक्त नहीं हो रही है तो अधिकांश लोग कहते हैं कि पंचायत समितियों में और सहकारिता के अन्दर राजनीति नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं समझ पाता कि सब चीजों की इनकी व्याख्या क्या है? अगर एक व्यक्ति स्वयं पंचायत समिति में हो तब तो राजनीति भी ठीक होगी। एक व्यक्ति स्वयं कोऑपरेटिव के अन्दर हो तो राजनीति ठीक है। लेकिन दूसरा नया व्यक्ति राजनीति वाला आने लगे तो राजनीति का हस्तक्षेप हो जावेगा और आवाज उठने लग जावेगी कि राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। तो ये बातें सामने आने लगती हैं।

मैं ऐसा समझता हूं कि जो वास्तविकता है उसे मानकर चलना चाहिये कि राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति सहकारी संस्थाओं में भी और पंचायती राज की संस्थाओं में भी वे लोग रुचि ले रहे हैं और उसके अन्दर काम कर रहे हैं, यह स्वाभाविक है, मैं समझता हूं।

इसको हम केवल आइडियोलोजी के आधार पर यह समझकर चलें कि यह चीज केवल एक भाषण से हट जाने वाली है तो यह सम्भव नहीं है। आज कुछ पंचायत समितियों में जहां एक व्यक्ति का एडजस्टमेन्ट नहीं होता है तो वह व्यक्ति उस पंचायत समिति के विरोध में हो जाता है। एक व्यक्ति का अगर एडजस्टमेन्ट है तो वह पंचायत समिति को ठीक समझता है सरपंच प्रेस को मुफीद पडता है तो वह ठीक है और अगर उसके मुफीद नहीं पडता है तो वह नाराज है। इसके पीछे भी राजनैतिक कारण बाहर भी और सदन के अन्दर भी स्पष्टतया नजर आ सकते है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक हम लोगों का प्रश्न है हम बराबर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि जो पंचायत

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

समितियां आज काम कर रही हैं उनके सिवाय इससे ज्यादा कहीं पर कॉन्क्रीट केसेज ऐसे आये कि जिनमें गबन या इस प्रकार की बात सामने हो तो उसकी इन्क्वायरी कराने के बाद में उसके बारे में कार्यवाही की जाती है। और माननीय उपाध्यक्षजी में इसको कह कर चल सकता हूं कि किसी भी जगह आज इतनी पंचायत समितियां राजस्थान के अन्दर हैं, बहुत सी पंचायत समितियों में कांग्रेस विरोधी प्रधान भी हैं और भी स्थिति है, लेकिन में ऐसा समझता हूं कि किसी कांग्रेसी विरोधी पंचायत समिति के होते हुए भी आज सुपरसीड करने के गवर्नमेन्ट को अख्तियार होते हुए भी गवर्नमेन्ट ने उन पॉवर्स को यूज नहीं किया और साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इस प्रकार का उदाहरण सामने आया है, उनको काफी देख करके, जांच पडताल करके कम से कम एक्शन लेना पडे उस बात को ध्यान में रखकर चलते हैं, बल्कि इस बात को भी ध्यान में रख कर चलते हैं कि केवल इर्रेगुलेरिटी की दृष्टि से कोई बात हो गयी हो और उसमें दरअसल गबन जैसी बात नहीं है तो उसको भी हम एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और उनको कहते हैं कि वे उसको ठीक करें और पहले से उसके नियम वगैरह और सर्कुलर्स स्पष्ट हैं कि क्योंकि काफी ऐसे उदाहरण सामने आये थे कि सरपंच रुपया लेकर गये, लेकिन उन्होंने वह रुपया ट्रेंजरी में जमा नहीं कराया और ज्यादा समय तक उनके पास वह रकम रह गयी। उसके बारे में कार्यवाही के प्रश्न आये तो हमने स्पर्ष्टीकरण के सर्कुलर्स निकाले हैं कि कहीं वह रुपया जमा करा दें कि जिससे बाद में शंका उपस्थित न हो सके।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस को भी स्वीकार करता हूं कि कुछ जगह इस प्रकार की शिकायतें भी आई कि जिनके अन्दर गबन की और दूसरी बातें थीं और हमें उन पर कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पडा। हम चाहते हैं कि पंचायत समितियां अपना काम अच्छे ढंग से बिना किसी हस्तक्षेप के करते हुए करती चली जायें लेकिन साथ साथ वहां पर गबन या किसी प्रकार की और इस तरह की शिकायतें आती हैं तो सरकार को इस मामले में सख्ती से भी कार्यवाही करनी होगी। उस जिम्मेदारी को भी हम छोडकर नहीं चल सकते। इसलिए दोनों चीजें हमारे सामने आकर खडी हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर इस सम्बन्ध में यह चर्चा आई कि क्या क्या गवर्नमेन्ट कार्यवाही कर रही है और क्या क्या नहीं कर रही है तो में निवेदन करूं कि अभी हमने सर्कुलर इश्यू किया है जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को जो रुपया दिया जाता है अगर वह उस काम के लिए उपयोग में नहीं लाये, जैसे कुआ खोदने के लिये है या और काम के लिए है तो उससे एक ही वक्त में सारा रुपया वसूल किया जाये और साथ ही साथ १२ परसेन्ट का पीनल इन्टरेस्ट लगाया जाये जिससे वह रुपया लेने वाला सस्ते ब्याज पर लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा हो तो उस पीनल इन्टरेस्ट के जरिये वसूली की कार्यवाही हो। साथ साथ इस प्रकार की इन्क्वायरी की बात आये तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। आडिट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन को पहले के मुकाबिले में स्ट्रेन्थन किया गया है और यह नियम बनाया गया है कि ऑडिट पार्टी कम से कम साल में एक बार पंचायत

Page No 113

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

समिति में जाये और जाकर वहां के अकाउन्ट्स को ऑडिट करे कि जिससे सारी चीजों को ठीक ढंग से रेगुलराइज किया जा सके और वहां पर इस प्रकार की बातें न हों। तो इस संबन्ध में जो कार्यवाहियां हो सकती हैं उनको भी करने वाली बात थी वह की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत समिति के रिसोर्सेज के बारे में और खास तौर से पंचायतों के बारे में यहां पर काफी चर्चा आई। जैसा कि सब को विदित है और यहां यह सवाल उठाया गया कि भाखरा के क्षेत्र में जो १५ बीघा जमीन पंचायत समितियों को अपने रिसोर्सेज करने के लिए और एक तरह से इनकम रेज करने के लिए देने का तय किया था वह नहीं मिल रही है कुछ जगह और यों ही उसको नीलाम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमने स्पष्ट रूप से इसके आदेश दिये हैं और कहीं उसकी अवहेलना हुई हो तो उनकी जानकारी देने पर सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करेगी। आज हम आबादी लैण्ड, ग्रेजिंग लैण्ड और उसके साथ साथ जो छोटे तालाब हैं उनकी इनकम और उसके साथ साथ जैसा मैंने निवेदन किया कि १५ बीघा जमीन दी जाती है उससे इन चीजों से टैक्स के अलावा अगर पंचायत समितियां और पंचायतें अपनी आमदनी करना चाहें तो उनके पास इन साधनों से भी उपलब्ध करायें कि जिससे वह वहां अपनी इनकम को बढा सकती हैं। उसके अलावा टैक्सों के जरिये अगर इनकम बढाना चाहें तो उसके बारे में एतराज की बात नहीं आती।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो लैण्ड रेवेन्यू पर सैस के बारे में बजट के दौरान में प्रस्ताव रखा गया था और उसके ऊपर जो यह कहा गया कि पंचायत समितियों को टैक्स लगाने का अधिकार चालू रहेगा क्योंकि अब हमने इस टैक्स को रिवाइज करके १० एकड तक की जमीन को इससे निकाल दिया है। उसके पीछे बहुत बडा कारण यह था कि आज कई पंचायत समितियों के यहां पर ५ पर्सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर सैस लगा रखा है और वह सारी जमीन के ऊपर लगा रखा है अगर हम आज यह कहें कि वह एग्जेम्पट कर दें तो बहुत बडा फर्क पड जायेगा। जो उनकी एग्जिस्टिंग इनकम है उसमें काफी फाल हो जायेगा और गवर्नमेन्ट का जो असैसमेन्ट था वह तो सदन के समक्ष है ही। इसलिए उसको कन्टीन्यू करने की बात रखी है कि जिससे वह चालू रहे जिससे उनकी आमदनी में कोई अन्तर नहीं पडे और गवर्नमेन्ट के पास जितनी आमदनी रह गयी है उसमें से जो हमारी आवश्यकतायें हैं उसमें आगे गुंजाइस नहीं रहती। इसलिए इसमें शेयर करना सम्भव नहीं हो पाता।

मैं कहूंगा कि कई बार यह प्रश्न आता है कि पंचायतें और पंचायत समितियों का जो कार्यक्रम का क्षेत्र है, जो उनके साधन हैं उनके अन्दर और ज्यादा हम सहयोग दे सकें इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमने ग्राम सेवक को एक एक पंचायत के साथ जो जोडने का निर्णय किया उसके पीछे भी मुख्य कारण यही है कि एक एक ग्राम पंचायत के साथ अगर एक एक ग्राम सेवक को देते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आज एक पंचायत का और गांव का मुख्य काम जो कि आज पंचायत समितियों के द्वारा हम करना चाहते हैं, उद्देश्य मूलभूत यही था कि एक तरह से लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हो कि वह स्वयं अपने निर्माण के काम में लग रहे हैं तथा जनशक्ति के द्वारा और उनकी व्यवहारिक बुद्धि के द्वारा प्रत्येक काम में लग रहे हैं उसका उन्हें अवसर मिले

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
और उनके सामने एक योजना ठीक रूप से जो कार्यान्वित हो सकती है उसके लिए कहां कहां से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है चाहे वह कॉआपरेटिव हो, चाहे और क्षेत्रों के जरिये हो उसके लिए भी कोई मार्ग दर्शन करने के लिए उनके पास उपयुक्त व्यक्ति नहीं होता है तो उनके लिए दिक्कतें आती हैं।

आज स्पष्ट है कि राजस्थान में हजारों गांव ऐसे मिलेंगे कि जिन गांवों में प्रोडक्शन के और दूसरे लिहाज से गांव का खुद का प्रोडक्शन प्लान जिसको कहें उसको बनाने के लिए उपयुक्त गाइडेन्स का अभाव होता है। इसी दृष्टि से इस बात पर विचार किया जाये और जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। ऐसी पोस्ट थी कि अब तक के अनुभवों से मालुम हुआ कि बहुत लाभ नहीं हो पाता है उनको कम करके उसमें जो बचत की उस बचत से एक एक गांव में अगर ग्राम सेवक के स्तर का व्यक्ति देना पडता है तो गांव की पंचायत को अपने रिसोर्सेज को सैक्रेटरी या क्लर्क को रखकर खर्च करना पडता है उससे वह बच सकते हैं और साथ साथ एक योजना तैयार करके यदि सही व्यक्ति भी उनको मिल सकता है तो यह मूलभूत आधार रहा है, न नौकरशाही भरने का प्रश्न है, न दबाव डालने का प्रश्न है। आज साधारण प्रश्न यह है कि अब तक के अनुभव के आधार पर यह देखने में आया है कि जो गांवों में पंचायतें हैं और सारे देश के अन्दर राजस्थान के अन्दर हम जो मूल कार्यक्रम यह मानकर चलते हैं कि मुख्य कार्यक्रम यह होगा कि उनको प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाना चाहिए। एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी और कॉटेज इन्डस्ट्री सब का प्रोडक्शन प्रोग्राम होगा उसको बनाने के लिए कौन उसका गाइडेन्स दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है यह भी मुख्य बात होगी और फिर उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण जो गांवों के लोग हैं उनको मिल जाये उसके साथ तो वह ज्यादा आसानी के साथ चल सकते हैं, उसी भावना के साथ इस पर विचार किया गया था।

हम कोई दिल के अंदर इस बात के लिये उत्साहित या उत्सुक नहीं हैं कि कुछ व्यक्तियों को ग्राम सेवक के पद पर बैठा कर या ग्राम सेवक बना कर खर्च करें। यदि हम समझते हैं कि उनके द्वारा लाभ हो सकता है तो उस दिशा में जाने का प्रश्न आता है और यदि हम समझते हैं कि इस दिशा में जाने से लाभ नहीं है तो खर्च बढाने का प्रश्न नहीं होता। यह भी संभव हो सकता है कि पहले वर्ष में हम कुछ फैला कर चलें और अगले वर्ष में और ज्यादा बढावें, इस प्रकार की कल्पना लेकर चलते हैं, उसका लाभ मिले नहीं, मिले इसका सक्रिय स्वरूप निकले। जिन पंचायतों में ग्राम सेवक बढाये हैं उनका परिणाम क्या हुआ और जहां नहीं बढे हैं उनका परिणाम क्या हुआ। लेकिन इस जिम्मेदारी का मूल कारण यह था कि आज कई पंचायतें सैक्रेटरी के पीछे खर्चा करती हैं उस खर्च में कमी हो जायगी और ट्रेन्ड आदमी उनको मिल जायेंगे। इस सारी भूमिका से विचार किया है।

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान में सामुदायिक विकास का काम दो हिस्सों में बांट कर चला, कृषि प्रधान काम वाले हिस्सों में चला, एनिमल हस्बेन्ड्री, पशु धन को आगे बढाया जा सके इस ओर चला। एक्सटेन्शन ऑफिसर एक के बजाय दो करके एनिमल हस्बेन्ड्री को बढाया जाय। जहां पर एक एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं वहां एक और दिया जाय, जिससे इन्टेन्सिव तरीके से प्रोडक्शन के काम को ले सकें क्योंकि आगे जाकर

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

इनकी सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। आज के दिन गांवों में रहने वाले व्यक्ति कोऑपरेटिव को सभी जानते हैं। जो प्लान में रुपये हैं उनके अलावा यदि कोऑपरेटिव मूवमेन्ट हर फेमिली में पहुंचता है और सभी इसके मेम्बर बनते हैं, एम० सी० एल० और बढ जाता है तो प्लान के अलावा और रुपया गांव की इकोनोमी में डाला जा सकता है, जो फंड्स गांवों में आया है उसको भी बढाया जा सकता है। आज खादी संघ से लाखों बल्कि करोडों रुपये मिल सकते हैं। गांवों में इन योजनाओं को हाथ में लेकर आगे बढाने के लिये यदि हमारे सामने कार्यक्रम निश्चित हो तो लोगों को काम-काज दिया जा सकता है तो हमारा विकेन्द्रीकरण का आइडिया यह था कि यदि हम गांवों में इसको ले जाकर लोगों को सोचने, विचार करने और उसके बाद परिणाम पर पहुंचने का अवसर देते हैं तो सोच-विचार करनेके बाद वे लोग किस निश्चय पर पहुंचते ह।

उपाध्यक्षजी, यह देखने में आया है कि कई जगह लोग काफी उत्साह से कार्य कर रहे हैं। जो इवेल्युएशन की रिपोर्ट अभी सामने आई है यदि उसको पढें और पढने के बाद जो कमियें इसमें सामने आई हैं उनको ही लेकर एक दृष्टिकोण सोचने का बनावें और दुनियां के सामने उसको रखें तो बात अलग है लेकिन यदि सारी चीजें पढे तो मालूम होगा कि पब्लिक कोऑपरेशन और दूसरी चीजें आगे बढी हैं या नहीं। मैं समझता हूं काफी असर हुआ है, लोगों में भावनाएं पैदा हुई हैं। उसमें आज कोई यह समझ कर चले कि क्योंकि एक पेटर्न बदल गया है, हम यह समझें कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी हो गई इसलिये हमारी इकोनोमी इग्लैंड और अमेरिका जैसी हो गई तो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं हमारे यहां की जैसी कंडीशन्स हैं उनको सामने रखकर जो कुछ पहले था और आज है उससे हम अपने आपको जज कर सकें तो उचित रहेगा। केवल कंडीशन्स बदल जाने से ही नहीं हो सकता। आज गांवों का सवाल छोटा सवाल नहीं है, लाखों-करोडों आदमियों के जन कल्याण का सवाल है, स्वयं का विकास स्वयं को करना है। इसके लिये एक नया उत्साह आया, जागृति आई, काम-काज में लगे। सारी परिस्थितियों में गांवों में सब प्रकार के लोग हैं। काम सुधारने वाले भी हैं तथा कोऑपरेशन और सहयोग देने वाले भी हैं। हम में से ऐसे भी हैं जो पंचायत समितियों को सहयोग देकर बढा रहे हैं, कई रुकावट डालने वाले भी हैं। ये सारे प्रश्न आकर खडे होते हैं। इन सारी परिस्थितियों में से गुजर कर पंचायत समितियों के काम को आगे बढाना है।

मैं समझता हूं शायद आज जो चर्चा कर रहे थे उससे ऐसा लगता है कि हम समझते हैं कि पंचायत और पंचायत समितियों का कार्य शुरू हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार फैल गया है, गबन हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमियां हो सकती हैं, हुई होंगी। आज गवर्नमेन्ट का काम चलता है वहां भी प्रश्न उठते हैं; फलां स्टाफ में यह हो गया, इमारत में पानी चूने लगा, फलां तालाब टूट गया। तो सरकार, पंचायत और पंचायत समितियां जो आज काम कर रही हैं उनके बारे में यह समझ कर चले कि उन लोगों ने जो सिस्टम एडॉप्ट किया है वह सारा का सारा गड़बड़ कर दिया तो यह उचित बात नहीं होगी। मुझे मालुम है, सैकडों उदाहरण ऐसे हैं जहां गांव के लोगों ने स्कूलें बनाई, गांव के लोगों ने खुद खडे रह कर हाथ से काम करके, रुचि और दिलचस्पी लेकर काम किये, सस्ता काम करने में रुचि ली। ऐसा भी हो सकता है

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

कि कोई रुपये ले गये और पूरा काम में नहीं लगाया तो जो गलत काम करने वाला और दोषी है उसको सजा देने की बात हो सकती है, लेकिन जहां हजारों और लाखों व्यक्ति एक तरह के काम में लगे हों तो मैं समझता हूं उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

हमने राजस्थान में एक काम शुरू किया, उसके बाद हम जानते हैं कि हमने कुछ अधिक नहीं किया, हिन्दुस्तान में बहुत बडी बात जिसके लिये हम उत्साहित होकर यह कहें कि चमत्कार करके दिखाना है। सच्ची बात तो यह है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी उसके बाद एक तरह का विचार चला। कहीं इसके बारे में झिझक थी, कहीं शंका थी। राजस्थान ने इससे पहल की। हम आगे बढे और मैं निश्चित तौर से उन व्यक्तियों में, उन मानने वालों में हूं कि हमने जो कुछ किया वह ठीक किया। यदि हमें करना है तो एक कदम आगे जाना चाहिये, पीछे नहीं।

जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि चुने हुए १७६ व्यक्ति राजस्थान का काम चलावें तो गांव के चुने हुए व्यक्ति गांव का भी काम चलावें, यह मानकर चलना होगा। मूल में जनतंत्र प्रणाली में विश्वास का प्रश्न है। कमियां और गलतियां सामने आयेंगी। एक बार गलती करने वाला दुबारा नहीं आवेगा, दूसरे आकर काम करेंगे। लेकिन जो मूल पंचायत और पंचायत समिति और पंचायत राज्य का आधार है वह गलत नहीं है।

इसमें एक प्रश्न उठाया कि बी० डी० ओ० की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह पर क्लर्क रख दीजिये। किसी ने कहा एक्सटेन्शन ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आज वहां पर चुने हुए व्यक्ति हैं उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एडवाइस के लिये दूसरे व्यक्तियों का साथ रहना, एक दूसरे के बीच समन्वय और सहयोग होना अत्यन्त आवश्यक बात है। कई जगह दुर्भाग्य से बी० डी० ओ० और प्रधान में नहीं बनती है, जिसके बहुत कम उदाहरण हैं। मैं यह नहीं जानता कि जहां झगडे हैं वहां काम में शिथिलता आई है, लेकिन जहां मिल कर उत्साह से काम करते हैं वहां सफलता प्राप्त होती है।

मैं समझता हूं, इन सारे कार्यक्रमों में यह वर्ष निकला है। यह वर्ष ऐसा था कि जिसमें कई प्रकार के उथल-पुथल के बीच सारे देश को निकलना पडा है, वहां पंचायत समितियों को भी निकलना पडा है। यह भी सही है कि जितने साधन पंचायत समितियों को देने थे उसके मुकाबले में जो नीति स्टेट सरकार की होती हैं उसका असर पंचायतों पर भी होता है जिसका अंतर सभी जगह आया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो वहां पर लोग हैं वे अपने दिमाग में इस बात को रख कर चलें कि पंचायत समितियों का कार्यक्रम केवल अनुदान बांटने का ही नहीं है, जो वहां जनशक्ति है, मतलब यह कि एक एक व्यक्ति है उसके लिये धन का इतना प्रश्न नहीं है लेकिन विचारों में परिवर्तन का प्रश्न है। विचार परिवर्तन के जरिये हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि एक न एक समय आना चाहिये जब सहकारी समितियों के बीच में और पंचायत समितियों के बीच में इतना सहयोग हो कि पंचायत यह समझे कि सहकारी समितियां ज्यादा से ज्यादा पनपे गांव के खुद के काम काज होते हैं उनकी वजह से उन्हें प्रोफिट्स का सर्टेन शेअर गांव के विकास के लिए वापिस मिले।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
इस प्रकार गांवों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग, वेज एण्ड मीन्स के, रिसोर्सेज के लिहाज से मिल कर एक दूसरे के पूरक बन सकें और पूरक बन कर काम चलाए इसलिए मैं कहा करता हूं कि पंचायत और सहकारी संस्था के बीच में सहयोग होना चाहिए। तो यह मान कर चलें कि पंचायत एक पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन है और सहकारी संस्था एक बाहर की इन्स्टीट्यूशन है, आर्थिक योजना के आधार पर बनी हुई। तो ये सब जितनी बातें हैं, एक मायने में ठीक है, लीगल सेन्स में ठीक है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और दूसरी आर्थिक यूनिट है। इसके साथ साथ ये एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे के साथ मिल कर उस काम को ठीक तरह से करें तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। बाकी आज के दिन ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि पंचायत सहकारिता का विरोध करे और सहकारी संस्था पंचायत का विरोध करे तो उससे विरोधाभाव पैदा हो सकता है, लेकिन विकास क्रम आगे नहीं बढ सकता। इसलिए कोऑप्शन की बात हो, जिससे एक के व्यक्ति अन्य संस्था में जाकर मेम्बर बनें, और फुलफ्लेज्ड मेम्बर बनें, कोऑप्टेड मेम्बर बनें, एक्स ऑफिशियो मेम्बर या एसोसियेटेड मेम्बर के तौर पर एक दूसरे की संस्थाओं के अन्दर जाकर एक दूसरे के विचारों पर इम्पेक्ट डालें और संस्थाओं के विकास के कार्य करें, यह कल्पना करके हम चलना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में कहा गया कि बी० एल० डब्ल्यूज व दूसरे कर्मचारी हैं, वे जीप व दूसरी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं और बहुत सा वेस्टेज होता है। हम चाहते हैं कि खर्च कम हो, जितना ज्यादा से ज्यादा कम हो, यह बहुत अच्छा है। प्रधान और दूसरे व्यक्तियों का खर्चा कम हो, यह बहुत अच्छा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पंचायत समिति के अन्दर हर एम० एल० ए० पंचायत समिति का मेम्बर है। वे वहां पर इस दृष्टिकोण को रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सौभाग्यवश यहां जो उपस्थित जितने माननीय सदस्य हैं, वे इस बात को मानते हैं कि पंचायत समिति के काम को ठीक करना है तो उनको अपने अपने क्षेत्र में अवसर मिला है, जहां वे उन बातों को कह सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। अगर पंचायत समितियां गलती कर रही हैं तो वे अपने प्रभाव को काम में लाकर उन्हें ठीक मार्ग पर ला सकते हैं। इसके अन्दर कोई रुकावट नहीं है....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : आपका कोई On a point of order,...

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन कर दूं अगर कोई हममें से यह समझे कि क्योंकि वे चुने हुए होते हैं और हम चुने हुए सदस्य हैं इसलिए हमें यह अधिकार हो कि हम उन्हें दबोचें जाकर, तो वह यहां से तय नहीं कर सकते। वे चुने हुए व्यक्ति हैं, उनका क्षेत्र निर्धारित है। उन्हें राय देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो चर्चा करें, उसका ओवर आल इम्पेक्ट से ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, जैसे उन व्यक्तियों या उन संस्थाओं के विरोध के अन्दर है। यहां इस प्रकार की सारी की सारी बातें आती हैं, वे एक प्रकार से ठीक नहीं होती। यह इस विधान सभा का खड़ा किया हुआ संगठन है। जो वे काम करते हैं, हो सकता है कि कुछ जगह कमी हो और बातें हों, उसको ठीक करने के बारे में हम समय समय पर विचार

Page No 118

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
करते रहते हैं। आज इस सदन के अन्दर मैं तो यह उम्मीद करके चला था कि ज्यादातर अपने वर्किंग से, जो विधान सभा इन संस्थाओं का निर्माण करने वाली है, इसमें बडे बडे उद्देश्य के प्रश्न आयेंगे कि यह पंचायत राज्य खडा किया है इसकी क्या दिशा हो, हम क्या करें। ज्यादातर ऐसे प्रश्न आये कि फलां जगह माल खरीदने में गडबडी कर दी, टी० ए० में गडबडी कर दी, सरपंच ने गड़बडी कर दी, उस सरपंच का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। इन सब चीजों के बारे में जो बातें ठीक होगी और · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी शिकायत की जाय। आप यह समझते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह सर्वोपरि है, वह सर्वोत्तम है और शिकायत और आलोचना बिल्कुल हो नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन कर दूं कि उन शिकायतों से मुझे एतराज बिल्कुल नहीं है। जो शिकायतें समय समय पर व्यक्तिगत तौर पर की गई हैं या लिखी गई हैं, उन पर कार्यवाही की गई है, और की जायगी यह विश्वास दिला सकता हूं। सदन के सारे समय में गवर्नमेन्ट को एक सुझाव दिया · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : आप हाजिर नहीं थे, मैंने सुझाव दिये थे दो-तीन। आप बेमतलब की बात कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरी बात तो मुझे कह लेने दीजिये · · ·

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सुझावों के पहले मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सेन्टर से एक कमेटी आई थी, उसने सारे राजस्थान में भ्रमण किया था, और पंचायत समितियों की इन्क्वायरी की गई कि क्या करना है और किस प्रकार उनमें सुधार करना है। उसके बाद में क्या कोई सरकार के पास उसके सुझाव आये ? उन्होंने पंचायत समिति के सामने यह कमिट किया था कि गवर्नमेन्ट के सामने ये सारी बातें रख देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सुझाव या रिपोर्ट सरकार के सामने उस कमेटी की आई ? जो सेन्टर की तरफ से आई थी और जिसने राजस्थान का भ्रमण किया था और उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: सेन्टर के जो सुझाव समय समय पर आते हैं उन पर हम विचार करते रहते हैं और विचार किया जायगा।

साथ साथ मैं निवेदन करदूं, एक माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि राजस्थान के अन्दर जिस कमेटी के निर्माण करने की घोषणा पिछली बार की गई थी, उसका क्या हुआ ? तो शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस कमेटी का सारी चीजों पर विचार करने के लिये श्री सादिक अली, एम. पी. की अध्यक्षता में निर्माण किया गया था लेकिन अभी बीच में इस एमरजेन्सी के मौके पर और कमेटीज के काम स्थगित कर दिये गये, उसी प्रकार इसको भी स्थगित कर दिया गया। उसका काम वापिस आगे चल कर जब इसके संबंध में रिपोर्ट आयेगी, तो उस पर आगे विचार करके जो कुछ हो सकता है, वह कार्यवाही की जायगी।

चाकसू के बारे में, दुर्गापुरा की जमीन के अलॉटमेन्ट के बारे में और दूसरी जगह के जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैं तत्काल तो कुछ नहीं कह सकता,

Page No 119

(श्री मोहनलाल सुखाडियां)

किन्तु मैं इतना कह कर चल सकता हूं कि जो प्रश्न इसके संबंध में उठाये गये हैं, उनके बारे में जानकारी करके जो उचित कार्यवाही हो सकती है वह की जायगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं साथ ही साथ यह निवेदन कर दूं कि एक माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव रखा गया था कि बस सर्विस चलाने के लिये अगर पंचायतों को अधिकार दिया जाय तो उससे इनकम बढ सकती है और उस इनकम से लाभ हो सकता है, पंचायत के रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। तो बसों के संबंध में निवेदन है कि पंचायत से पंचायत और कई दूसरे क्षेत्रों में बस जाया करती हैं, एक पंचायत क्षेत्र से दूसरी पंचायत क्षेत्र के अन्दर तक सीमित नहीं रहने वाली हैं। इसलिये यह संभव नहीं है। हमने जो दूसरे मीन्स बतायें हैं उनको वे ले सकते हैं।

आर. ए. एस. स्कूल के संबंध में एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वह ट्रेनिंग विचार-धाराओं की द्रष्टि से उपयुक्त नहीं दी जाती। कोट पैन्ट वगैरह····

श्री रामकिशन (बैर): कोट पैन्ट के अलावा और कहा था। आप विकृत रूप जल्दी ले लेते हैं। कोट पैन्ट की बात तो है, लेकिन विचारधारा····

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप एक बात सुन खडे हो गये, मैंने पूरी बात कहां कही है····

श्री रामकिशन: आप विकृत रूप को लेने में अभ्यस्त हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: आपने कहा था या नहीं?

श्री रामकिशन: कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मुझे पता नहीं वह आपने क्या समझ कर कहा था? मेरा तात्पर्य यह है कि आर.ए.एस. का सिलेबस है, जो रात-दिन उनके कामों में चीजें आती हैं, उनके लिहाज से सिलेबस बना कर राजस्थान के अन्दर लागू किया गया है। मैं नहीं समझता कि इसके संबंध में जैसा यहां पर कहा गया है, उससे सिलेबस में क्या परिवर्तन हो, किस परिवर्तन की हम आशा करते हैं? यह बात निश्चित है कि हम किसी आइडियोलोजी के अन्दर के डाइरेक्टिव्स को अपनाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से क्या यूटीलिटी है, क्या नहीं है, उन बातों को सिलेबस में रख कर उन चीजों की जानकारी व अध्ययन करवाया जाता है।

श्री रामकिशन: समाजवाद की जानकारी तो उनको होनी चाहिये····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): समाजवाद सिखाया या नहीं?

श्री रामकिशन: समाजवाद सिखायें, यह नहीं; लेकिन समाजवाद की आर्थिक नीति क्या होगी, सामाजिक नीति क्या होगी, यह जानकारी होनी चाहिये। मैं नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी विचारधारा सिखायें, लेकिन इतनी सूचना होनी चाहिये कि समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक नीति क्या हैं, उसे ग्रहण करे, यह जरूरी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: नीति कौनसी? नीतियां अलग अलग हैं। उन सब नीतियों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार पार.

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
ए. एस. के लोगों को समाजवादी नीति के बारे में या किसी पर्टिक्यूलर नीति के बारे में ट्रेनिंग दे · · ·

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: वह जरूरी नहीं है और मैं समझता हूं कि वह हो भी नहीं सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा · · ·

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! सदन का समय समाप्त हो रहा है, क्या सदन की मन्शा है कि जब तक मांग पास न हो जाय, तब तक समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक मांग पास नहीं होती बढ़ाया जाता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि समाजवाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या उनको इस समाजवाद का ज्ञान नहीं कराया जाता है, मैं ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समाजवाद को हिन्दुस्तान की संसद ने स्वीकार किया है, समाजवाद नेशन का ऑब्जेक्टिव बनना चाहिये, और नेशन के ऑब्जेक्टिव को सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): कान्स्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव नहीं हो, तब तक नहीं हो सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: नहीं भी हो तो भी पार्लियामेन्ट ने पास किया है, नेशन का ऑब्जेक्टिव है सोशियलिज्म, इसलिये आर. ए. एस. के लोगों को जानकारी होनी चाहिये कि समाजवाद क्या है ।

अगर सिलेबस में नहीं है तो एज ए राइट इसको सिलेबस में कराया जावे · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): जो पार्लियामेंट इश्यू करती है वह · · ·

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please; order please!!

श्री भैरोंसिंह: प्रजासमाजवादी कौनसा समाजवाद बतावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पोइन्ट ओफ एक्सप्लेनेशन पर कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: बहुत सी जगह प्रशासन के फैल होने का कारण यह है कि प्रशासन अधिकारी हमारे ओब्जेक्टिव्ज को नहीं समझता है । इसलिए वे इस पर विचार करें । स्वतन्त्र पार्टी हमेशा आपके साथ चलेगी इसको मान कर चलना चाहिये । सोशियल पार्टी हमेशा इसकी खिलाफत करेगी ।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please; order!!

श्री मोहनलाल सुखाडिया: स्वतन्त्र पार्टी का दृष्टिकोण हमारे साथ मिल जाता है । मैं ऐसा समझता हूं कि कभी उनका

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

दृष्टोकोण उधर न मिल जावे । हम लोग यह बात तो निश्चित तौर से मान कर चलते हैं कि जहां तक सर्विसेज का सवाल है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस ट्रेनिंग के बाद यह बात उपयुक्त नहीं होगी । उनको ज्ञान की वृद्धि करा कर गांवों की जानकारी करा कर भेजते हैं । अगर कल समाजवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो यह प्रश्न आवेगा कि कौनसी किताब समाजवाद के लिये होगी, जिससे उनको ट्रेनिंग दी जावेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर): आप आर० ए० एस० को बी० डी० ओ० बना कर भेजते हैं, वे गांवों के रहने वालों के दिमाग को समझते नहीं । हम चाहते हैं कि उनको गांवों में रहने वालों के दिमाग को समझने का ज्ञान प्रारम्भ में ही दे दिया जावे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: उनको सारी बातों की, और उनके क्या कर्तव्य हैं उन सबकी जानकारी दी जाती है ।

माननीय उपाध्यक्ष, हमारे बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ट्राइब्ल ब्लॉक्स वहां पर नहीं खोले गये और दूसरी जगह खोल दिये गये । मैं यह निवेदन करूं कि पीपलवाड़ा में नहीं खोला गया और उसके बजाय दूसरे स्थानों पर तीन खोल दिये गये । एक पहले से था । इस तरह कुल मिला कर ५ हो गये । उसमें से दो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और एक उदयपुर में हैं । इसलिए बांसवाडा में पूरा ध्यान रख कर चला जाता है । अब वे यह चाहते हैं कि सब उन्हीं की जगह खोल दिये जावें । मगर काम के लिहाज से ठीक करने की कोशिश की है······

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): आबादी के अंदाज से खोले गये हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: जहां खोले गये हैं वे बिल्कुल कायदे कानून से, आबादी के आधार से खोले गये हैं ।

हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने जो फौज के सिपाहियों के बारे में जो प्रावधान किया है उसमें और वृद्धि की आवश्यकता है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो रीलीफ देने की नीति अख्त्यार की है उसमें जितना रीलीफ दे सकते हैं देने की कोशिश की है और भी अगर करने की जरूरत होगी तो उसके लिये प्रबन्ध किया जावेगा और उसके लिये आवश्यकता होगी तो सप्लीमेंट्री डिमान्ड के लिये आ जावेंगे । लेकिन यह कहना कि यह रकम कम रखी गई हो ऐसी बात नहीं है ।

गेम्स एन्ड स्पोर्टस की जितनी हमारे पास राजस्थान में देन है और हमारे पास जो साधन हैं उनको देखते हुए माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने उनको सहायता दी है । अलग अलग स्थानों को जितनी मात्रा में सहयोग दे सकते हैं उतनी मात्रा में नहीं दे पाये लेकिन फिर भी काफी प्रगति की गई है और हमारे यहां के बहुत से खिलाडी भारतवर्ष में जाकर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने लगे हैं । कुछ इन्टरनेशनल डेवलपमेंट भी हमारे यहां राजस्थान में होने लगा है । बहुत से माननीय सदस्यों को इसमें रुचि है । अगर आप मदद देंगे तो साधन बढ़ा सकते हैं । यह तो आपकी मदद पर निर्भर है । जितनी आप मदद देते जावेंगे हम करते जावेंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) मैंने कहा कि भरतपुर एसोशियेशन को खर्चा नहीं मिला।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आपने यह कहा था कि हमनें बहुत बिल बतायें हैं।

श्री रामकिशन: ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मोहनलाल सुखाडिया : बहुत से प्रश्न आये उसमें मैंने.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खेलकूद का आइटम भी आपके पाले पड़ा है ?

श्री रामकिशन : किसी नौजवान को देते।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय उपाध्यक्ष, एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि पंचायत समिति में जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में पंचायत समिति जुलाई के महीने में एप्लीकेशन्स कॉल करती है और टेम्परेरी एपोइन्टमेन्ट करती है और उसके बाद उनका सिलेक्शन का जो तरीका है और मशीनरी है उसमें उनको एपोइन्ट करने में देरी हो जाती है और देरी होने से स्कूलों में डिसलोकेशन होता है। मैं समझता हूं कि जुलाई में टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट करने का कारण यह है कि परीक्षा के रिजल्ट मई और जून के बाद में निकलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन्स लेकर फैसला करते हैं। इसलिये यह दिक्कत पैदा होती है। यह इसलिए है कि जितने अच्छे व्यक्ति इसमें आ सकें अच्छा हो। रहा सवाल यह कि दूसरे जिलों से अध्यापकों को भेजा जाता है और वे वहां रहते नहीं। इसके लिये यह बात है कि यह सिलेक्शन तो कम्पीटिशन से होता है और अच्छे क्वालिफाइड व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है और उन्हीं लोगों को स्थान मिलता है। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति है कि कुछ जिलों में ज्यादा टीचर्स उपलब्ध हो सकते हैं और दूसरे जिलों में नहीं हो पाते। इसलिये वहां पर दूसरे जिले के लोगों को भेजना पड़ता है। इसलिये यह प्रश्न पैदा होता है कि अलवर और भरतपुर के टीचर्स दूसरी जगह के पाये गये। मैं समझता हूं कि आगे जो दिक्कत होगी उसको हल करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : तनख्वाह और प्रोमोशन के बारे में क्यों भेद-भाव होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैं निवेदन कर रहा हूं। पहले कहा गया और अब भी कहना चाहता हूं कि इसके लिये आदेश निर्धारित किये गये हैं कि चाहे वह पंचायत का टीचर हो, चाहे सरकार का हो उनमें कोई भेदभाव नहीं बरता जावे और मैं समझता हूं कि दोनों में समान कार्यवाही की जा रही है और कमियें होगी उसकी सारी चीजों को कार्यान्वित किया जावेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने बी० डी० ओ० के लिखे हुए किसी पत्र का जिक्र किया। उसके बारे में मैं यहां तो कोई राय नहीं दे सकता हूं कि उस टीचर ने किसको ओब्लाइज करना था, इधर को या उधर को, मैं नहीं कह सकता। सिवाय

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
इसके कि इस पत्र की जांच की जावे और उसकी जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सदस्यों ने जो कट मोशन रखे हैं, मैं आशा करता हूं कि वे उनको वापिस ले लेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : पंचायत समिति के अन्दर जो शिक्षा का कार्य चल रहा है····

(राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

मैं कहूंगा नहीं, कितनी ही तालियां बजायें, मैं बैठूंगा नहीं, जो मुझे कहना है, कह कर बैठूंगा ।

पंचायत समितिमों के अन्तर्गत जो शिक्षा कार्य चल रहा है वहां ८०-९० छात्रों के लिये एक अध्यापक नियुक्त होता है तो क्या एक अध्यापक इतने छात्रों को शिक्षण दे सकता है ? उदाहरण के रूप में मैं रखूं, पाटन पंचायत समिति में ऐसी स्थिति है, उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे खयाल से बहुत स्पष्टीकरण हो गया है·····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक बात और है····

श्री उपाध्यक्ष : और कोई बात रह जाय तो प्रश्नों से पूछ सकते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक ही बात जानना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जुलाई में रिजल्ट देर से निकलता है इसलिये जुलाई में अपोइन्टमेंन्ट किये जाते हैं, पर जो लोग ट्रेनिंग में चले जाते हैं उनका अपोइन्टमेन्ट जुलाई के बाद में क्यों करते हैं, उनका अपोइन्टमेन्ट तो जुलाई से पहले कर सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसमें यदि विलम्ब होता है तो इसको ठीक किया जाना चाहिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, तीन तीन महिने तक उनको अपोइन्टमेन्ट नहीं मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर हो चुका ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक प्रश्न और····

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार तो प्रश्नों का तारतम्य नहीं रहेगा ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कहा गया कि उपदेश की बात नहीं रखी जा रही है । मैंने एक अहम प्रश्न रखा था, पहले भी रखा था उस समय भी जबाब नहीं दिया और इस बार भी उसका कोई जबाब नहीं दिया, साफ टाल गये । मैंने कहा था कि पंचायतों की, पंचायत समितियों की ताकत को बढाना तो दूर रहा, आप धीरे धीरे उनकी ताकत को और कम कर रहे हैं । पंचायत समितियों में सदस्यों को अधिकार था जानकारी प्राप्त करने का, उस पर मुख्य मंत्रीजी एक दम चुप लगा गये, इस तरह डरते क्यों हैं ? आप हिम्मत के साथ कहिये कि हम पंचायत समितियों की हिम्मत बढाना चाहते हैं, उनकी शक्ति बढाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे जो कुछ कहना था, सब कुछ कह चुका, पूरा स्पष्टीकरण हो गया, सब जवाब हो गया, आप चाहें कि जो आप कहें वही मैं कहूं, इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री नत्थीसिंह : आपने पंचायत समितियों के अधिकारों को वापिस लिया है, इसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! स्पष्टीकरण काफी हो चुका है। और भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्रश्नों से कर सकते हैं। सदन की व्यवस्था रखना आपके हाथ में है।

श्री विजयसिंह झाला : आधा मिनट लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आधे मिनट से कई मिनट हो जाते हैं माननीय सदस्य !

मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ पर जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उन्हें मेरे खयाल से वापिस लेना पसन्द करेंगे क्योंकि मेरे खयाल से सारा स्पष्टीकरण हो चुका है।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा आवाज, "नहीं करेंगे")

मैं एक एक मांग संख्या को वोट पर रखता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : इससे तो अच्छा यह है कि एक-दो प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !! जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं वे खडे हो जायें।

(राज्यपक्ष के कटौती प्रस्तावों के प्रस्तावक खड़े हो गये)

कृपया आसन ग्रहण करें।

जो अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं सदन की अनुमति है कि वापिस लिये समझे जायं।

(स्वीकृति)

वापिस लिये समझे गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७१,५३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला : 'ना' पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हमारे कट मोशन्स का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वोट होने के बाद अपने आप विघटन हो जायगा। मैं प्रश्न दुबारा करता हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ स्वीकार की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: You want decision

हां पक्ष जीता। मांग संख्या २२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३५

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१--विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५२,७१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

सदन की कर्यवाही कल ११ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५.१८ बजे दिनांक २० मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार,१९ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्तम्भ		स्तम्भ
जयपुर में पानी की समस्या ।	३३४३	सड़क निर्माण-जिला बाड़मेर ।	
नाले को बांधने की योजना ।		पुलिस विभाग का उड़न दस्ता ।	
ग्राम पंचायत घाटला, तहसील अलवर में भघेरों का उत्पात ।		सिंचाई विभाग के ओवर-सियरों की पदोन्नति ।	
कृष्णा मिल्स ब्यावर के मैनेजमेंट के विरुद्ध शिकायतें ।		आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर ।	
रोगियों की शिकायत—अनुसंधानशाला, उदयपुर ।		स्टेट रोडवेज की बसों के ठहरने के डिपोज ।	
'महिला, शिशु और गांव' नामक पुस्तिका की छपाई पर खर्चा ।		जयपुर-नीम का थाना बस सर्विस ।	
देवली में लाठी चार्ज ।		मडाना व कनवास रेन्ज द्वारा घास के लिये रिजर्व भूमि ।	
बांस के ठेके, श्रमिक समिति उदयगढ, वसुनी ।		तबादला ।	
कृषकों को असुविधा तहसील सांगोद ।		भिखारी गृह ।	
रोडवेज की गाडियों में शिकायत पुस्तिकायें ।		डिप्टी लेबर कमिश्नर व असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर ।	
माण्डलगढ-लाडपुरा सड़क निर्माण कार्य ।		सालेरा कलां (तहसील मावली) में पुराना तालाब ।	
ब्यावर बिलाडा रूट पर नई गाडियां ।		सन् १९६२ में डकैतियां ।	
राजकीय मुद्रणालयों की मशीनें		ग्राम उमरेह, तहसील बाडी में सिंचाई के पानी की कमी	
राजस्थान में विद्युत् क्षमता ।		सराड़ा-पलोदड़ा सड़क ।	
श्री महावीर-मऊ इब्राहीम सड़क योजना ।		गंग नहर में पानी ।	
दौसा म्युनिसिपल एरिया के मोहल्लों को बिजली ।		बांकरी बांध-जिला जालोर ।	
ग्राम चिचाना में पुलिया की मरम्मत ।		बांसवाड़ा-रतलाम सड़क में आई भूमिका मुआवजा ।	
ग्राम दडीबा की बिजली तहसील सुजानगढ ।		राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा की गई खरीद ।	
जिला जालोर में विभिन्न प्रकार के अपराध ।			

स्थगित-प्रश्न

(६-३-६३)

अजमेर जिले की इमारतों में दोषपूर्ण कार्य ।

संक्षिप्त विवरण स्तम्भ

विशेषाधिकार प्रश्न ३२१०

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदस्य विधान सभा, ने वित्त मंत्री द्वारा दिनांक ८ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत किये गये अनुमानित आय और व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में नये कर-प्रस्तावों से होने वाली अलग अलग आय की जानकारी सदन को नहीं देने से संबंधित एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी, जिसे सदन में उठाये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी : सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ ने समिति के तीसरे प्रतिवेदन का जो स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में है, उपस्थापन किया ।

सदन की मेज पर रखा गया प्रतिवेदन

श्री भीखा भाई : समाज कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की नवीं रिपोर्ट १९५९-६० (प्रथम व द्वितीय भाग) सदन की मेज पर रखी ।

याचिका का उपस्थापन

श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा, ने भरतपुर जिले में टूटे हुए बांधों की मरम्मत के लिये विशेष अनुदान संबंधी एक याचिका का उपस्थापन किया ।

विधायी कार्य पुरःस्थापित किये ३२१० गये विधेयक स्तम्भ ३२१३

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ (The Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 1963

(अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया ।)

(२) राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ (The Rajasthan Entertainments Tax (Amendment) Bill, 1963

आय-व्ययक, १९६३-६४

द्वितीय अवस्था—अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय निकाय विकास निर्माण कार्य ।

(२) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१—विविध

उपरोक्त मांगें क्रमशः श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई ।

उपरोक्त मांगों पर कुल ६६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

Page No 128

सरकार की ओर से श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री तथा श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् मांगे सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ५ बज कर १८ मिनट पर बुधवार, दिनांक २० मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, २० मार्च, १९६३ की कार्य सूची

(१) मांग संख्या १६–चिकित्सा।

(२) मांग संख्या १७–जन-स्वास्थ्य।

(३) मांग संख्या ४०–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।

परिशिष्ट १.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५७, का, उत्तर देखिये)।

List of works proposed to be taken during the III Five Year Plan in Barmer District.

(1) Gravelled road from Ranasar to Gadra Railway Station.
(2) Gravelling of remaining miles of Sindri, Chitalwana Road.
(3) G/R from Balotra to Padru.
(4) G/R from Siwana to Samdari.
(5) Up-grading & B/T of Barmer, Sheo Road.
(6) Bitumen treatment of Barmer to Chottan.

परिशिष्ट २.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६१ का उत्तर देखिये)

Booking Offices of Rajasthan State Roadways on various Stations.

1.	Alwar	.. Rajasthan State Roadways Shed.
2.	Thanagazi	.. Rs. 15/- per month.
3.	Shahpura	.. Rs. 25/- per month.
4.	Bharatpur	.. Rs. 20/- per month.
5.	Mahuwa	.. Rs. 15/- per month.
6.	Dausa	.. Rs. 15/- per month.
7.	Kanota	.. No building taken on hire so far.
8.	Jaipur	.. Rajasthan State Roadways building.
9.	Dudu	.. On P.W.D. Rent.
10.	Kishangarh	.. Rs. 30/- per month.
11.	Ajmer	.. Rs. 62/- per month.
12.	Niwai	.. On P.W.D. Rent.
13.	Tonk	.. Rent not yet fixed with Municipal Board.
14.	Kotah	.. Rs. 75/- per month Station Supdt's Office.
15.	Bundi	.. Rs. 10/- per month.
16.	Deoli	.. Rs. 30/- per month.
17.	Kekri	.. Free.
18.	Nasirabad	.. Rs. 20/- per month.
19.	Bilara	.. Rs. 30/- on P.W.D. Rent.
20.	Beawar	.. Cabin Booking Office.
21.	Jaitaran	.. Information awaited from Depot. Manager, Ajmer.
22.	Jodhpur	.. Rs. 874/- per month.
23.	Sirohi	.. Govt. building.
24.	Abu Road	.. Rent not yet fixed by Western Railway whose building has been taken out.
25.	Ambaji	.. Rs. 20/- per month.

परिशिष्ट ३.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

Item No. 20 Cloth Oil Wax Black Superior 54 × 56".

S.No.	T. No.	Rate per Yard.
I	94	Rs. 2.37 n.p.
II	72	Rs. 3.51 n.p. Three Colour.
III	31 (1)	Rs. 3.75 n.p. Further particulars as per No. 9975/60 F.O.R. Bombay No. Sales-tax
IV	11 (A)	Rs. 3.81 n.p. Cloth Oil Wax 47/48.
V	95 (B)	Rs. 3.99 n.p. 48 Plus 50.
VI	1	Rs. 4.00 n.p. 48"—50" 12 yards.
VII	28 (B)	Rs. 4.23 n.p. 50" wide as per Sample B.
VIII	43A	Rs. 4.29 n.p. per metre 125 CMS× 10 (F.O.R). Bombay No. Sales Tax.
IX	71A	Rs. 4.31 n.p.
X	105A	Rs. 4.41 n.p. Bhar, Tange.
XI A	11 (B)	Rs. 4.40 n.p. Cloth Oil wax 54".
XI B	95A	Rs. 4.49 n.p. 48 50
XII	27	Rs. 4.73 n.p. width 50 to 54.
XIII	22 (B)	Rs. 4.74 n.p. (as per sample B).
XIV	43 B	Rs. 4.77 n.p. per metre (F.O.R. Bombay Sales Tax).
XV A	31 B (2)	Rs. 4.85 per metre (F.O.R. Bombay no Sales Tax).
XV B	71 (B)	Rs. 4.85 n.p.
XVI	102	Rs. 4.87 n.p.
XVII	105 (B)	Rs. 4.89 n.p. Bhor Drill.

Proceedings of the Stationery Purchase Committee held on 12th March, 1961.

Present

1. Shri K.V. Shankaran, I.A.S., Deputy Secretary Finance.
2. Shri U.S. Menon, R.S.S., Deputy Secretary Home.
3. Shri D.V. Shivahare, Director, Printing & Stationery.

Item No. 20.—**Cloth Oil Wax Black Superior 54/56" (Table Cover).**

Tender No. 94, 72, 31 (1), 11 (4), 95 (b), 43 (a), 71 (a), 105 (a), 11 (b), 95 (2), 27, 43 (b), 31 (2), 71 (b), 102 are either of very poor quality or of smaller size than the specification hence not approved. Tender No. 73 has not sent the sample. The next Tender is that of Tenderer No. 105 M/s. Rajasthan Stationery Stores, Jaipur at Rs. 4.89 n.p. per yd. (inclusive of 1% C.S.T.) of M/s Bhore Industries, Bhore Drill Lion according to his sample (b) and is approved. The cost of the approved sample will not be paid for.

1. Sd/-
2. Sd/-
3. Sd/-

Copy of Proceedings of Stationery Purchase Committee held on 9-10-61, from 3-30 p.m. to 6.15 p.m. The following members were present

1. Shri Goverdhansingh, Secy., P.W.D.
2. Shri K.S. Ujwal, S.P.O.
3. Shri Indra Raj, Asstt. Secy. Home (D).
4. Shri D.V.Shivahare, Director Ptg. & Sty.

परिशिष्ट

Oil Cloth.

The order for the purchase of Cloth Oil Wax Sup. 54/56" of Bhor Industry Bhor Drill Lion as per sample (B) @4.89 n.P. per yd. was placed with M/s. Raj. Sty. Stores Jaipur on 27-7-61. The intimation of this article was conveyed to the firm on 7-4-61 *i.e.* within time of 4 months. The letter No. R.S.S./61-62/GTD/ 28-9-51 received from the firm was placed before the Committee. The firm vide his letter dated 15-7-61 submitted a subsequent piece of oil cloth wax of 54/56" which was approved on 14-8-61 and the party was intimated by our letter No. 16065/Sty./F-64/61-62 dated 22-8-61. The firm vide his letter No. RSS/61-62/Tend/105 dated 18-8-61 which was received in the past on 22-8-61 informed that the Mill had informed them that the maximum width of oil cloth manufactured by them is 50/52" and it was not possible for them to supply 54/56", and as such they may be allowed to supply 50/52" width oil cloth wax.

By the action of the party is getting sample approved of 54/56" in the original tender as well as in the subsequent sample creates some doubt that it may be possible that rates of similar width of cloth may be much cheaper than the all asked for and approved under the present circumstances there is no other alternative except that the oil cloth wax of 50/52" width be accepted but the proportionate price should be deducted and suitable penalty be imposed by the Director Ptg. and Stationery.

1. Sd/-　　2. Sd/-

3. Sd/-　　4. Sd/-

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

परिशिष्ट (४)

जयपुर नीम-का-थाना बस सर्विस

४६२. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से पहले सीधी बस सर्विस गाड़ी नीम–का–थाना चलती थी और अब कुछ दिनों से सीधी गाड़ी चलना बन्द हो गया है और इससे जनता को भारी परेशानी है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पहले किराया दो रुपये पच्चीस नये पैसे लगते थे और अब चार रुपये पांच नये पैसे लगते हैं ?

(३) क्या इस असुविधा को दूर करने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कब तक शुरू होगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, २६-१-६१ से राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें जयपुर–अलवर व जयपुर–कोटपुतली पर चलने के कारण जयपुर-नीम–का–थाना सीधी बस सर्विस नहीं है । जयपुर–नीम–का–थाना मार्ग पर चलने वाली बसें शाहपुर–नीम–का–थाना मार्ग पर ही चलती है । इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि इससे जनता को भारी परेशानी हुई हो ।

(२) जी नहीं । पहले जयपुर से नीम-का-थाना का किराया २.७० नये पैसे था अब ४.०० रु० है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मण्डाना व कनवास रेंज द्वारा घास के लिए रिजर्व भूमि

४६३. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि मण्डाना व कनवास रेंज के द्वारा कुछ प्लाट पत्थरों की बाउण्डरी खेंच कर घास के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह प्लाट जहां पर रिजर्व किये जा रहे हैं उस जगह का लोगों को एतराज है क्योंकि वहां पर हमेशा से किसानों के मवेशी चरते आ रहे हैं ?

उत्तर

(१) जी हां ।
(२) जी नहीं ।

तबादला

४६४. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तिजारा के भूतपूर्व थानेदार श्री किशनसिंह का कई बार तबादला किया गया और कई बार रोका गया ? यदि हां, तो कितनी बार और किन किन तारीखों में तबादला हुआ और रोका गया ?

(२) तबादले रोकने के क्या कारण थे ?

(श्री हरिराम चौहान)

(३) क्या यह सही है कि तारीख १९-८-६२ को थानेदार की मनमानियों के खिलाफ काले झंडों का प्रदर्शन और ग्राम सभा हुई और अन्तिम तबादला इसी बिना पर किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार के खिलाफ गंभीर आरोप थे और इन आरोपों की सूचना कितनी ही बार संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) श्री किशनसिंह का स्थानान्तरण दिनांक ७-४-६२ को एस. पी. अलवर की आज्ञा से तिजारा से कटूमर हुआ, किन्तु दिनांक १०-४-६२ को ये ट्रांसफर आर्डर डी. आई. जी. पी. अजमेर द्वारा रद्द किये गये। दिनांक १६-७-६२ को पी. एच. क्यू. के आदेश से उसका स्थानान्तरण थाना तिजारा से पुलिस लाईन अलवर किया गया। पुनः दिनांक ३०-७-६२ को पी. एच. क्यू. के आदेश से उसका तबादला पुलिस लाईन अलवर से तिजारा किया गया। उसका अन्तिम तबादला दिनांक १६-८-६२ को डी. आई. जी. पी. अजमेर की आज्ञा से जिला अलवर से जिला सीकर में हुआ।

(२) ये समस्त आज्ञाएं प्रशासकीय कारणों से जारी की गई थीं।

(३) जी हां। दिनांक १९-८-६२ को उनके खिलाफ कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा काले झंडों का प्रदर्शन एवं ग्राम सभा की गई। किन्तु अन्तिम तबादला इस बिना पर नहीं हुआ। उनका तबादला पहले ही दिनांक १६-८-६२ को हो गया था।

(४) उनके खिलाफ कुल पांच आरोप पत्र प्राप्त हुए। ४ रिश्वतखोरी के जिनमें से २ जांच से तथ्यहीन पाये गये। एवं दो में आरोप सही पाये जाने के कारण एक को विभागीय जांच प्रारंभ की गई। एवं दूसरे में भ्रष्टाचार निरोधक कानून में मुकदमा दर्ज किया गया। जो जेर तफतीस हैं। चुनाव में पक्षपात संबंधित शिकायत झूठी पाई गई।

भिखारी गृह

४६५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार की ओर से जो भिखारियों के रहने के लिये भिखारी गृह खोला गया है उसमें कितने भिखारी रहते हैं ? क्या उन भिखारियों को कोई काम सिखाया जाता है ? उस भिखारी गृह पर आज तक कुल कितना खर्च किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि भिखारी गृह में रहने वाले भिखारी बाहर जाकर भीख मांग आते हैं ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा भिखारियों के रहने हेतु जयपुर व जोधपुर में एक एक भिक्षुक गृह खोला गया। जयपुर का भिक्षुक गृह समुचित संख्या में भिखारियों के उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दिया

(२) जोधपुर के भिक्षुक गृह में इस समय १५ भिखारी हैं। जयपुर के भिक्षुक गृह में निवार बनाना, दरी बनाना, अम्बर चर्खा का कार्य आदि सिखाया जाता था। जोधपुर के भिक्षुक गृह में फिलहाल कोई कार्य नहीं सिखाया जा रहा है। अब तक इन दोनों भिक्षुक गृहों पर १,४१,२३१ रु० खर्च हुए हैं।

जी नहीं।

डिप्टी लेबर कमिश्नर व असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर

४६६. श्री **दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

श्रम विभाग में डिप्टी लेबर कमिश्नर व असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कितने कितने हैं और इनके क्या क्या कर्त्तव्य हैं ? क्या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने गत वर्ष कुछ औद्योगिक समझौते करवाये ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

श्रम विभाग में ३ डिप्टी लेबर कमिश्नर व ३ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर नियुक्त हैं इनके कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

(१) डिप्टी लेबर कमिश्नर राजस्थान (श्रम कानून); डिप्टी लेबर कमिश्नर राजस्थान (प्रशासन); डिप्टी लेबर कमिश्नर राजस्थान (श्रम कल्याण)।

(२) असिस्टेंट कमिश्नर:

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (मुख्य कार्यालय) १

रिजनल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैड क्वार्टर जयपुर। जोधपुर २

(कार्य की सूची संलग्न है)

रिजनल असिस्टेंट लेबर कमिश्नरों ने गत वर्ष में २१ विवादों पर समझौता करवाया।

Duty List of Dy. Labour Commissioners and Assistant Labour Commissioner (Hqrs.) and Regional Assistant Labour Commissioners.

1. *Dy. Labour Commissioner (Adm.).*

   (*i*) General Administration.
   (*ii*) Establishment (Excluding work relating to Gazetted Officers and Gr. I Inspectors.
   (*iii*) Accounts, Budget and Stores.
   (*iv*) Statistics, Research.
   (*v*) Library.
   (*vi*) Assembly and Parliament questions.

   NOTE.—The work relating to Establishment (Gazetted and Grade I Inspectors) will be submitted directly to Labour Commissioner by the Office Superintendent through the T.A.

2. *Dy. Labour Commissioner (Labour Laws).*

   (*i*) Labour Legislation (Drafting of Bills and rules and other statutory notifications).
   (*ii*) Administration of Labour Laws.
   (*iii*) Registrar of Trade Unions under the Indian Trade Union Act, 1926.
   (*iv*) Registrar of Representative Trade Unions under the Industrial Disputes Rajasthan Amendment Act, 1958.
   (*v*) Certifying Officer under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
   (*vi*) Conferences (Central).
   (*vii*) Implementation of Wages Board Report.

Dy. Labour Commissioner (Welfare).

   (*i*) Welfare.
   (*ii*) Industrial Housing.
   (*iii*) Plan.
   (*iv*) Enforcement of Labour Laws.
   (*v*) Committees and conferences (Rajasthan).
   (*vi*) Workers Education.
   (*vii*) Publicity and Information.
   (*viii*) Production Committees.

Assistant Labour Commissioner (Hq.).

   (*i*) Implementation and Evaluation—Code of Discipline.
   (*ii*) Establishment Gazetted Officers and Grade I Inspectors.
   (*iii*) Court work of Labour Commissioner as—

(a) Workmen's Compensation Commissioner.
(b) Minimum Wages Authority.

(iv) Labour Legislation.

(v) T.A. to Labour Commissioner.

Regional Assistant Labour Commissioners.

(i) *Administration.*—Appointing Authority for Subordinate staff except Grade I Inspectors. Each Reg. Asstt. Labour Commissioner controls the total budget of about 3.5 lacks.

(ii) *Welfare Work.*—Responsible for supervising the activities of Welfare Centres.

(iii) *Industrial Housing.*

(iv) *Labour Laws.*—Conciliation Officers under the Industrial Disputes Act, 1947. Inspector under the Minimum Wages Act. Inspector under the Motor Transport Act.

(v) *Inspections.*— Detailed inspections of the subordinate offices Welfare Centres and Industrial Housing Scheme.

(vi) *Physical verification.*—Physical Verification of Stores of the Labour Offices as well as of Labour Welfare Centres.

सालेरा कलां (तहसील मावली) में पुराना तालाब

४६७. **श्री सम्पतिलाल बोहरा** (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि सालेरा कलां (मावली तहसील) में एक पुराना तालाब बना हुआ है और कुछ जगह से टूटा हुआ है ?

(२) क्या सरकार के पास टूटे हुए तालाब को ठीक कराने की कोई योजना है ?

(३) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होगा और वह कब तक तैयार हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

सन् १९६२ में डकैतियां

४६८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९६२ में कुल कितनी डकैतियां हुई तथा उसमें कितना धन गया एवं इन डकैतियों में से कितनी पकड़ी गई तथा जो धन मिला उसमें से कितना मालिकों को लौटा दिया गया ?

(ख) पिछले तीन वर्ष में डकैतियों का क्या औसत रहा तथा उस औसत से सन् ६२ में क्या डकैतियां कम हुई ?

उत्तर

(क) सन् ६२ में राजस्थान में ७९ डकैतियां हुई । जिनमें ७,३५,७४४.९६ न० पै० का धन लूटा गया इन डकैतियों में से ३४ डकैतियों का पता लग पाया व उनमें १,९६,५५४.४६ न० पै० का माल बरामद हुआ । प्राप्त धन सम्बन्धित मुकदमें कुछ तो न्यायालय में विचाराधीन हैं व कुछ पुलिस की तफतीश में हैं जिसके फलस्वरुप केवल ९२० रू० का धन मालिकों को लौटाया जा सका है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में डकैतियों का औसत ६३.६ रहा जिसके अनुसार सन् १९६२ में डकैतियों में वृद्धि हुई हैं ।

ग्राम उमरेह, तहसील बाडी में सिंचाई के पानी की कमी

४६९. **श्री रघुवीरसिंह** (बाडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तालाब नादरों की व मुनी पर ग्राम उमरेह तहसील बाडी में पानी सिंचाई के लिये नाकाफी है ?

(२) क्या यह सही है कि पिलाई की वसूली इन तालाबों से उसी अनुपात से की जाती है जिस अनुपात से पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो इस साल पूरी पिलाई क्यों मांगी जा रही है ? कृपया नकल हुक्म बाबत वसूली पिलाई जिसके अनुसार वसूली

पानी देने के अनुपात में ली जाती है सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) ये तालाब राजस्व विभाग के अधिकार में हैं और पानी के बटवारे और सिंचाई दर जो इस विभाग ने लगाई है, की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(२) राजस्थान इर्रीगेशन और ड्रेनेज रूल्स के शिड्यूल II के उस भाग की प्रतिलिपि जो इन तालाबों पर लागू है—सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

सराडा-पलोदडा सडक

४७०. **श्री देवीलाल** (सराडा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) सराडा-पलोदडा सडक कुल कितनी मील लम्बी है तथा कितनी मील सडक पूर्ण हो चुकी है ?

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में इसके लिये कुल कितने धनराशि रखी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस सडक पर सब पुलिया बन चुकी है ? यदि हां, तो कितनी पुलिया बनाई गई है ?

उत्तर

(१) १३ मील है । ७ मील पक्की सडक बन चुकी है तथा बाकी मीलों में मिट्टी बिछाई का कार्य हो चुका है ।

(२) ४,००,००० रु० ।

(३) यह सही नहीं है । हां कोई पुलिया नहीं बनाई गई है ।

गंगनहर में पानी

४७१. **श्री भीम सेन** (लूणकरणसर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों से गंगनहर में पानी कम दिया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि पिछले दो वर्षों से गंगनहर में क्लोजर्स बहुत होने लगे हैं और गर्मी के दिनों में तो कहीं कहीं पीने के लिये भी नहर का पानी उपलब्ध नहीं होता ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) पानी हमारे हिस्से के अनुसार हमें मिल रहा है ।

(२) रबी में नहर में फुल सप्लाई नही चलती अत: क्लोजर्स होना स्वाभाविक है । बारह मासी क्षेत्र में पीने के पानी की तकलीफ का प्रश्न नहीं होता । छ:मासी नहरों के इलाके में भी रबी में समय २ पर पीने और सिंचाई के लिये यथा संभव पानी छोडा जाता है और किसी को कोई खास तकलीफ नहीं है ।

(३) यह पानी की उपलब्धि पर निर्भर है ।

Page No 140

बांकली बांध-जिला जालोर

४७२. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाडा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बांकली बांध (जिला जालौर) को मौजूदा लेवल से ३ फीट ऊंचा लिये जाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाई जाने की संभावना है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १९ मार्च, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३१४६	१५	अप मन्त्री सिचाई	उप मंत्री, सिंचाई
३१५१	अन्तिम से २	श्री कुनारानन्द	श्री कुमारानन्द
३१५३	अन्तिम से ७	दिय	दिये
३१५६	२२	दुव्यंवहार	दुर्व्यवहार
३१७४	१६	genraing	generating
३१७७	५	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
३१७८	९	,, ,, सुरा ।	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	अन्तिम से २	श्री हरिश्चद्र	श्री हरिश्चन्द्र
३१९०	१९	पर्सेंट	पर्सेन्ट
३२१०	अन्तिम से ५	न्युयक्तियां	नियुक्तियां
३२१२	१९ व २०	उपा-स्तथापन	उपस्थापन
३२१३	शीर्षक	सामुदायिक विकास, १९ मार्च १९६३–परियोजनाएं एवं विविव	याचिका का उपस्थापन–१९ मार्च, १९६३–पुरःस्थापित विधेयक,
३२१४	अन्तिम	कटौती प्रस्ताव	[कटौती प्रस्ताव
३२१५से ३२३७ तक	शीर्षक	सामुदायक	सामुदायिक
३२२३	शीर्षक	माच	मार्च
३२२७	,,	,,	,,
३२२९	११	करने हेतु)	करने हेतु]
,,	२१	विश्नेई	बिश्नोई
३२४४	अन्तिम से ५	श्री अमरसिह	श्री अमरसिंह
३२४९	शीर्ष	,, ,,	,, ,,
३२५६	१६	हाती	होती
३२६२	२०	विकेद्रीकरण	विकेन्द्रीकरण
३२८४	२१	उसम	उत्तम
३२८७	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह डाबरिया)	(श्री नाथू लाल करील)

१	२	३	४
३२९७	४	कलवटर	कलेक्टर
३३०३	शीर्ष	(श्री दिग्विजय सिंह)	(श्री दिग्विजयसिंह)
,,	२७	डायरेक्टर	डाइरेक्टर
३३०५	१	एशयोरेन्स	एश्योरेन्स
३३३६	२६	इम्पोटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
३३३९	शीर्ष	(श्री अब्दुल जब्बार)	(श्री अब्दुलजब्बार)
,,	शीर्षक	मर्च	मार्च
३३४१	,,	सामू०	सामु०
३३४५	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सूराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
३३५३ से ३३५६ तक	शीर्षक	सामु० १९	सामु०-१९
३३५७	अन्तिम से ७	श्री मथुराहास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
३३६९ से ३३७२ तक	शीर्षक	साम०-१९ मार्च,	सामु०-१९ मार्च,
३३७३	३	षी	दोषी
३३८२	११,१२	please ! Order please!!	please ! Order please !!
,,	अन्तिम से ४	please ! Order !!	please ! Order!!
३३८५	७	please !	please !
३३८९	९	Order ! please !!	Order ! Order please !!
,,	अन्तिम से ३	please !	please !
,,	,, ,, ६	श्री विजमसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
३३९१	शीर्षक		मांग संख्या २२ व ३५-१९ मार्च, १९६३-सामु०वि० परि० एवं विविध
३३९५ से ३३९८ तक	शीर्षक	मांग संख्या २२ व ३५ सामु० १९ मार्च, १९६३-विकास परि० एवं विविध	संक्षिप्त विवरण १९ मार्च, १९६३-संक्षिप्त विवरण
३३९५	१	संक्षिप्त विवरण	

१

१	२	३	४
३३९५	१	स्कम्म	
,,	२	३२१०	
३३९६	१,२,३	३२१०	
		स्कम्म	
		३२१३	
३४०२	शीर्षक	परशिष्ट	परिशिष्ट
३४०३	७	कुंवर श्री महन्द्रसिंह	कुंवर श्री म्हे सह